खण्ड-238, अंक-7
मंगलवार, 23 माघ, शक संवत् 1884
(12 फरवरी, 1963 ई0)

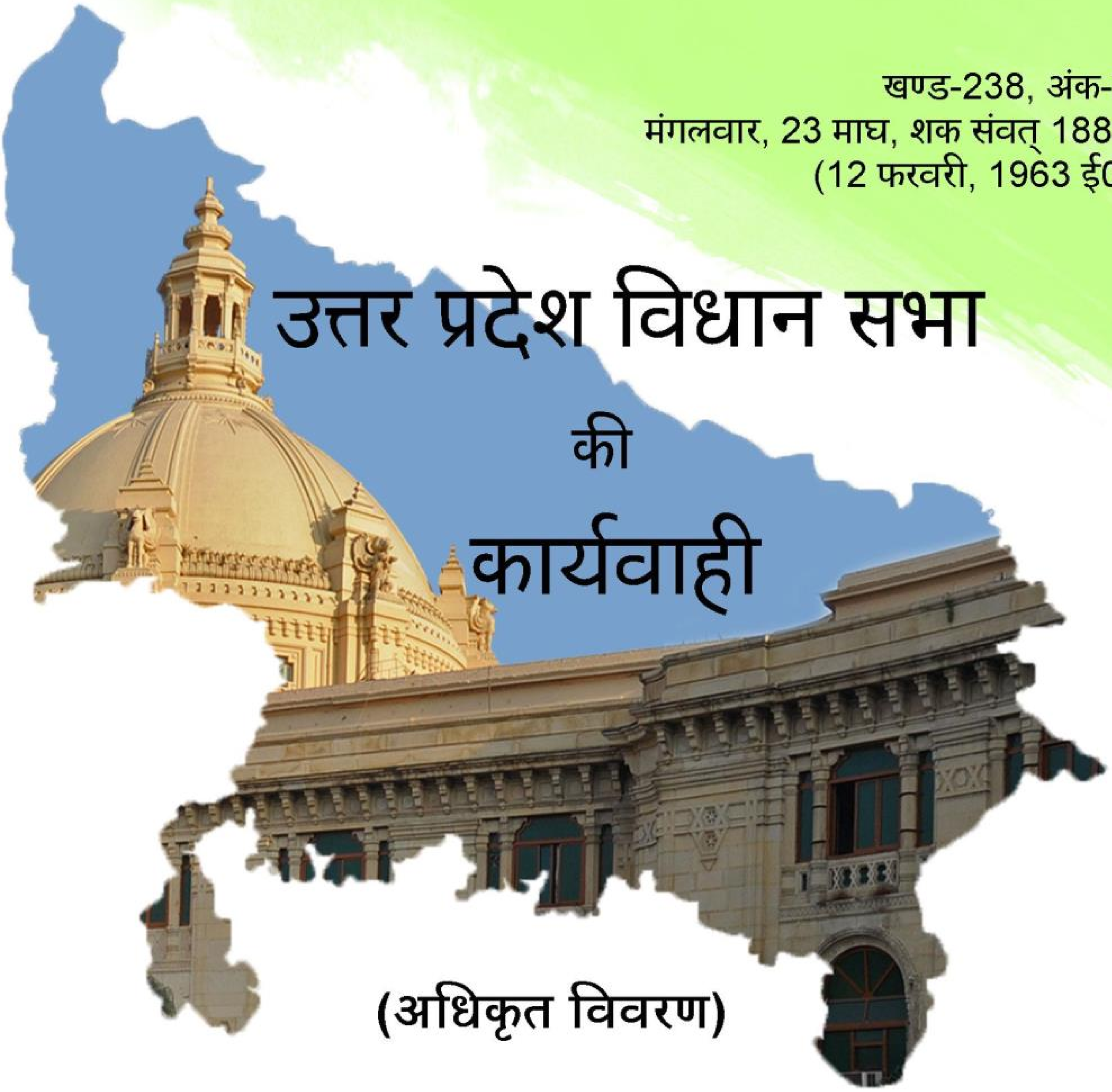

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 238 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५०१–५०५
प्रश्नोत्तर	५०५–५१४
कार्य-सूची में कम प्रश्न रखे जाने पर आपत्ति	५१४–५१५
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	५१५–५१६
नार्दन इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३	
प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाये, विवाद जारी ..	५१६–५७१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १२ फरवरी, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप,राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल , श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा , श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल,श्री (बिजनौर)
गुप्तारसिंह , श्री
गुलाबसिंह ,श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह,श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह , श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव , श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह , श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद , श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी , श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी , श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल , श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी , काजी
जसरामसिंह , श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बबकन)
जुगलकिशोर , श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झोरखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह , श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई लाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रहदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल सिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुबीरसहाय, कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री

राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामाधणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथपांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवशम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपलानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री

सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा सिंचाई उप-मंत्री, श्री रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १२ फरवरी, १९६३

तारांकित प्रश्न

प्रशिक्षित ग्राम सेवकों की नियुक्ति

*१—श्री विजयसिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में इलाहाबद रीजन में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के जो स्थान रिक्त हैं उन पर जो V. L. W. प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण समाप्त करके विभागीय कर्मचारी वापस आये हैं उनकी नियुक्ति करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

V.L.W. प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण समाप्त करके जो विभागीय कर्मचारी वापस आये हैं उनकी नियुक्ति नियोजन विभाग में V. L. W. के पद पर होगी। जब तक वहां नहीं रक्खे जाते वह कृषि विभाग में, जिस रीजन में, जगह हो रक्खे जा रहे हैं।

आजमगढ़ जिले की "ताल पताछ" योजना

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "ताल पताछ" योजना जिला आजमगढ़ के सम्बन्ध में राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा कब और क्या निर्णय लिया गया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—

राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की १४ जुलाई, १९६२ की बैठक में यह तय हुआ कि ताल पताछ योजना की स्वीकृति देने से पहले जिला अधिकारियों से यह पता कर लिया जाय कि इस योजना के कार्यान्वित होने से रतोई ताल के निकटवर्ती क्षेत्र पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना के सम्बन्ध में जिलाधीश, आजमगढ़ से किसी प्रकार की रिपोर्ट मांगी गई थी ? यदि हां, तो वह क्या थी और जिलाधीश ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां,जिलाधीश आजमगढ़ से राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के निर्णयानुसार पूछताछ की गयी और उन्होंने सूचित किया है कि पताछ ताल योजना से रतोई ताल के निकटवर्ती क्षेत्र पर कोई बुरा प्रभाव न पड़ेगा ।

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, आजमगढ़ के अधिकारियों ने ताल पताछ योजना के सम्बन्ध में सर्व प्रथम कब तखमीना लगाकर स्वीकृति हेतु पत्र भेजा और विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—

सिंचाई विभाग आजमगढ़ के अधिकारियों ने ताल पताछ योजना का तखमीना नवम्बर, १९६१ में भेजा था । इस तखमीने की जांच पड़ताल की गई और टेक्निकल सब कमेटी ने अपनी १७ फरवरी, १९६२ की बैठक में इस पर विचार करके राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की योजना स्वीकृत करने की सिफारिश की । राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की १४ जुलाई, १९६२ की बैठक में इस पर विचार किया गया और उक्त बोर्ड के निर्णय अनुसार जिलाधीश से परामर्श किया गया । इस प्रकार इस मामले में कोई विलम्ब नहीं हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इस योजना का तखमीना क्या है और यह कितने मील लम्बी योजना है ?

श्री राममूर्ति—

इस योजना का तखमीना ५९ हजार ४४५ रुपये का है और यह ११ मील ५ फर्लांग होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि यह योजना अब राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड के सामने जायेगी या नहीं या सरकार इसको कार्यान्वित करेगी ?

श्री राममूर्ति—

राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड के सामने तो जायेगी लेकिन चूंकि यह काम जरूरी था इसलिये सरकार ने इसको इमर्जेन्सी स्कीम समझकर अभी सेंक्शन कर दिया है । उम्मीद की जाती है कि यह काम इस बरसात से पहले ही कम्पलीट हो जायेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इस योजना के पूरी हो जाने के बाद इससे कितनी एकड़ भूमि लाभान्वित हो सकेगी ?

श्री राममूर्ति—

ऐसा विचार है कि जब यह योजना पूरी हो जायेगी तो इससे करीब १,१०० एकड़ भूमि लाभान्वित हो सकेगी ।

ट्यूबवेल आपरेटरों व नहर पतरौलों को रविवार की छुट्टी न मिलना

*५—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्यूबवैल आपरेटरों को व नहर विभाग के पतरौलों को रविवार की छुट्टी नहीं दी जाती है ? क्या उनको सरकार रविवार के काम करने का भत्ता देने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं ।

सरकार उनको रविवार के काम का भत्ता देना आवश्यक नहीं समझती ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से सरकार उनको रविवार का भत्ता देना उचित नहीं समझती ?

श्री राममूर्ति—

कारण यह है कि ऐसे बहुत से विभाग हैं जहां की सर्विसेज इस प्रकार की हैं कि जहां उनको किसी भी दिन छुट्टी नहीं दी जाती । जैसे पुलिस है, अस्पताल हैं तथा और भी ऐसी ही कई सर्विसेज हैं। छुट्टी तो अमूमन वहां दी जाती है जहां पर काम का समय निश्चित रहता है । यह काम तो इस किस्म का है कि कभी-कभी इसमें १८ घंटे काम करना पड़ता है तो कभी एक ऐसा समय भी आता है जब कि वे महीने भर तक कुछ काम नहीं करते । तो इन सब का बैलेन्स करके ही यह किया गया है और कभी ऐसा सवाल पैदा नहीं हुआ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार करेगी कि उनको यदि हर इतवार के दिन नहीं तो कम से कम महीने में एक दो छुट्टी मिल जाया करे ?

श्री राममूर्ति—

ऐसे नियम विभाग में हैं कि जब कोई काम जरूरी हो तो उसको छुट्टी मिल जाया करे । जो कैजुअल लीव और कर्मचारियों को मिलती है वह इनको भी मिलती है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

इस बात को देखते हुये कि अन्य कर्मचारियों की भांति इनको भी ऐसी छुट्टी मिल सके और उनके काम के घंटे नियत हो सकें क्योंकि उनको ज्यादा काम करना पड़ता है ?

कुछ आवाजें—

कम काम करना पड़ता है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं कहता हूं ज्यादा काम करना पड़ता है । तो क्या सरकार कोई ऐसा सर्वेक्षण करायेगी कि उनको कितने घंटे काम करना पड़ता है और उनको साल में और छुट्टी की आवश्यकता है ?

श्री राममूर्ति—

अब माननीय कल्पनाथसिंह जी कहते हैं ज्यादा काम करना पड़ता है, कुछ मेम्बर साहबान कहते हैं कम काम करना पड़ता है । इसीलिये मैंने अर्ज किया कि इसको बैलेन्स करके ही उनको इतवार की छुट्टी नहीं दी जाती । सर्वेक्षण का जहां तक काम है, वह तो पिछले १००सालों से हो ही रहा है और उसी से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं ।

श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

जिस पीरियड में वे खाली रहते हैं उसको वे छुट्टी की तरह अवेल कर सकें, क्या माननीय मंत्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

वे कर सकें नहीं, बल्कि वे करते ही हैं ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

इस बात को देखते हुए कि यह लो पेड सर्वेन्ट्स हैं, सरकार उनको रविवार के दिन काम करने का भत्ता देने पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—

इस वक्त कोई विचार नहीं है ।

कृषि उत्पादन समितियां

*६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर) तथा श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में ११ जनवरी, १९६३ को कोई मीटिंग उत्तर प्रदेश तथा अन्य सूबों के मुख्य मन्त्रियों की हुई थी जिसमें अन्न उत्पादन को बढ़ाने तथा गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने आदि के सम्बन्ध में निश्चय किये गये थे? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या निश्चय लिये गये?

कृषि उप-मन्त्री (श्री शिवराज सिंह)—

जी हां, मीटिंग हुई थी। प्रोसीडिंग्स अभी प्राप्त नहीं हुई है। सामान्यतः कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये पूर्ण प्रयत्न करने पर जोर दिया गया था।

*७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय तथा श्री गेंदासिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सम्बन्ध में कोई उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाने पर विचार हो रहा है? यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप होगा?

श्री शिवराजसिंह—

वर्तमान संकट कालीन स्थिति में कृषि पर अत्यधिक बल देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये मन्त्रिमंडल की एक कृषि उत्पादन समिति बनी है जिसमें निम्नलिखित मन्त्रिगण हैं—

(१) मुख्य मन्त्री,
(२) कृषि मन्त्री,
(३) सिंचाई मन्त्री,
(४) सहकारिता मन्त्री,
(५) विकास मन्त्री।

इस समिति का कार्य है कि उच्च स्तर पर कृषि सम्बन्धी मामलों में शीघ्रता से निर्णय लें। इसके अतिरिक्त एक दूसरी कमेटी भी अधिकारीय स्तर पर बनाई गई है। इसके सदस्य सम्बन्धित विभागों अर्थात् कृषि, सिंचाई, सहकारिता तथा वित्त विभाग के सचिव तथा विभागाध्यक्ष हैं। नियोजन सचिव एवं विकास आयुक्त इस समिति के चेयरमैन हैं। इस कमेटी के कार्य हैं—

(क) कृषि उत्पादन कार्यों पर समन्वयित रूप से विचार करना, ठोस निर्णय लेना तथा उनके कार्यान्वयन को निरन्तर देखते रहना।

(ख) कृषि उत्पादन में कार्यों की प्रगति का अवलोकन करना और मन्त्रिमंडल की उक्त कमेटी को इस दिशा में बराबर सूचित करते रहना।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस कांफ्रेंस में इस बात पर भी निश्चय किया गया कि केन्द्रीय सरकार के मन्त्री श्री एस० के० पाटिल साहब ने सभी स्टेट्स को और इस उत्तर प्रदेश को यह आश्वासन दिया कि फूड प्रोडक्शंस को स्पीड-अप करने के लिये ऐडीशनल रिक्वायरमेंट्स का ब्ल्यू प्रिंट आप भेजें तो उसके ऊपर अनुदान हम देंगे? तो क्या सरकार ने इसके बारे में कोई ब्ल्यू प्रिंट भेजा?

श्री शिवराजसिंह—

जैसा मैंने उत्तर में निवेदन किया, अभी प्रोसीडिंग्स प्राप्त नहीं हुई हैं। इसलिये यह कहना अभी हमारे लिये सम्भव नहीं होगा कि जो बात माननीय सदस्य ने कही है वह सही है या नहीं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन, मेरा एक निवेदन है। चूंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं जो कि उस कांफ्रेंस में गये हुये थे और माननीय कृषि मन्त्री जी उस कांफ्रेंस में नहीं थे, इसलिये हो सकता है कि उनको इसकी जानकारी न हो, इसलिये इस प्रश्न को आज स्थगित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

आप यह मान कर चलें कि जो कुछ कार्यवाही हुई उसकी जानकारी पूरे मन्त्रिमंडल को है। फिर भी यदि कोई सूचना आप और चाहें तो दूसरा प्रश्न कर सकते हैं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

क्या माननीय कृषि मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्पादन को बढ़ाने के लिये जो प्रान्त में कमेटी बनी है उसकी शाखायें जिलों में भी हैं और यदि हैं तो उन्होंने अब तक क्या कार्य किया ?

श्री शिवराजसिंह---

श्रीमन्, जिस कमेटी की चर्चा प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में की गयी है वह मन्त्रिमंडल की कृषि उत्पादन उच्च स्तरीय समिति है और एक विभागीय समिति बनाई गई है जिसमें कृषि उत्पादन से सम्बन्धित सभी विभागों के सचिव और विभागीय अध्यक्ष हैं। जहां तक जिले का सवाल है, हर जिले के अन्दर कृषि उत्पादन समितियां हर ब्लाक के अन्दर मौजूद हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या यह बात सही है कि जितने साधन उत्पादन के लिये जुटाये गये और जितनी आशा की जाती थी उतना उत्पादन नहीं बढ़ा? यदि हां, तो ऐसा क्यों और उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार के पास क्या कार्यक्रम है ?

श्री चरणसिंह---

यह बात सही है कि जितना हम कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते थे सन् १९४७ से आज तक उतना नहीं बढ़ा और इसके कारण बहुत विशद हैं जिन्हें बताने के लिये दो घंटे भाषण देने की जरूरत पड़ेगी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अन्न उत्पादन की योजना के अन्तर्गत कल्चरेबिल वेस्ट....

(व्यवधान)

खेती करने योग्य जो परती जमीन है उसको बड़े पैमाने पर तुड़वाने के लिये क्या सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री शिवराजसिंह---

परती भूमि पर किस प्रकार खेती की जाय इस के अनुसन्धान के लिये और इस संबंध में ट्रेनिंग देने के लिये इस समय कृषि विभाग के तहत में चार कृषि फार्म चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वायल कंजर्वेशन के तहत में १३ जिलों के अन्दर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के रूप में यह कार्य इस वक्त जारी है।

श्री कल्पनाथसिंह---

क्या माननीय कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब योजना का स्वरूप बनाया जाने लगा उस समय प्रदेश की पैदावार कुल कितने टन थी और उसको बढ़ाकर कुल कितने टन बढ़ाने की योजना बनाई गई थी ?

श्री शिवराजसिंह---

यदि माननीय सदस्य का मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना से है तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में १३५ लाख टन से बढ़ाकर १८२.६ लाख टन कृषि उत्पादन का हमारा लक्ष्य था। इस प्रकार से ४७ लाख टन उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कृषि मन्त्रियों की यह मीटिंग हुई तो उस मीटिंग के सिलसिले में इस बात की भी चर्चा आई थी कि किसानों को खेत में पानी महंगा पड़ता है इसलिये सिंचाई के रेट में कुछ कमी की जाय और खाद का भी दाम कुछ कम किया जाय ताकि किसान काफी खाद लेकर अपनी उपज बढ़ा सकें? क्या इन बातों पर विचार विमर्श हुआ था? हुआ था तो उस पर क्या निर्णय लिया गया?

श्री चरणसिंह—

ऐसा कोई विचार नहीं हुआ था।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या उस मीटिंग में यह भी विचार हुआ था कि प्रति एकड़ ईल्ड खासतौर से गेहूं और गन्ने की दूसरे सूबों के मुकाबले में यू० पी० की बहुत कम है और इस साल गन्ने की पैदावार जो पिछले साल से भी कम हो गई है उसके ऊपर भी कोई विचार हुआ था?

श्री चरणसिंह—

मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि आपका मतलब कौन सी मीटिंग से है कैबिनेट की मीटिंग से या दिल्ली वाली मीटिंग से?

श्री बलवानसिंह—

दिल्ली वाली मीटिंग से।

श्री चरणसिंह—

जैसा बताया गया कि उस मीटिंग में माननीय मुख्य मन्त्री मौजूद थे। मैं मौजूद नहीं था। अभी तक उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं आई है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जांच करने के लिये जो आयोग आया था उसने भी कोई सुझाव सरकार को दिया है, यदि हां, तो वह क्या है?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं, अभी तक कोई सुझाव नहीं दिया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि जो दिल्ली में सम्मेलन हुआ था उसमें खासतौर से तीन बातों के ऊपर अधिक जोर दिया गया था। एक तो यह था कि कृषि उत्पादन के लिये रिसोर्सेज कैसे बढ़ाये जायं दूसरे फरटीलाइजर के बारे में कुछ रिबेट देने की बात केन्द्रीय सरकार की तरफ से थी और उसके डिस्ट्रिब्यूशन के लिये कैसे खाद बांटा जाय उन्होंने अपने सुझाव दिये थे। क्या सरकार ने इन बातों के ऊपर कृषि विभाग को अपने विचार दिये हैं?

श्री अधिष्ठाता—

आप यह पहले पूछिये कि ऐसे सुझाव वहां पर आये थे?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या ऐसे सुझाव वहां पर दिये गये थे?

श्री चरणसिंह—

इसका जवाब दिया जा चुका है। अभी तक उसकी प्रोसीडिंग्स जाप्ते से नहीं आई हैं। मुख्य मन्त्री जी से मेरी इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। लिहाजा किस हिस्से पर चोट की गई और क्या मलहम पट्टी की गई इसका मुझे पता नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

इसीलिये मैंने निवेदन किया था कि इसको स्थगित कर दिया जाय क्योंकि अभी मन्त्री जी को पूरी जानकारी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---

मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि पुनः आपका प्रश्न लिया जा सके।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो ऊसर बंजर उपजाओ योजना में चार फार्म चल रहे हैं उनके लिये २९ लाख रुपये की स्कीम बनाई गयी थी और यह सोचा गया था कि उन से २ लाख रुपये साल का मुनाफा होगा, लेकिन वे घाटे में चल रहे हैं और उन पर अबतक ४० लाख रुपया खर्च हो चुका है। तो अब उनके लिये सरकार का क्या इरादा है?

श्री शिवराजसिंह--

जो तथ्य माननीय सदस्य ने दिये हैं, उनको स्वीकार करने में मुझे आपत्ति है। सूचना की आवश्यकता है। सूचना पाने पर सही उत्तर दिया जा सकेगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

उत्पादन न बढ़ने का एक कारण समय पर पानी न मिलना भी रहा है तो सिंचाई तथा कृषि विभाग में सामंजस्य हो सके इसके लिये क्या सरकार का कोई कार्यक्रम है?

श्री शिवराजसिंह--

इसी आशा से मन्त्रिमंडल की यह कृषि उत्पादन समिति बनायी गयी है और इसी आशय से उच्च स्तरीय विभागाध्यक्षों की समिति बनाई गई है ताकि इस प्रकार की बाटेलनेक्स पर शीघ्र निर्णय लिये जा सके।

श्री बलवानसिंह--

क्या दिल्ली जाने से पहले मुख्य मन्त्री जी ने कृषि मन्त्री जी से कुछ सुझाव मांगे थे? यदि हां, तो वह सुझाव क्या थे?

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न केवल यह था कि जो मन्त्रियों की कांफ्रेंस हुई थी उसमें क्या निर्णय हुए थे। वैसे तो यह प्रश्न उससे उठता नहीं किन्तु यदि मन्त्री जी चाहें तो बतला दें।

श्री चरणसिंह--

मैं माफी चाहता हूं कि मैं पहले बलवानसिंह जी का प्रश्न समझ नहीं पाया था, उसके समझने में मुझसे गलती हुई। मैं यह समझा था कि जो १८-१९ तारीख को दिल्ली में मीटिंग हुई थी उससे उनका मतलब है। उसमें मैं मौजूद नहीं था और उसमें ही सब मुख्य मन्त्री मौजूद थे। ११ जनवरी को जो ३ प्रदेशों के मुख्य मन्त्री, और यदि मुख्य मन्त्री आवश्यक समझें तो अपने कृषि मन्त्री को भी साथ ला सकते हैं वाली मीटिंग में, जो दिल्ली में हुई थी, उसमें मैं मौजूद था। यह ठीक है कि वहां जाने के पूर्व मेरी और मुख्य मन्त्री जी की काफी बातचीत हुई थी और तीन दिन तक कैबिनेट की जो सब कमेटी, जिसका जिक्र अभी मेरे सहयोगी कर चुके हैं, उसमें बातचीत हुई थी और जो फैसले उस सब-कमेटी में हुये थे, उनका हमने बहुत थोड़ा सा जिक्र वहां के सम्मेलन में ११ जनवरी को किया था। तो वहां कोई बहुत विस्तार से बातचीत नहीं हुई। वहां गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से यह संकेत किया गया कि यहां यू० पी० में फर्टलाइजर कम खर्च हो रहा है। उसकी हमने वजह बतलाई थी। हमने उनको यह बतलाया कि हमारी फसलें इस तरह से हो गई हैं कि साल के शुरू में बेशक हम फर्टलाइजर की कम मात्रा खर्च करते हैं। लेकिन बाद में जितना गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमको दिया है, हम यह उम्मीद करते हैं कि फर्टलाइजर काफी मात्रा में इस्तेमाल होगा। मैं माननीय झारखण्डेराय जी को यह बतला देना चाहता हूं कि गन्ने

[श्री चरणसिंह]

की कीमत तो नहीं बल्कि यहां से गुड़ जो बाहर जा रहा है, उसके जाने की वजह से और ज्यादा मांग होने की वजह से, लोग ज्यादा गुड़ बना रहे हैं और इसी कारण से फैक्टिरियों को गन्ना कम मिलता है। जो फैक्टरी ओनर्स की तरफ से सुझाव थे, उनपर भी बात चीत हुई थी। उस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्टेट गवर्नमेंट की राय बतलाई थी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि वे उस मीटिंग में मौजूद थे, तो क्या वहां पर इस बात की भी चर्चा हुई कि केन्द्रीय खाद्य मन्त्री जी श्री एस० के० पाटिल की तरफ से यह कहा गया कि एडीशनल रिसोरसेज की रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के लिये, क्या होगी। वह आप लोग अलग-अगल दें। तो उसके बारे में हम अपने सुझाव और अपने विचार से उसको ग्रांट करेंगे। जिससे कि प्रोडक्शन स्पीड-अप किया जा सके। तो मेरा यह स्पष्ट प्रश्न है कि उस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या अपने विचार रखे और अपनी एडीशनल रिक्वायरमेंट्स बतायीं ?

श्री चरणसिंह--

श्रीमन्, क्या आप इजाजत दे रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने की ? मैं तो आप से यह दरख्वास्त करूंगा कि वहां सम्मेलन में क्या-क्या बात-चीत होती है, एक दूसरे की, प्रश्नों के क्या प्रत्युत्तर होते हैं, तो वह बातें आमतौर पर जवाब में बताना भी मुश्किल होता है।

श्री अधिष्ठाता--

यह तो आपका अधिकार है कि इसी आशय का उत्तर दे दें।

श्री चरणसिंह--

म फिर भी इनकार नहीं करता हूं और इतना बता देना चाहता हूं कि स्टेट के एडशिनल रिसोरसेज क्या होंगे, यह उन्होंने मुझसे जानने की कोशिश की थी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कैश क्राप इस तरीके से उत्पादित होगी, उसपर कितना फारेन एक्सचेंज उत्तर प्रदेश सरकार को मिलने की सम्भावना है ?

श्री चरणसिंह--

उसका वहां पर कोई जिक्र नहीं हुआ कि कितना मिलने की सम्भावना है। मुझे इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या माननीय कृषि मन्त्री जी हमको सन्तुष्ट करेंगे कि मीटिंग में, चाहे कृषि मन्त्री जी जायें अथवा मुख्य मन्त्री जी लेकिन मुख्यतया तो कृषि मन्त्री जी....

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री लखीसिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो हमारी सरकार ने उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया है तो खरीफ में उससे क्या वृद्धि हुई है और उस योजना से क्या लाभ हुआ है ?

श्री चरणसिंह--

श्रीमन्, अभी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री बलवानसिंह--

श्रीमन्, मन्त्री जी कुछ ऐसी बात कह जाते हैं कि जिससे बड़ा शुबहा होता है और मेरा ऐसा खयाल है कि.....

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न करें।

श्री बलवानसिंह--

मेरा ऐसा खयाल है कि जिस तरह का शुबहे का जवाब आया है उससे ऐसा मालूम होता है कि मुख्य मन्त्री और कृषि मन्त्री ने भिन्न-भिन्न सुझाव दिये होंगे, उनसे व्यापक भिन्नता आयी होगी। तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि आपकी दोनों की आवाज एक थी या दोनों के सुझाव अलग-अलग थे ?

श्री अधिष्ठाता--

किस कांफ्रेंस में किस स्टेज पर किसकी राय क्या थी, यह प्रश्न का विषय वास्तव में नहीं हो सकता, और भिन्नता विचारों में होना भी प्रश्न का विषय नहीं हो सकता। निश्चय क्या हुआ, केवल यहां तक प्रश्न सीमित है।

श्री बलवानसिंह--

वह उसको टाल रहे हैं कि क्या-क्या निश्चय हुए।

श्री चरणसिंह--

अभी तक वह आये नहीं हैं, लेकिन यह बतला दूं कि क्योंकि दो व्यक्ति थे लिहाजा आवाज दो थीं, लेकिन स्वर और राय एक थी।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

क्या ११ जनवरी की मीटिंग में यह बात भी आयी थी कि अन्न उत्पादन के लिये सहकारी खेती का होना आवश्यक है ?

श्री चरणसिंह--

इस विषय पर वहां कोई बात नहीं आई, लेकिन मैं आपके जरिये अपने माननीय दोस्तों को यह बतलाना चाहता हूं कि अभी बजट आ रहा है और हमारी कैबिनेट सब-कमेटी के जो फैसले हुये थे वह अखबारों में छप गये हैं, लेकिन फिर भी जो मेरा प्रारम्भिक भाषण होगा उसके बाद सब दोस्तों को मौका होगा, उस पर चाहे जितना वक्त गुजरें, मेरी शिकायत रहती है कि पुलिस और दूसरे मुहकमों पर ज्यादा समय मांगते हैं और कृषि पर कम बहस हो पाती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

जिस मीटिंग में मन्त्री जी मौजूद थे उसमें इस बात की चर्चा हुई थी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस वर्ष के चीनी उत्पादन के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि गन्ने की खेती इसलिये कम हुई है कि किसानों को ठीक तरीके से गुड़ के भाव के मुताबिक गन्ने की कीमत नहीं मिल पाती है ?

श्री चरणसिंह--

चीनी की पैदावार का जिक्र आया था और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितनी किसानों की पैरवी माननीय मित्र वहां शायद कर सकते उतनी ही हम दोनों की तरफ से वहां की गयी।

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिये कौन-कौन से मुख्य उपाय हैं, यह मिनिस्टीरियल कमेटी में विचार किया गया और उससें कुल कितने टन गन्ना उत्पादित करने की जरूरत है ?

श्री चरणसिंह---

मैं क्या अर्ज करूं ? अन्य फसलों के समान ही गन्ने की फसल को बढ़ाने के लिये जमीन की जरूरत है, उसपर श्रम करने वाले लोगों की जरूरत है, और पानी खाद, बीज, औजार कृमिनाशक दवाइयां और बैल, इन शक्लों में पूंजी की जरूरत है और चौथी जरूरत यह है कि खेती करने का हुनर । इनमें जो चीज बढ़ जायगी तो उस फसल की पैदावार बढ़ जायगी।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्पादन बढ़ाने में सबसे बड़ा रोड़ा जो है कि किसानों के औजार हल वगैरह पुराने ढंग के हैं, उन्हें आधुनिक औजार देने पर सरकार व्यापक रूप से विचार व प्रचार करेगी ?

श्री चरणसिंह---

इसका उत्तर इस समय देने में देर लगेगी और अगर जवाब दिया जाय तो माननीय ऊदल को बजट के वक्त भाषण का मौका नहीं मिलेगा।

श्री बलवानसिंह---

श्रीमन्, मन्त्री जी ने कहा कि आबपाशी हो, खाद और औजार हों, ये सब चीजें हों। इनके लिये पैसे की जरूरत है जो किसानों के पास नहीं है, तो क्या वहां यह भी विचार हुआ कि लगान और आबपाशी की दरें कम की जावें ?

श्री चरणसिंह---

न लखनऊ में सब-कमेटी की मीटिंग में जिक्र हुआ, न दिल्ली में हुआ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या औजारों वगैरह की चर्चा वहां हुई और इस पर केन्द्रीय खाद्य मन्त्री, श्री पाटिल ने कहा था कि इनकी एडीशनल कास्ट को केन्द्रीय सरकार वहन करेगी और इसके लिये कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है ?

श्री चरणसिंह---

वहां विशेष जिक्र आया खाद के इस्तेमाल का और कुछ गन्ने के सिलसिले में। वहां और सूबों के लोगों से भी बातें हुईं। कुल २ या २। घंटे बातें चलीं। हमने उनसे कहा कि हमारे यहां कैबिनेट सब-कमेटी की ३ दिन मीटिंग हुई और हमने बहुत फैसले किये हैं। लेकिन अलग-अलग फसल और रिसोर्सेज के बारे में बहुत विस्तार से बातें नहीं हुईं।

कार्य-सूची में कम प्रश्न रखे जाने पर आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

आज की कार्य-सूची में केवल ७ ही प्रश्न छपे हैं। आप इस सदन के पुराने सदस्य हैं। जहां तक हमें जानकारी है, यह पहला मौका है कि सिर्फ ७ ही सवाल हाउस में आये। कारण इसका यह है कि अध्यक्ष जी के कार्यालय से हम लोगों के पास यह नोटिस आती है कि आपके सवाल तीन से अधिक होने के कारण अस्वीकृत किये जाते हैं। एक महीने पहले तक की कार्यसूची हमने देखी, कहीं भी ऐसा नहीं है कि तीन से अधिक सवाल अस्वीकृत किये जाते हैं। नियमावली में ऐसा कहीं नहीं है। परिपाटी हमारी यह रही है कि हम लोग एक साथ अधिक सवाल देते रहे हैं और वे सम्बन्धित मंत्री से स्वीकृत होने के बाद, संलग्न कर दिये जाते रहे हैं। अब यह है कि अगर हम ५० सवाल भेजते हैं तो उन्हें एक दिन में प्राप्त दिखला कर अस्वीकृत कर दिया जाता है। हम लोग देहात के रहनेवाले हैं, प्रतिदिन डाक से भेजना पड़ेगा, जो व्यय वाला होगा। आप नियम ३४ देखें। इसमें लिखा है कि एक सदस्य एक दिन में तीन तारांकित प्रश्नों से अधिक नहीं पूछेगा। अध्यक्ष किसी ऐसे प्रश्न को अग्राह्य कर सकेंगे जिसमें एक से अधिक विषयों पर सूचना मांगी गई हो। नियमावली में य नहीं है कि तीन सवालों से ज्यादा एक दिन में नहीं दे

सकते हैं । मैं समझता हूं कि सन् १९३७ से आज तक की परम्पराओं का यह उल्लंघन हुआ है । पुरानी परिपाटी ही कार्यान्वित होनी चाहिये अन्यथा माननीय सदस्यों की और जनता की मांग की पूर्ति नहीं हो सकेगी ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आज सुबह जब एजेंडा देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ कि केवल ७ ही प्रश्न हैं । मैंने जानकारी की और आगे की जा रही है । इस बात को देख कर नियमानुकुल व्यवस्था की जायेगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

अब तक की परिपाटी यह रही है कि हम लोग अपने घरों से २०, २० और २५, २५ सवाल एक साथ भेज देते थे वे यहां विभिन्न तारीखों में लग जाते थे । इसलिये आप पुरानी ही परम्परा को कायम रखें ।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, इस बात पर विचार हो जायेगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

आज चार प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत प्राप्त हुए हैं । इनमें से मैंने एक को महत्वपूर्ण और तात्कालिक महत्व का समझते हुए स्वीकार किया है । जो ३ अस्वीकार किये हैं, उनमें एक श्री नरसिंह नारायण पांडेय जी का है, जिसे मैंने संबन्धित मंत्री के पास सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजना निश्चित किया है । फरैंदा तहसील में कुछ इंसीडेंट के बारे में है ।

जो मैंने स्वीकार किया है उसे पढ़ता हूं । यह श्री काशीनाथ मिश्र का है--

"बलिया-बिहार के विवादग्रस्त सीमापवर्ती क्षेत्रों शाहाबाद जिले से लगे हांसनगर और जबहीं दीआरा क्षेत्रों के सैकड़ों एकड़ जमीन में रबी की फसल खड़ी है जो प्रचलित ध्रुवधारा सिद्धांत से बलिया के किसानों की जमीन है और उन्होंने बोया भी है जिसके कटने का समय भी करीब है । शाहाबाद (नैनीजोर) बिहार के किसान लाठी के जोर से उसे काट लेने की धमकी दे रहे हैं । हांसनगर और जबहीं बलिया जिले के गांव हैं । गत वर्ष भी सैंकड़ों एकड़ की फसल बिहार के किसानों द्वारा लूट ली गयी । यही लूटपाट की हालत रेवतीदीआरा के गोपालनगर-बशीष्टनगर लघुदीआरी इलाके में भी है जो बिहार के छपरा जिले से लगा है ।

इस प्रकार फसल कटने का समय नजदीक होने से बलिया के सीमापवर्ती किसानों में व्यापक क्षोभ और असन्तोष का वातावरण व्याप्त है । अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं इस आदरणीय सदन और सम्बद्ध मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।" माननीय मंत्री जी रेवेन्यु बतायें कि उनको इसका उत्तर देने में कब सुविधा होगी ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)--

इस संबंध में जिलाधीश बलिया से सूचना मंगानी पड़ेगी, दो-तीन रोज का अवसर दे दिया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

यह सवाल सन् १८८४ से सरकार के विचाराधीन है । बिहार और उत्तर प्रदेश का झगड़ा है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब तो वह नरसों आ रहा है । इससे आपको संतोष होना चाहिये । आपको उस पर विचार करने का अवसर मिलेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, आप तो अवसर देते हैं लेकिन सरकार तो देना नहीं चाहती ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, १५ तारीख को शायद बजट पेश किया जायगा, इसलिये १४ तारीख रख दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी को १४ तारीख में कोई असुविधा तो न होगी ?

श्री बृजबिहारी--

प्रयास करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है यह प्रश्न १४ तारीख को ले लिया जायगा ।

नार्दर्न इंडिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३†

श्री अधिष्ठाता--

मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि कल जिस बिल पर हमारे सामने गवर्नर महोदय की एसेंट नहीं आयी और जिस पर वाद विवाद स्थगित हो गया था उस पर गवर्नर महोदय की एसेंट प्राप्त हो चुकी है ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, गवर्नर महोदय की जो स्वीकृति प्राप्त हुई है वह मौखिक, टेलीफोन से अथवा तार से हुई है ?

श्री अधिष्ठाता--

मौखिक, टेलीफोन से प्राप्त हुई है और मेरे पास यह बात लिखित आ गयी है ।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि नार्दर्न इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने कहा कि टेलीफोन से स्वीकृति प्राप्त हुई है तो इसका क्या प्रमाण है कि टोलीफोन पर गवर्नर साहब ही बात कर रहे थे ?

श्री अधिष्ठाता--

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा अगर इस प्रकार की आपत्ति न उठाई गयी होती तो अच्छा होता । जो इसके लिये अधिकृत अधिकारी हैं वे अपनी आथोरिटी और जिम्मेदारी को समझ कर ही हमको लिख कर भेजते हैं । इसलिये जब तक वह चीज गलत साबित न हो जाय तब तक उसको ठीक ही समझना चाहिये । संबंधित जिम्मेदार अधिकारी को टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई और टेलीफोन पर किसी की आवाज को पहचानना कोई कठिन काम नहीं है । सेक्रेटरी टू गवर्नर ने मुझे लिखा है उससे अधिकृत और कौन दूसरा आदमी हो सकता है ?

श्री कल्पनाथसिंह--

संविधान में यह कहीं नहीं है कि टेलीफोन या तार से जो सूचना आयेगी उसको अधिकृत माना जायगा । अगर ऐसा कोई प्रावीजन है तो कृपया हमें बता दिया जाय ।

---

†७ फरवरी, १९६३ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री अधिष्ठाता—

विधान में सारी बातें विस्तार से नहीं लिखी जा सकतीं । विधान में केवल यह प्राविधान है कि कंसेंट प्राप्त की जायगी, यह नहीं है कि किस प्रकार से की जायगी—टेलीफोन से प्राप्त हो या लिखित हो । फिर भी उनके सेक्रेटरी के द्वारा मेरे पास लिखित आ गया है । उनको टोलीफोन से कंसेंट प्राप्त हो चुकी है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

यह कंसेंट सेक्रेटरी की है न कि राज्यपाल की । कल यह निश्चित हो चुका था कि राज्यपाल महोदय की ओर से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी आज भी केवल यह बताया कि टेलीफोन से स्वीकृति प्राप्त हुई है । तो मैं यह निवेदन करूंगा कि टेलीफोन की स्वीकृति, जैसा कि माननीय श्रीपालसिंह जी ने कहा, कभी भी संवैधानिक स्वीकृति नहीं मानी जा सकती क्योंकि जब तक लिखित स्वीकृति न हो तब तक हम इसको संवैधानिक स्वीकृति न मानने के लिये विवश हैं । मेरा यह नम्र निवेदन है कि जब तक राज्यपाल महोदय की लिखित स्वीकृति न आ जाय, तब तक इस बिल को इस हाउस के सामने न रखा जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो आपत्ति उठायी है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि किसी भी प्रक्रिया नियमावली या संविधान में इस प्रकार की स्वीकृति को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है । फिर हमारे इस सदन की यह परम्परा रही है और हमने कई और मौके पर टेलीफोनिक स्वीकृति को काफी समझा है । कोई कारण नहीं है कि उसे आज काफी न समझें । इसको मैं काफी समझता हूं ।

एक बात मैं और आपको सूचना के लिये बतला दूं कि संविधान के दो अनुच्छेद इससे संबंधित हैं । अनुच्छेद २०७ (३) में केवल इतना है कि उस पर डिस्कशन हो सकता है, बगैर स्वीकृति के विधेयक पास नहीं होगा । ऐसे हमने कल सदन की इच्छा के अनुसार काम किया और उस पर डिस्कशन भी नहीं किया, लेकिन डिस्कशन हो सकता था । फिर २५५ में स्पष्ट लिखा है कि बाद को भी कोई विधेयक अवैधानिक नहीं माना जायगा केवल इस कारण से कि समय पर स्वीकृति नहीं आयी । इन दोनों अनुच्छेदों के रहते हुए आपका यह आग्रह कुछ उचित नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, आपके फैसला देने के पश्चात् मैं जानना चाहता हूं और एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि कल उन दोनों धाराओं पर विचार करके चेयर से जब यह आपत्ति आयी और उन्होंने संविधान की धाराओं का हवाला दिया, उसके बाद निश्चय किया गया कि जब तक राज्यपाल महोदय की स्वीकृति न प्राप्त हो जाय, तब तक इस सदन में इस बिल पर विचार नहीं किया जायगा । मेरा निवेदन यह है कि जब यह निश्चय कल ही हो गया कि जब तक राज्यपाल महोदय की स्वीकृति इस पर नहीं मिल जायगी तब तक इस पर इस सदन में विचार नहीं किया जायगा, तो अब प्रश्न केवल इतना है कि राज्यपाल महोदय की स्वीकृति मिली या नहीं मिली और टेलीफोनिक स्वीकृति को या उनके सेक्रेटरी की स्वीकृति को हम वैधानिक मान सकते हैं या नहीं, यह मेरा प्वायंट है ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री मुकन्दीलाल जी, मैंने अभी आपको नहीं बुलाया है, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अगर यह मान भी लिया जाय कि राज्यपाल महोदय ने अपनी स्वीकृति दे दी है, तो जब से स्वीकृति उन्होंने दी, उसके पहले ही यह विधेयक

[श्री कृष्णपालसिंह]

पुरःस्थापित किया गया था । तो माननीय मंत्री जी से आप इस विधेयक को फिर से पुरःस्थापित करायें और फिर इसके तीन दिन के बाद ही इस विधेयक पर बहस हो सकती है, अगर यह मान भी लिया जाय कि टेलीफोन और तार वाली बात अपने स्थान पर सही है ।

(श्री वीरसेन के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

अभी आप बैठ जायं । इस संबंध में एक बात मैं आपको और बतला दूं कि जो निश्चय मैं कर चुका, उसके ऊपर और कोई विवाद की इजाजत मैं नहीं दूंगा और न यह उचित है । कल इसके ऊपर काफी विवाद हो चुका है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

कल और आज की स्थिति में बहुत अन्तर है ।

श्री अधिष्ठाता—

कल कंसेंट न आने की बात थी, लेकिन जब गवर्नर का टेलीफोनिक कंसेंट आ गया और उनके सेक्रेटरी का मेरे पास लिखित पत्र आ चुका और मैंने यह निश्चय दे दिया कि वह कंसेंट काफी है और उस निश्चय का आधार, जैसा कि मैंने बतलाया—हमारे नियमों में इसके विपरीत कोई आज्ञा न होना और हमारे सदन की पहली परम्परा—इसके बाद मैं इसके ऊपर कोई विवाद नहीं होने देना चाहूंगा ।

श्री कृष्णपालसिंह—

पहले आप इस विधेयक को मंत्री जी से पुरःस्थापित करायें, इसके तीन दिन बाद ही इस पर विवाद हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी जो आपत्ति है वह अपने स्थान पर दूसरी है । इसीलिये मैंने जिक्र किया था कि वास्तव में संविधान में बड़ी सफाई से लिखा है । यह अनुच्छेद २०७ (३) इस प्रकार है "जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राज्यपाल ने सिपारिश न की हो ।"

तो इस विषय में मैं यह कहूंगा कि जितना अब तक हुआ वह अवैधानिक नहीं है । इसके अलावा अगर हम कल भी विवाद आरम्भ कर देते तो वह भी अवैधानिक न होता परन्तु चूंकि सदन की इच्छा सर्वोपरि है इसलिये उसके अनुसार हम ने कल उस पर विवाद करना स्वीकार नहीं किया ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, आप अनुच्छेद २०७ (१) संविधान को देखें तो उसमें स्पष्ट कहा है कि "अनुच्छेद १९९ के खंड (१) के (क) से (च) तक उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित न किया जायगा तथा ऐसे उपबंध करने वाला विधेयक विधान-परिषद् में पुरःस्थापित न किया जायगा ।" यानी इसके अनुसार बहस की बात तो दूर रही पुरःस्थापित करने की भी मनाई बिना राज्यपाल की सिफारिश के हो जाती है, पुरःस्थापन भी नहीं हो सकता । अब राज्यपाल की जो अनुमति इस तरह से आई भी है उसके अनुसार यदि पुरःस्थापन हो भी जाय तो भी पुरःस्थापन के तीन दिन बाद ही इस पर बहस हो सकती है । यह संविधान में और प्रक्रिया में है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण . . . .

श्री अधिष्ठाता--

आप दूसरी बात कहें, कंसेंट के बारे में तो मेरी रूलिंग हो गयी।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमान्, बड़ा महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न है, आप रूलिंग गवर्नर की कंसेंट के बारे में दे चुके हैं, हम अब उस पर विचार नहीं कर सकते लेकिन आप पुनः और विचार करें और यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कंसेंट के माने क्या हैं, अगर कंसेंट टेलीफोन से मंगा लें और उनके सेक्रेटरी लिख कर भेज दें तो यह भी अभी सोचने की बात है कि वह संविधान के अनुकूल है या नहीं और अगर आप उस को कंसेंट मान भी लें तो उसके बाद पुनः इसका पुरःस्थापन होना चाहिये और उसके बाद तीन दिन का समय नियम के अनुसार मिलना चाहिये। इसको सोचकर आप व्यवस्था दें क्योंकि आपकी व्यवस्था के बाद न तो बहस हो सकती है और न उसका विरोध किया जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो उठाया गया है और सदन की मानमर्यादा की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि आप इस पर समझ सोचकर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता--

श्री कल्पनाथ सिंह कहें, क्या कहना चाहते हैं,लेकिन वह केवल पुरःस्थापन के विषय में ही कहें, जो कहना है।

श्री कल्पनाथसिंह--

यह तो मैंने पहले ही समझ लिया था। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ११७ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उसकी शब्दावली है कि "अध्यक्ष से इस विषय की प्रार्थना की जाने पर वे किसी विधेयक (उद्देश्यों और कारणों के विवरण एवं विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन तथा वित्तीय आभारों से संबंधित ज्ञापनों सहित, यदि कोई हो, और यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या राज्यपाल की सिफारिश सहित) के गजट में प्रकाशन का आदेश दे सकेंगे, यद्यपि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के लिये कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया हो।"

तो यह साफ है कि राज्यपाल महोदय की स्वीकृति जब तक इसके संबंध में न हो तब तक इस विधेयक को पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। यही मेरा निवेदन है आप से और आपके द्वारा इस सदन से।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर--

आपको मालूम होगा जब कोई तार भेजता है तो उस तार का भी यह परिणाम नहीं माना जाता है कि उसी ने तार भेजा है, जिसके नाम से वह आया हो इसलिये मेरी राय में फोन द्वारा गवर्नर की स्वीकृति नहीं मानी जा सकती।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मुकन्दीलाल जी आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि लीगल विभाग के मिस्टर सिंह डायस पर पहुंच कर आपको या सेक्रेटरी को कोई सलाह दें यह बहुत ही अनुचित है, कहां तक यह ठीक है कि कोई अधिकारी लीगल विभाग का आपको डायस पर जाकर सलाह दे इस पर आप व्यवस्था दें। मेरे खयाल से यह बहुत ही अनुचित है।

श्री अधिष्ठाता--

कल मैं इस बारे में अपनी व्यवस्था दे चुका हूं, अभी शायद उसकी स्याही भी नहीं सूखी है। अगर माननीय नेकराम जी ने उसको देखा होता तो कदाचित् यह अशंका न उठती। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनको इस सदन में आने का

[श्री अधिष्ठाता]

अधिकार है, उनसे कोई भी ,असिस्टेंस ली जा सकती है और लिया जाना वांछनीय है। इसलिये जरा समझने की कोशिश की जाय कि सदन में जब एक प्रश्न कानूनी उठता है तो संम्बन्धित कानूनों को देखना चेयर के लिये आवश्यक हो जाता है। समय बचाने के लिये यह आवश्यक है कि उस कंटेक्स्ट, रेफरेंसेज और संबंधित नियमों को तुरन्त अविलम्ब मांग लूं। यदि ऐसी आवश्यकता पड़ने पर कोई आदमी असिस्ट न करे, उसके माने यह होंगे कि कदम-कदम पर कानून देखने के लिये अध्यक्ष स्वयं ढूंढे और निकाले जिसमें काफी समय भी लगेगा और जो असंभव भी है। अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है, कि वह अपनी असिस्टेंस के लिये किसी को बुला सकते हैं और कोई जानकारी कर सकते हैं, उस पर आपत्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, संसद में ऐसा नहीं होता है कि डायस पर जाकर कोई अधिकारी या मिस्टर सिंह जाकर राय दें।

श्री अधिष्ठाता---

इस पर मेरी स्पष्ट व्यवस्था कल हो चुकी है। हर एक सदन अपने प्रोसीजर का मास्टर है। लोक सभा में यह भी नहीं होता कि प्रेस गैलरी बीच में रहती हो। लेकिन हमारे यहां यह चीज सूट करती है, हमने २०, २५ साल में इसको उचित समझा। अगर कोई चीज विधान के विरुद्ध न हो और उससे कार्य-संचालन में सुविधा हो, तो वह हो सकती है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि आया जब तक गवर्नर साहब की दस्तखती मंजूरी आपके पास न पहुंच जाय, तब तक आप फोन के जरिये स्वीकृति या सेक्रेटरी के कहने पर कैसे गवर्नर की अनुमति मान लेंगे। जब तक दस्तखती कागज गवर्नर की मंजूरी का अध्यक्ष के पास न पहुंच जाय या सेक्रेटरी के पास न पहुंच जाय तब तक उनकी अनुमति नहीं मानी जायगी।

श्री अधिष्ठाता---

मुझे खेद है कि पुनः वही प्रश्न उठाया गया जिसको मैंने मना कर दिया था। इस पर मेरी रूलिंग हो चुकी है। अब तो विचार कर रहे हैं कि मंत्री जी इसको पुरःस्थापित कर सकते हैं या नहीं। उसके विषय में माननीय वीरसेन कुछ कहना चाहते थे, कहें।

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)---

माननीय गवर्नर के दस्तखत के बारे में कुछ कहना चाहता था।

श्री अधिष्ठाता---

वह प्रश्न समाप्त हो चुका है।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---

मैं जानना चाहता हूं जैसा आपने कहा कि प्रेस गैलरीज नहीं इस तरह से बीच में रखी जाती है, पर आपने रखी हैं तो क्या कोई परिवर्तन सुविधाजनक ढंग से किया जाय तो उसी को आधार बना कर असुविधाजनक और अवांछनीय परिवर्तन भी कर लिया जाया करे?

श्री अधिष्ठाता---

यह आपकी राय की बात है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमान्, जो प्रश्न अभी आपके सामने पेश है, इसके संबंध में मैं निवेदन कुछ करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि प्रक्रिया नियमावली के नियम १३० का आप अंतिम पैरा देखें।

"किन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों

और सदस्यों द्वारा की गयी आपत्ति अभिभावी होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें।"

यह बड़ा मौलिक प्रश्न है कि अभी कल तक इस विधेयक पर राज्यपाल महोदय का कोई स्पष्ट मत नहीं आया था और आज यह कहा गया कि टेलीफोन द्वारा सूचना प्राप्त हो गयी है। आपने जो कहा कि मुझे उनके सेक्रेटरी का लिखित पत्र भी मिल चुका है तो शायद वह उस टेलीफोन के आधार पर ही होगा। लेकिन जब कोई विधेयक पुरःस्थापित किया जायगा तो यह अनिवार्य है कि जो विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया जायगा उसके साथ गवर्नर की सील और मुहर के साथ उनका पत्र भी आयेगा तभी यह समझा जायगा कि गवर्नर महोदय ने इस विधेयक को पढ़ा है और बिचार कर के उसे सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति दी है। इसलिये उनकी सील होनी चाहिये। केवल टेलीफोन से ही सूचना आनी काफी नहीं है।

दूसरे अगर यह मान भी लिया जाय कि गवर्नर महोदय ने यह आदेश दे दिया तो उसके बाद फिर यह विधेयक यहां पुरः स्थापित होना चाहिये। इसलिये जो पहले यह विधेयक यहां पुरः स्थापित किया गया वह कायदे के अनुसार नहीं हुआ। तो आज अगर यह विधेयक पुरः स्थापित हो तो नियमावली के मुताबिक तीन दिन का समय मिलना चाहिये और तब तक के लिये सदन की कार्यवाही इस विधेयक के संबंध में स्थगित रखी जाय।

श्री अधिष्ठाता--

सदन में शान्ति की आवश्यकता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मुझे निवेदन इतना ही करना है कि एक गलती हो चुकी है। सदन में इसका पुरःस्थापन बिना राज्यपाल महोदय की सिफारिश के हुआ और आज फिर कहा जाता है कि टेलीफोन द्वारा सिफारिश मंगाई गई। एक मिनट यह मान भी लिया जाय कि उन्होंने सिफारिश मंगा भी ली तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने गलती की क्यों और इतना जो यह लास आफ पब्लिक मनी ऐंड टाइम हुआ उसकी जिम्मेदार तो यह सरकार हुई। इसका यह अर्थ हुआ कि इनको काम करने का ढंग नहीं है, अन्धाधुन्ध जो चाहा किया, प्रोसीजर नहीं फालो किया। अगर यह मान भी लिया जाय कि सिफारिश मंगा ली तो ऐट बेस्ट यह हो सकता है कि आज इसका पुरःस्थापन हो और फिर तीन दिन के बाद विचार के लिये आये। इसमें मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को भी आप कहें कि उनकी जो इस प्रकार की अन्धागरदी होती है यह नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि आपके द्वारा नियमों का संरक्षण होना आवश्यक है क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले सदन में भी ऐसा ही एक बार हुआ था तो उस समय जो पीठासीन अध्यक्ष महोदय थे उन्होंने इसी ग्राउन्ड पर सदन को एडजर्न कर दिया था। तो उस समय की मर्यादा और परम्परा बनी है और श्रीमन् के द्वारा मर्यादा की रक्षा हो ऐसी हम सब की आशा और अपेक्षा दोनों है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, दो चीजें इसमें हम देखते हैं....

श्री अधिष्ठाता--

आपकी आपत्ति क्या है ?

श्री कमलासिंह यादव--

वही मैं बता रहा हूं, कांस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट है। इस सभा की जो विधायिनी क्षमता है उससे परे यह विधेयक है....

श्री अधिष्ठाता--

आपकी कोई नयी आपत्ति है ?

श्री कमलासिंह यादव--

जी हां।

श्री अधिष्ठाता--

तो वह बताइये ।

श्री कमलासिंह यादव--

उसी को मैं कह रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

अगर आपको कोई इस विषय में बात कहनी हो कि बिना गवर्नर की कल आज्ञा प्राप्त किये हुए इसे पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिये था, आज पुरःस्थापित करना उचित है तो वह कहिये ।

श्री कमलासिंह यादव--

उसी के बारे में कह रहा हूं । यह विधेयक सदन की विधायिनी क्षमता के परे है । इसमें ५० लाख रुपया पब्लिक से वसूल करने की बात है और ६ प्रतिशत इंट्रेस्ट भी वसूल होगा। दूसरी चीज यह है कि यह विधेयक ग्राम सभा के लोगों को कम्पलसरी लेबर के लिये बाध्य करता है । पंचायत राज्य ऐक्ट की धारा १९ (ए) में यह दिया गया है कि ४५ वर्ष से ऊपर के लोगों तथा स्त्रियों से किसी तरह की कम्पलसरी लेबर नहीं ली जा सकती । लेकिन इस विधेयक में कोई डिसटिंक्शन स्त्रियों के लिये या ४५ वर्ष से ऊपर वाले आदमियों के लिये नहीं है । इस तरह से मैं देख रहा हूं कि यह पंचायत राज्य ऐक्ट जो इसी सदन द्वारा बना हुआ है, उसको कंट्राडिक्ट करता है । यह सदन की विधायिनी क्षमता से बाहर है इसलिये इस सभा को अधिकार नहीं है कि इस पर बिचार कर सके । दूसरी चीज यह है कि गवर्नर महोदय ने अपनी सैंक्शन अब भेजी है । इसको न भी लें तब भी कांस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट यह है कि यह सदन इस विधेयक पर बिचार नहीं कर सकता, इसलिये मैं आब्जेक्शन पेश कर रहा हूं ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, जो सेक्रेटरी साहब ने कंसेन्ट भेजी है वह किस शक्ल में है क्योंकि टेलीफून की कंसेन्ट कोर्ट वगैरा में नहीं मानी जाती है। अगर कोई टेलीफोन से कह दें कि मंत्रिमंडल भंग कर दिया गया तो क्या आप मान जायंगे । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो गवर्नर महोदय की कंसेन्ट आई है उसको पढ़ दिया जाय ताकि मालूम हो सके कि उसकी शब्दावली क्या है ?

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं जानकारी चाहता हूं कि जो माननीय बलवान सिंह जी ने पूछा उससे संबंधित किन शब्दों में गवर्नर महोदय को इंफार्म किया गया और किन शब्दों में उन्होंने आज्ञा प्रदान की । एक बात और जानना चाहता हूं कि आपने गवर्नमेन्ट की कही बात को ही मान लिया या आपने भी गवर्नर महोदय को कांटेक्ट किया ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, नियमावली में यह है कि किसी विधेयक के पुरःस्थापित करने से पहले गवर्नर महोदय की स्वीकृति होनी चाहिये । लेकिन इसमें यह नहीं हुआ है। हाउस में पुरःस्थापित होने के बाद आज गवर्नर महोदय की स्वीकृति आई है, इसलिये यह अवैधानिक है। स्वीकृति मिलने के बाद पुरःस्थापित होना चाहिये और इसके तीन दिन के बाद इस पर बहस होनी चाहिये । अगर ऐसा नहीं होगा तो हाउस में पहली घटना होगी कि बिना गवर्नर की स्वीकृति के विधेयक पेश हुआ और फौरन बहस शुरु कर दी गई । इस तरह से गवर्नमेन्ट जो गलत काम करती है उसमें उस को और भी प्रोत्साहन मिलेगा । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सदन और हम लोगों की मर्यादा का खयाल करते हुए आज इस पर विचार न होनें दें । ऐसा आप प्रयास करें ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि गवर्नर महोदय की जो अनुमति आई है वह सिर्फ इसी बिल के लिये आई है या आगे के जितने बिल हैं उन सब के लिये आगई है ।

श्री अधिष्ठाता---

अगर कोई ऐसा प्राविजन होता कि सारे बिलों के लिये एक साथ कंसेंट आ जाती तो सदन का इतना समय जो कीमती था, नष्ट न होता। इसी के लिये आई है।

मैं अब अपने निश्चय से सदन को अवगत कराना चाहता हूं .....

श्री कल्पनाथसिंह---

इससे पहले कि आप अपना निर्णय दें, मैं यह चाहूंगा कि आप वह खत जरुर पढ़ें उसके बाद आप अपना निर्णय दें। आप का निर्णय शिरोधार्य होगा ही। यह बात भी है कि नयी परम्परा बन रही है। जिस स्थान पर आप बैठे हैं जब वहां से नयी परम्परा का सृजन होने लगता है तो जरा सोच विचार करके सृजन हो तो अच्छा रहेगा।

श्री अधिष्ठाता---

मैं सदन की सूचना के लिए पहले तो यह बताना चाहता हूं कि जहां तक कंसेंट का संबंध है, गवर्नर महोदय के सेक्रेटरी का पत्र मेरे सामने है। मैने स्वयं सीधे उनसे संपर्क स्थापित करके जानकारी कर ली। कंसेंट कल प्राप्त नहीं थी। उनकी टेलीफोन द्वारा कंसेंट प्राप्त हुई जिसकी लिखित अधिकृत सूचना मुझे दे दी।

श्री बलवानसिंह---

लेटर क्या है ?

श्री अधिष्ठाता---

उसको आकर आप देख सकते हैं।

मैने इस विषय में अपनी व्यवस्था पहले दे दी कि उनकी जो कंसेंट आयी है वह बिलकुल वैधानिक है। कोई नियम उसके विरुद्ध नहीं है।

एक सदस्य---

किस तारीख का है ?

श्री अधिष्ठाता---

आज का है।

श्री बलवानसिंह---

आप को कोई दिक्कत है पढ़ने में।

श्री अधिष्ठाता---

यह कुछ आवश्यक नहीं मालूम होता है।

श्री बलवानसिंह---

जो कंसेंट का लेटर आया है उसको पढ़ कर बता दीजिये क्योंकि उस पर हमें शुबहा है कि टेलीफोन से कंसेंट आयी है या नहीं।

श्री अधिष्ठाता---

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह विषय समाप्त हो चुका, मैं उससे संतुष्ट होकर निश्चय दे चुका, फिर हर माननीय सदस्य को यह मौका है, वह पत्र मेरे पास रखा है, वह आकर देख सकते हैं। बड़ा स्पष्ट है, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा है--

"Private Secretary to Governor

The Governor has been pleased to accord his recommendation for consideration of the Bill into the U. P. Legislative Assembly and the U. P. Legislative Council .....

एक सदस्य---

किस बिल के बारे में है ?

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)--

इस पत्र के पढ़ने के बाद निश्चित हो गया कि गवर्नर ने स्वीकृति नहीं दी है। सेक्रेटरी ने अपनी स्वीकृति दी है।

श्री अधिष्ठाता--

सदन में इस प्रकार अव्यवस्था नहीं चल सकेगी।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

आप व्यवस्था नहीं चलायेंगे तो कैसे चलेगी।

श्री अधिष्ठाता--

जो माननीय सदस्य बिना आह्वान किये बोलेंगे उनका कोई कहना प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं माना जायगा।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

आप उसको पहले पढ़ दें।

श्री अधिष्ठाता--

आपने पूरी बात कहने नहीं दी।

"It is to inform that the Governor on the telephone accorded his recommendation for the moving for consideration of the following Bills:

(1) Norther India Canal and Drainage (Amendment) Bill, 1963.

(2) Soil and Water Conservation Bill, 1963."

तो अब इसके बाद इस विषय में कोई प्रश्न उठता नहीं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

मेरा आप से उस संबंध में स्पष्टीकरण है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने सिगनेचर और सील से आपको कंसेंट उस बिल पर भेजा है और यदि अपने सिगनेचर और सील से कंसेंट नहीं भेजी है तो क्या यह कायदे से पुरःस्थापित हो सकता है या नहीं? इस पर भी आप व्यवस्था दें या कलैरिफिकेशन दें।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

श्रीमन्, जो आपने पढ़ा उससे यह स्पष्ट व्यक्त हो गया कि महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति उनके हस्ताक्षर से नहीं आयी है, उनसे टेलीफोन पर बात की गयी और उन्होंने टेलीफोन पर स्वीकृति दी जिसकी सूचना उनके सेक्रेटरी ने दी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्वीकृति नहीं हुई, आप अलग परम्परा कायम करना चाहते हैं और सेक्रेटरी द्वारा लिखे हुए पत्र के शब्दों को आप महामहिम के मुंह में रखना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं अन्तिम निश्चय इस पर दे चुका हूं और इस पर अब कोई विवाद नहीं चाहता।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

यह पुरःस्थापित नहीं हो सकता। इस पर आपने कोई निश्चय नहीं दिया है। प्रश्न पहले तो केवल यह है कि महामहिमराज्यपाल ने कोई स्वीकृति दी नहीं और यदि दी भी तो वह उनकी सील मुहर और उनके दस्तखत से नहीं है। उनके सेक्रेटरी ने अपने तरीके से आपके सेक्रेटरी महोदय को यह सूचना दे दी है।

श्री अधिष्ठाता--

यह नई बात नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नेकराम शर्मा--

एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्रीमन्, जो आपने पत्र पढ़ा है उससे मैंने यह समझा कि संयुक्त कंसेंट आई है इस सदन के लिये और काउंसिल के लिये, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा

क्यों है। विधान सभा में जब बिल पेश होता है तो उसके लिये अलग स्वीकृति आनी चाहिये और कौंसिल में हफ्ते दो हफ्ते बाद जब आये तो उसके लिये अलग। ज्वाइन्ट कंसेंट न आज तक आई और न ऐसी परम्परा है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कभी राज्यपाल महोदय ने ज्वाइन्ट कंसेंट इसके पहले किसी बिल के लिये दी या यह पहली बार है?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो पत्र आपने पढ़ा है वह प्राइवेट सेक्रेटरी की ओर से आया है। तो जरा मुझे यह बताने की कृपा करें कि प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट के क्या-क्या फंक्शंस और ड्यूटीज हैं? वह क्या क्या गवर्नर महोदय की ओर से कर सकते हैं? क्या यह नई परम्परा बनाई जा रही है? इससे मुझे बड़ा डर लगता है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्.....

श्री अधिष्ठाता—

संक्षेप में ही कहियेगा।

श्री लखीसिंह—

मैं बहुत थोड़े ही में कहूंगा, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो प्रति विधेयक की हमें दी गयी है इसमें २, ४ लाइनें तो हिन्दी की लिखी है बाकी सब इंगलिश चल रही है। आप जैसे व्यक्ति के वहां आसीन रहते क्या यह बीमारी दूर नहीं हो सकेगी कि हिन्दी में ही यह आये और हम इसको पढ़ सकें।

श्री अधिष्ठाता—

लखी सिंह जी, एक व्यवस्था चल रही थी आपने दूसरा प्रश्न उठा दिया। मैं आपकी सूचना के लिये बता दूं कि यह व्यवस्था मेरे ही द्वारा दिन में हुई थी कि जो मूल अधिनियम हिन्दी में होता है उसमें हिन्दी में संशोधन आवेंगे और जो मूल अधिनियम अंग्रेजी में होंगे उनके संशोधन अंग्रेजी में, क्योंकि अगर उनमें संशोधन हिन्दी में आवें तो फिट इन नहीं हो सकते। इसलिये यह मानी हुई परम्परा के हिसाब से ठीक है।

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरी गुजारिश यह है कि यह जो स्वायल ऐंड वाटर कंजर्वेशन बिल तथा नार्दन इंडिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज बिल है, दोनों विधेयक जिन पर गवर्नर की कंसेंट या रिकमेंडेशन के सिलसिले में बहस हो रही है, कोई भी इसमें से मनी बिल नहीं है। आर्टिकिल २०७-संविधान का इस प्रकार है। मैं आपकी इजाजत से अंग्रेजी में आपके सामने पढ़ता हूं और मेरे मित्र जो सामने बैठे हैं वे मुझे क्षमा करेंगे कि मेरे पास इस समय अंग्रेजी का है.....

'**Article 207 (1)**—'A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clause (*a*) to (*f*) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or move except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council :"

Artcle 199 (1)—For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely —

(*a*) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;

(*b*) The regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the State, or the amendment of the law witth respect to any financial obligations undertaken or to be under-taken by the State :

[श्री चरण सिंह]

(*c*) the custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of the State, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such Fund;

(*d*) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State.

(*e*) the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of the State, or the increasing of the amount of any such expenditure ;

(*f*) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of the State or the public account of the State or the custdy or issue of such money,

तो आप देखें कि "ए" से "एफ" तक जो बातें इस में लिखी हैं उनका इसमें सवाल नहीं उठता है । जिन बातों का जिक्र इन मदों में है वह इसमें नहीं है। यही चीज आगे आर्टिकिल २०७ (२) से और भी साफ हो जाती हैं--

'**Article 207(2)**—A Bill or amendment shall not be deemed to make provision for any of the matters aforesaid by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.'

इसमें आप देखें कि लोकल बाडी का भी प्रश्न नहीं है। इसमें जिक्र है कि फीस फार सर्विसेज । गवर्नमेन्ट अगर कोई काम किसान के फायदे का करे और उनको उसे करने के लिये मौका दे और अगर वे न करें , गवर्नमेन्ट खुद उनके बिहाफ पर उसको कर दें और उसके एवज वह खर्चा उनसे ले ले जो उसके बेनिफिशरीज हैं तो उससे यह मनीबिल कैसे हो जाता है । यह नार्दर्न इन्डिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज बिल तथा सुआयल एन्ड वाटर कन्जरवेशन बिल, दोनों ही किसानों को काम करने के लिये एक मौका देते हैं। अब वह अगर नालियां नहीं बनाते, तो गवर्नमेन्ट उनकी बनादेगी और उसका खर्च उनसे ले लेगी । तो दोनों बिल प्रोवाईड करते हैं फार दि फीस फार सर्विसेज रेन्डर्ड । इसलिये यह दोनों ही बिल मनी बिल नहीं है।

दूसरी बात यहहै कि फर्ज कर लीजिये यह मनी बिल्स हैं । तो जिस वक्त यह बिल इन्ट्रोडयूस किये गये थे, उस वक्त यह आपत्ति उठानी चाहिये थी । (व्यवधान) फिर सेक्रेटरी साहब गवर्नर साहब की तरफ से फंक्शन कर सकते हैं या नहीं उसके लिये भी आर्टिकिल १५४ में साफ दिया हुआ है--

'**Article 154(1)**—The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.'

तो गवर्नर महोदय किसी भी सबार्डीनेट आफिसर द्वारा अपनी कनसेन्ट को इस हाउस तक कम्यूनिकेट कर सकते हैं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

अधिष्ठाता महोदय, जहाँतक मैं समझता हुं, चौधरी साहब का यह कहना है कि यह मनीबिल नहीं है। आपके विभाग द्वारा जो यह बिल पब्लिश हुआ है इसमें इसके साथ ही एक वित्तीय ज्ञापन पत्र भी है। इसमें यह लिखा हुआ है कि प्रथम वर्ष ५०० रुपये के हिसाब से २,००० मील, द्वितीय वर्ष ५०० रुपये के हिसाब से ४,०० मील, तृतीय वर्ष ५०० रुपये के हिसाब से ४,००० मील । सवाल यह है कि जब यह सब खर्चा होगा तो यह सब कहां से आयेगा ? स्टेट ट्रेजरी से आयेगा । आप फिर उसको वसल करेंगे किसानों से यह अलग बात है । स्टेट

ट्रेजरी से खर्च होगा, सदन की परमीशन से खर्च होगा तो क्या यह मनीबिल नहीं है? आखिर टैक्सेशन क्या है? वह भी तो एक पेमेंन्ट है फार दि सर्विसेज रेन्डर्ड। यह कोई ब्राह्मणभोज की भिक्षा नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह मनीबिल है। यह वित्तीय ज्ञापन बता रहा है कि कितना खर्चा होगा और वह वसूल चाहे फीस के रूप में हो, चाहे कोई टैक्स के रूप में हो। अगर यह मनीबिल न होता तो विभाग के सेक्रेटरी यह ज्ञापन पत्र क्यों लगाते? मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि यह इतने बड़े बड़े सेक्रेटरी सब बुद्धिहीन हो गये हैं, केवल बाल का खाल निकालने के लिये ही यह कहा जा रहा है कि यह मनीबिल नहीं है। मैंने आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि यह मनीबिल है।

श्री नेकराम शर्मा—

मनी बिल के अलावा क्या कोई बिल बिना स्वीकृति के आ सकता है?

श्री अधिष्ठाता—

यह आप मुझसे पूछ सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

जो ज्ञापन पत्र है उसमें श्रीमन्, ६ प्रतिशत व्याज भी लेने की बात है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर किसी बेपढ़े आदमी को ला की किताब दी जाय पढ़ने के लिये और वह न पढ़ पाये।

तो कहा जाय कि तुमसे १०० रूपये वसूल होंगे दूसरे आदमियों को देने के लिये जो कि उस कानून को पढ़ दें। तो इस विधेयक के जरिये से गांव का जो आदमी है उसके साथ यही होने जा रहा है। वह कोई टेक्निकल हैंड तो नहीं है, और न वह गूलों वगैरह के काम में माहिर हैं, न कैनाल बनाने में माहिर है, ठेकेदार वगैरह ही इसमें माहिर हो सकते हैं, अगर इस विधेयक में कहीं यह बात आयी होती कि सरकार के अवरसियर या और अफसरों के सुपरविजन में ये लोग यह काम करेंगे तब तो यह बात कही जा सकती थी कि उन लोगों को हम फोर्स नहीं कर रहे हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है अगर है तो सरकार दिखा दे कि कहाँ इसका प्राविजन है। तो उस वक्त अगर वह इस काम को नहीं करेंगे जिसकी कि कोई जानकारी उनको नहीं है, तो ५० लाख रुपया ६ परसेंट सूद के साथ उनसे वसूल करने की बात इसमें है। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर धन विधेयक और क्या हो सकता है, यह क्लीअर टैक्सेशन है इन्डाइरेक्ट वे में और मैं समझता हूं कि अगर गवर्नर का सेंक्शन आ भी गया है तो भी हम लोगों का कांस्टीट्यूशनल विरोध इस माने में है श्रीमन्, कि यह इस सदन की विधायिनी क्षमता के परे है। मैंने दो बातें बतायीं, एक तो यह कि ५० लाख रुपया उनसे टैक्स के रूप में वसूल किया जायगा और दूसरी यह कि पंचायत राज ऐक्ट की धारा १९-ए को अगर आप पढ़ लें....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

प्वाइंट आफ आर्डर। मैं आपकी इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि जब आप एक व्यवस्था दे चुके कि यह विधेयक गवर्नर की स्वीकृति के बिना भी पुरःस्थापित हो सकता है, केवल पास नहीं हो सकता है...

श्री अधिष्ठाता—

ऐसी कोई व्यवस्था मैंने नहीं दी।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, आपने यह व्यवस्था दी है कि यह पास नहीं हो सकता है। मैं अपनी बात कह दूं अगर गलत हो संशोधन कर दीजियेगा। आप इस बात पर अपना निश्चय दे चुके हैं कि यह विधेयक पास नहीं किया जा सकता बिना गवर्नर के रेकमेंडेशन के लेकिन जहां तक बहस का प्रश्न है बहस की जा सकती है और जहां तक पुरःस्थापन की बात है, पुरःस्थापन भी बहस की सीमा के अन्तर्गत आता है तो आपके विनिश्चय के बाद जो यह दर्जनों आदमी आपके निर्णय के ऊपर बोल रहे हैं यह किस नियम के अनुसार बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता —

मैं केवल इतना बता दूं कि मैंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी है।

श्री कमलासिंह यादव —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पंचायत राज ऐक्ट की धारा १९-ए का जिक्र कर रहा था। उसमें यह है Power to require compulsory labour in certain cases. इसके अनुसार ९६ घंटे तक लोगों से फोर्स्ड लेबर लिया जा सकता है लेकिन फीमेल्स और ४५ वर्ष से ऊपर के लोगों को एग्जम्प्शन उसमें दिया गया है। इस विधेयक के अनुसार जितने मेम्बर हैं गांव सभा के सबको फोर्स कर रहे हैं कि वह कम्पलसरी लेबर इस तरीके से करें और अगर वह मजबूत होते हैं या इनकार करते हैं इस काम को करने से तो वह अपने ठेकेदार या ओवरसियर के द्वारा यह काम करायेंगे और जो उस पर खर्चा होगा वह उन्हीं गांव वालों से वसूल करेंगे। इस तरह से वह चीज फोर्स कर रहे हैं जो कि पंचायत राज कानून के खिलाफ जाता है और उस चीज को रख रहे हैं कि जो इस सदन की विधायिनी क्षमता के परे है। इसलिये मैं इसका कांस्टीट्यूशनली विरोध करता हूं और यह नहीं आ सकता है। दूसरी बात यह है कि गवर्नर की रिकमन्डेशन के बाद इस बात को मानें कि आज यह विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, यह कहा गया कि यह धन विधेयक नहीं है। मैं समझता हूं नियम १५०(२) को अगर देखा जाय तो पता चलेगा कि यह उस नियम के अन्तर्गत जाता है। आप अगर देखेंगे तो १५०(२) में यह दिया हुआ है कि "सचिव विधेयक की तीन प्रतियां अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा और यदि वे उसको ठीक अनुमोदित करें तो उन पर हस्ताक्षर करेंगे। धन विधेयक की दशा में वे अनुच्छेद १९९(४) के अन्तर्गत प्रमाण अंकित करेंगे: परन्तु अध्यक्ष के उपस्थित न रहने पर अविलम्बनीय अवस्था में सचिव अध्यक्ष के कृते विधेयक को प्रमाणित करेगा:" (२) उक्त प्रतियों में से दो प्रतियां परिषद् को उसके विचारार्थ तथा धन विधेयक की दशा में उसकी सिफारिश के लिये निम्नलिखित रूप में भेजी जायंगी:"। इस पर यह फार्म भी दिया हुआ है जिस पर अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र अंकित होगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह धन विधेयक है।

श्री अधिष्ठाता —

मैं अभी नरसिंह नारायण जी की आपत्ति को सुन रहा था जो अभी अन्त में उन्होंने उठाई। मैं समझता हूं कि उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जो नियम १५० वह पढ़कर सुना रहे थे वह तो जब यहां से विधेयक पास होकर कौंसिल में जाता है उस समय उसका सम्बन्ध होता है। इसलिये वह तो हमारे लिये रेलीवेन्ट नहीं है। प्रश्न केवल इतना है कि गवर्नर महोदय की कन्सेन्ट कल प्राप्त नहीं हो पाई तो ऐसी शक्ल में आज माननीय मन्त्री जी विचार के लिये इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं। इस विषय में मैंने सदन के माननीय सदस्यों के बहुत विस्तारपूर्वक विचारों को सुना और उससे मुझे बहुत प्रकाश भी मिला। मैंने संविधान के अनुच्छेद २०७ को देखने का यत्न किया और उसके बाद मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि इसमें दो अलग-अलग बातें हैं। उस सम्बन्ध में मैं अनुच्छेद २०७ के सब-क्लाज (३) को पढ़ देना चाहता हूं:

'(3) A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of a State shall not be passed by a House of the Legislature of the State unless the Governor has recommended to that House the consideration of the Bill.'

संविधान के अनुच्छेद २०७ के पैरा (३) के अलावा उसके उप पैरा (१) और (२) में यह उल्लिखित है कि जो मामले १९९ धारा की ए से जी तक आते हैं केवल उन्हीं पर वह लागू होती है। मैंने बहुत अध्ययन करके यह देखने का यत्न किया कि ए से जी तक जो प्रतिबन्ध हैं वे इस विधेयक में आते है या नहीं, मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि वह नहीं आते हैं, इसलिये इसमें केवल उपधारा (३) लगती है।

अब यह भी आपत्ति की गयी थी कि एक वित्तीय ज्ञापन इसमें संलग्न है और इसके माने यह हो सकते हैं कि स्वयं विभाग ने इसको मनीबिल माना है। जहां तक ज्ञापन का सम्बन्ध है, वह दोनों ही हालतों में होना आवश्यक है---जब कि एक्सपेंडिचर इंवाल्व हो या वह 'ए' से 'जी' तक किसी धारा के अन्तर्गत आता हो। तो उस ज्ञापन का दोनों ही हालतों में आना आवश्यक था। चूंकि यह २०७ के उपखंड (३) में आता है, इसलिये इसमें कोई आवश्यकता इस बात की नहीं है कि इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर ही माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो। चूंकि मैं पहले यह निश्चय दे चुका कि माननीय राज्यपाल की जो एसेंट टेलीफोन द्वारा प्राप्त हुई वह वैध है और परम्परा और नियमों के अनुसार वैध मानी गयी है सवर्था। अत: इस समय के इस निश्चय के अनुसार मैं यह समझता हूं कि हम इस के आगे अपने विवाद के लिये चल सकते हैं। इसलिये मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी से कहूंगा कि वह कृपया अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

जो पुर:स्थापन का विषय था, उस पर आपने अपना कोई विचार नहीं प्रकट किया।

श्री अधिष्ठाता---

मुझे खेद है कि वह बात स्पष्ट नहीं हो सकी। मैंने स्पष्ट बतलाया कि इसे पुरः स्थापित करने का अधिकार इसलिये है कि गवर्नर महोदय की कंसेंट प्राप्त होने का डिफेक्ट अगर था तो वह क्लियर हो चुका क्योंकि अनुच्छेद २०७(३) ही इसमें लगता है और इसमें जो प्रतिबन्ध है वह केवल भेजने के लिये है। इस स्टेज के लिये नहीं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि २५५ जो संविधान का अनुच्छेद है उसको भी देखने से मालूम होता है कि संविधान का मंशा यह नहीं है कि किसी पार्टिकुलर स्टेज पर अगर कसेंट प्राप्त न हुई हो और उसके बाद कंसेंट प्राप्त हो जाय तो वह अवैध माना जायगा या अनधिकृत माना जायगा। इसलिये वह वैध है।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

एक मिनट में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

लेकिन अब इस पर बहस नहीं होगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

मैं अपनी जानकारी के लिये चाहता हूं कि जो रूलिंग हुई वह रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट के साथ हुई कि जब भी राज्यपाल महोदय की रेकमेंडेशन आये ता वह रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से मानी जायगी।

श्री अधिष्ठाता ---

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सदन में जब शहरों की आबादी पर टैक्स लगाने की बात थी, उसका बिल पेश था तो उस समय भी यह प्रश्न आया था और सदन ने यह निश्चय किया था कि हम इस पर विचार जारी रखें और उसे पास उस समय करें कि जब माननीय राज्यपाल की कंसेंट आ जाय। विचार हम जारी रख सकते हैं। तो उसे पास करना हमने सस्पेंड रखा, लेकिन विचार जारी रहा और कंसेंट आने के बाद हमने उसको पास किया।

श्री कृष्ण पालसिंह ---

उस समय म्युनिसिपैलिटीज के टैक्सेशन के लिये राज्यपाल महोदय ने मंजूरी दी थी और उसमें बीच में कंट्न्मेंट के टैक्सेशन की बात भी आ गयी। तो यह हुआ कि इससे आमदनी बढ़ जायगी और जो वित्तीय ज्ञापन दिया गया था उसमें अन्तर आ जायगा। और जब यह प्रश्न उठा तो यह हुआ कि आमदनी बढ़ जाने की वजह से राज्यपाल महोदय की कंसेंट की आवश्यकता है.....

श्री अधिष्ठाता ---

आप जो बात कह रहे हैं वह इससे आगे जाता है।

श्री कृष्णपालसिंह ---

तो बहस उतने भाग पर जारी रही और म्युनिसिपैलिटीज और कैन्टूनमेंट के टैक्सेशन का जो भाग था वह स्थगित कर दिया गया था। जब राज्यपाल की मंजूरी उसके लिये आ गयी उस समय वह विषय लिया गया था। यह नहीं हुआ था कि उसके लिये रिट्रास्पेक्टिव परमीशन ले ली गयी हो।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय श्रीपाल सिंह, आप कुछ कहना चाहते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह---

जी हां, जो आपने निर्णय दिया है उसी के बारे में पूछ रहा हूं। पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा उनको दे दी गयी ?

श्री अधिष्ठाता---

वह तो हो चुका और अब मैं उनको भाषण के लिये आह्वान भी कर चुका हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह---

लेकिन प्रक्रिया नियमावली के नियम ११८ (२) को भी आप देख लें....

श्री अधिष्ठाता---

इसके माने यह होंगे कि इस चेयर से जो रूलिंग होगी, उस पर इस हाउस में उसी समय वादविवाद शुरू हो जायगा। यदि आप उस पर विवाद करना चाहते हैं तो उस के लिये नियम है। अगर आप रूलिंग से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उस पर वाद-विवाद करें नियमों में, जिस प्रकार प्रोवाइडेड है उस के अनुसार। अगर आप उसे इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते है तो समय और प्राविधान के अनुसार उस पर विवाद कीजियेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह---

श्रीमन्, यह तो आप उनको पुरःस्थापन करने की अनुज्ञा दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---

यह तो ७ फरवरी को ही हो गया था।

श्री राममूर्ति---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के जरिये, इस माननीय सदन के सदस्यों को जो कि विभिन्न पार्टीज के हैं.....

(व्यवधान)

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, गवर्नर साहब की सैंक्शन इस विधेयक पर आ गई है और इस विधेयक को इस आदरणीय सदन के सामने रखा जा रहा है....

श्री अधिष्ठाता---

इसमें गवर्नर महोदय की कंसेंट तो प्राप्त हो चुकी है।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन् यह विधान सभा की क्षमता से परे है और इसलिये यह सदन के अन्दर टेक-अप नहीं किया जा सकता है। यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अधिष्ठाता---

मैं यह घोषित कर चुका हूं कि यह विधान सभा की क्षमता के अन्दर है और यह परे नहीं है।

श्री बलवानसिंह—

आपने जो निर्णय दिया है, उससे संयुक्त समाजवादी दल संतुष्ट नहीं है और इसलिये वह २ मिनट के लिये वाक आउट करता है। यह समाजवादी परम्परा के प्रतिकूल है।

(इसके उपरान्त संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री यादवेन्द्रदत्त—

श्रीमन्, मैं भी आपके निर्णय से संतुष्ट नहीं हूं और इसलिये जनसंघ भी ५ मिनट के लिये वाक आउट करता है क्योंकि आप अपनी रूलिंग गलत दे रहे हैं।

(जनसंघ दल के सदस्यों ने ५ मिनट के लिये सदन का त्याग किया।)

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन् आपसे हम लोगों को बड़ी आशायें थीं कि आप सदन की परम्पराओं का पालन करेंगे। लेकिन मैं तो यह देख रहा हूं कि आप तो उनसे भी आगे चले गये। इसलिये हम लोग भी दो मिनट के लिये सदन का परित्याग करते हैं।

(इसके उपरान्त श्री नेकराम शर्मा ने अपने दल सहित २ मिनट के लिये सदन का त्याग किया।)

श्री राममूर्ति—

माननीय अधिष्ठाता जी, जैसा इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है कि सिंचाई विभाग की ऐसी परम्परा रही है कि नहरों के बन जाने से और यह ट्यूबवेल्स के बन जाने के बाद जो गूलें किसानों के खेतों तक जाती हैं, उन्हें वह ही बनाते हैं और यह पद्धति जब से विभाग बना है तभी से चली आ रही है। पिछले जमाने में जब से यह योजना काल शुरू हुआ था, उससे पहले तक जितना भी सिंचाई का पोटेन्शियल सरकार के जरिये से बना, उसका ठीक इस्तेमाल होता रहा। लेकिन सेकेन्ड प्लान के समय से यह देखने में आ रहा है कि जो पोटेन्शियल बना, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप देखें कि सेकेन्ड प्लान के आखिर तक ११८ लाख २४ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई का हमारा पोटेन्शियल था और कुल १०४ लाख ५४ हजार एकड़ जमीन पर पानी का इस्तेमाल हुआ और बाकी पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके बाद १९६१–६२ में ३ लाख एकड़ पोटेन्शियल हमारा क्रियेट हुआ, और उसके खिलाफ १ लाख ४० हजार पानी का इस्तेमाल हुआ। पर सन् १९६२-६३ में २ लाख ६३ हजार नया पोटेन्शियल क्रियेट हुआ और उसके एगेन्स्ट १ लाख ४० हजार एकड़ में पानी गया। अब सन् १९६३-६४ में भी यह खयाल किया जाता है कि करीब ४ लाख ५६ हजार एकड़ के लिये पानी की व्यवस्था हो रही है और यह जिस गति से पानी का इस्तेमाल हो रहा है, उससे यह खयाल किया जा रहा है कि करीब डेढ़ लाख एकड़ जमीन पर पानी हो पायेगा। इस तरीके से १,२८,६३,००० एकड़ के लिये पानी की सुविधाय बनायी गयी हैं जिसमें १०८ लाख एकड़ से कुछ ज्यादा जमीन पर पानी का इस्तेमाल हुआ है और २० लाख एकड़ के लिये पानी की सुविधायें की गयी हैं उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैंने, जैसा कि अर्ज किया, सिंचाई विभाग का यही दस्तूर-अमल रहा है कि गूलें सब किसान बना देते हैं, लेकिन जो मूल अधिनियम है उसके अन्दर कोई ऐसा प्रावीजन नहीं है जिसमें सरकार किसानों के लिये मजबूर कर सकें कि वह नहरों की गूलें बनायें और पानी का इस्तेमाल करें। एक बात यह भी सोचने की है कि अगर पानी का इस्तेमाल नहीं होता तो सरकार के लिये और जनता के लिये भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता और सरकार का बेइंतहा नुक्सान हो रहा है। अगर पानी का सही इस्तेमाल होता तो गल्ले की पैदावार ज्यादा होती।

श्री बलवानसिंह—

पानी के सही इस्तेमाल से क्या मतलब है?

श्री राममूर्ति ---

पानी का खेत में पहुंचना। पानी लोगों के खेतों तक ही नहीं पहुंचने पाता। मैं यह यह अर्ज कर रहा था कि इन हालात में हमारा मुल्क, बड़े अफसोस की बात है कि कृषि प्रधान होते हुये भी इतना गल्ला पैदा नहीं कर पाता कि हम अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। उसके फलस्वरूप करोड़ों रुपये का गल्ला बाहर के मुल्कों से आता है और साधनों और कल कारखानों को बढ़ाने के लिये पैसा जहां लगाना चाहिये था वहां नहीं लग पाता। दूसरा पहलू यह भी है कि जब किसानों की आमदनी नहीं बढ़ती तो उनकी गरीबी बढ़ती जा रही है, स्टैंडर्ड आफ लिविंग में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती।

(इस समय १२ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट पीठासीन हुए।)

इसके अलावा एक और जरूरी बात है। पहली योजना तक जो पानी की योजनायें बनीं वह अच्छी होने के कारण सस्ती बनीं, अब जो बन रही हैं उनमें खर्चा बहुत है और रुपया जो लगता है उसका जो निर्धारित सूद आना चाहिये वह भी नहीं आता। मामूली तरीके से यह नियम है कि साढ़े चार परसेंट पूंजी की लागत पर सूद आना चाहिये। कितनी ही योजनायें हम ऐसी बनाते हैं कि एक या आधा परसेंट सूद भी नहीं आता, बल्कि शुरू से ही घाटा हुआ करता है। अधिष्ठाता महोदय, यह कल्याणकारी राज्य है, यह अवश्य है कि इसमें इस बात का ध्यान नहीं होना चाहिये कि रुपया लगाने के बाद जो निर्धारित सूद की दर है वह आ ही जाय। मैं मानता हूं, और इसी के जेरअसर सिंचाई के काम हो रहे हैं, लेकिन एक उसकी हद होगी जहां तक रुपया लगाया जायगा। अगर बराबर यही हो कि रुपया लगाया जाय और निर्धारित सूद न आये तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से एतराजात होते हैं। फिर जिन कामों में पूंजी लगायी जाती है उनका पूरा उपयोग न हो और नतीजे न निकलें तो आगे के लिए रुपया आने में रुकावट होती है। साथ ही पूंजी का सूद न आने पर भार सारी स्टेट पर फैलाया जाता है और जिन लोगों को फायदा पहुंच रहा है उनसे वसूल न होकर दूसरों पर उसका भार पड़ता है, जो अनुचित है। थर्ड प्लान के आखिर तक शायद एक तिहाई जमीन जिसपर खेती हो रही है उस पर सरकारी तरीके से हम सिंचाई का इन्तजाम कर पायेंगे। इसके माने यह हैं कि साढ़े चार करोड़ एकड़ में से ३ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी ही रह जायगी जहां पानी के साधन न होंगे और जिनके पास कोई पानी का साधन नहीं है वह नुकसान उठायें, यह भी मुनासिब नहीं है।

श्री बलवानसिंह---

क्या इस बिल के पास हो जाने से साढ़े चार करोड़ एकड़ को पानी मिल जायगा?

श्री राममूर्ति---

मैं यह कह रहा था कि साढ़े चार करोड़ एकड़ में पानी देने का प्रबन्ध किया जा रहा है और हर साल उसका पोटेंशियल बराबर बढ़ाया जा रहा है। यह नहीं है कि इसबिल के जरिये से साढ़े चार करोड़ एकड़ के लिये इन्तजाम किया जा रहा है। सवाल इस समय यह है कि जितना रुपया हम लगाते हैं उससे लोगों को लाभ अवश्य होना चाहिये। इसके लिये जरूरत पड़ी कि इस बिल को लाया जाय। इस सिलसिले में जो शंका उठाई गयी है उसकी तरफ भी इसमें रोशनी डाली गयी है। सरकार ने यह प्रोग्राम भी बनाया है कि जिस इलाके में पानी पहुंचने वाला है उस इलाके के लोगों की जानकारी के लिये नक्शे बनवा दिये जायं और वे सब नक्शे ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज में भेजे जायं और ग्राम सभाओं में भी भेज दिये जायेंगे। इन नक्शों में यह बताया जाता है कि फलां-फलां स्थान पर यह योजना चालू की जा रही है जिससे लोग पहले से ही तैयारी कर लें। ब्लाक आथोरिटीज को भी खबर कर दी गयी है कि वे भी सारे गांवों के लोगों को बतायें।

मैंने जैसा जिक्र किया कि गूल बनाने की जिम्मेदारी किसानों की है लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्राविजन नहीं था कि अगर वे न बनायें तो हम उनको बनाने के लिये मजबूर कर सकें।

अब यह जो विधेयक आपके सामने रखा गया है, उसमें इसका प्राविजन है लेकिन वह भी शर्त के साथ है। उसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं की गयी है। पहले हर गांव में वहां के मुकामी लोगों को जहां पानी पहुंचने वाला है, बाकायदा नक्शे पहुंचा देंगे। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि इसमें क्या दिक्कतें हो रही थीं। बहुत से काश्तकार गूल बनाना भी चाहते थे लेकिन कंसोलीडेशन आफ होल्डिंग्स के कारण जमीन बदल गयी। अब किसी चक तक पानी आ गया लेकिन अब उसके मालिक वह उस पानी को आगे नहीं जाने देता है। हालांकि आगे वाला काश्तकार चाहता है कि वह गूल बनाये और पानी ले, लेकिन यह अपने खेत के खराब होने के डर से उसको नहीं बनाने देता है। इस तरह से जो बनाना चाहते हैं वे भी नहीं बना सकते। इस कानून के जरिये से उसके लिये सहूलियत पैदा की जा रही है।

तो पहले नक्शा बना कर हमारे इंजीनियर उन गांवों में बता देंगे कि वे उस तरह से एक महीने के अन्दर गूलें बना लें। जो ओवरसियर आदि अन्य मुकामी अधिकारी हैं वे भी उसमें सहायता करेंगे ताकि पानी की दिक्कत लोगों को न हो। लेकिन अगर निर्धारित समय के अन्दर गूलें नहीं बनायी जाती हैं तो यह अख्तियार लिया जा रहा है कि सरकार उनको बना दे। यह भी बता दिया गया है कि इतना पैसा उसमें खर्च होगा जिसको इतने सालों में वसूल कर लिया जायगा। यह एक बहुत ही छोटा-सा बिल है जो आपके सामने पेश किया गया है। माननीय सदस्य जानते हैं, मैं उन मन्त्रियों में से हूं कि इस १२-१३ साल के समय में मेरे द्वारा एक ही और छोटा-सा बिल पेश किया गया था और दुबारा यह पेश किया गया है। यह छोटा-सा बिल है और किसानों के फायदे की चीज है। बहस-बहस की जगह है, लेकिन माननीय सदस्यों को यह महसूस करना चाहिये कि जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है उसका ठीक उपयोग होना चाहिये और अगर इस रुकावट को दूर न कर पाये तो स्टेट का कितना नुकसान हो जायगा। बड़ी मुश्किल से जो पैसा मिला है उसका सही उपयोग होना चाहिये। अतः माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे इस बिल पर विचार करें और अगर कुछ इसमें बदलने की आवश्यकता हो तो वह सहूलियत इसमें और पैदा करने की कोशिश की जायगी, अतः इस बिल पर विचार करके इसको शीघ्रता से पास करने की कृपा करें।

*श्री कमलासिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय जो तीन मास तक परिचालित किया जावे।

श्रीमन्, यदि देखा जाय तो उत्तर प्रदेश वह राज्य है जो १९५०-५१ में बहुत ही अच्छे राज्यों में माना जाता था, और प्रगतिशील राज्यों में गिना जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीमों के अन्दर उत्तर प्रदेश प्रगतिशील राज्य के बजाय पिछड़े राज्यों में आ गया है। साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि यह दशा उस वक्त हुई है जब कि हमारे इस प्रदेश के अन्दर दो पंचवर्षीय योजनायें चल चुकी हैं। यदि हम गांवों की हालत को देखें और खाद्य नीति को भी देखें तो उसमें भी हम असफल रहे हैं। हमारी कृषि योजना भी असफल रही है। आज से ७ वर्ष पहले यहां गेहूं की पैदावार प्रति एकड़ १३ मन थी, वह अब घट कर ८ मन प्रति एकड़ हो गयी है। आप सोचें कि दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गयीं, उसके बाद हमारी यह हालत है।

यदि हम प्रति व्यक्ति इनकम की तरफ जायं तो ग्रामीण जनता की इनकम जहां पहले २१० रु० थी, वह आज १९१ रु० है। इस प्रकार हमारी आमदनी में गिरावट है। साथ ही साथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

यह भी हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश के अन्दर बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। खासकर पूर्वी जिलों में व पिछड़े जिलों में, जहां कोई रोजगार धन्धा आदमियों के पास नहीं है, वे अपने घर बार छोड़ कर बाहर काम की खोज में जाते हैं। हमारी सरकार ऐसी है कि इसके पास उन आदमियों को देने के लिये कोई काम नहीं है जो कि काम करना चाहते हैं। हां, एक बात जरूर है, कि जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा, कि जो रुपया हम लगाते हैं उसका इंटरेस्ट भी नहीं आता। तो यह हमारे प्रदेश की सरकार और मन्त्री जी का काम है कि जो रुपया इनवेस्ट हुआ है उसका सूद तक नहीं आता है। इन इलाकों में जहां कि ट्यूबवेल्स चल रहे हैं, वहां भी जो पानी चाहता है उसको पानी नहीं पहुंच पाता है। इस सम्बन्ध में आपको यहां तक बतलाऊं कि मेरे गांव में ही एक किसान का १३ बीघे का गन्ना खेत ही में सूख गया। वहां के थोकदार ने आपरेटर को लिखा, लेकिन उस आपरेटर ने नहीं सुना। यहां तक कि मैंने लिखा, लेकिन उसने मेरे लिखने तक की कोई परवाह नहीं की और नतीजा यह हुआ कि हमारे गांव के किसान की १३ बीघे गन्ने की फसल सूख गयी। यह तो यहां की परिपाटी है और कहा गया है कि हम चाहते हैं कि सूद तक आ जाय।

अगर आपका कन्ट्रोल आपके आपरेटर पर नहीं है, अगर आपका कन्ट्रोल अपने अधिकारियों पर नहीं है, तो सूद की बात कौन कहे, जो भी रुपया आप लगाये हैं, वह सब समाप्त हो जायगा क्योंकि यह आपका रोजगार है, आपका यह धन्धा है, आपको यह चाहिये कि इसकी ठीक से व्यवस्था करें ताकि किसान ठीक तरीके से सिंचाई करें और जो अभी तक सिंचाई नहीं करते हैं उनको ऐसी प्रेरणा हो कि वे लोग अधिक से अधिक पानी लेने की कोशिश करें।

जहां तक कमांड एरिया की बात है, ८००-१,००० एकड़ का कमांड एरिया रखा गया है जिसका नतीजा यह होता है कि दो-दो तीन-तीन गांवों के लोगों के बीच उसी नलकूप से सिंचाई करने के लिये आपस में डंडे-लाठी चलते हैं। इस तरह से मेरी समझ में यह एक अराजकता की स्थिति-सी पैदा कर दी गयी है। अगर सही तरीके से नलकूपों से सिंचाई की व्यवस्था की जाय और नलकूप की क्षमता के अनुसार ही कमांड एरिया बनाया जाय तो लोग अधिक से अधिक पानी को उपयोग में ला सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ा सकेंगे। हमने यहां तक देखा है कि धान की फसल सूख गयी, लेकिन आपरेटर ने धान के लिये पानी देने से इनकार कर दिया। यह कहां की व्यवस्था है कि सिंचाई के लिये नलकूप हो और फिर भी धान की सिंचाई के लिये पानी न मिल सके। तो ऐसी योजना से फिर लाभ ही क्या है, इससे तो यही अच्छा था कि कुयें बनाकर या पोखरों से ही सिंचाई हो जाती थी। अगर सही काम करना है तो इन योजनाओं को सचारू रूप से और एक व्यवस्थित रूप से चलाना चाहिये।

जहां तक सिंचाई की योजनाओं का सम्बन्ध है, हमने यह देखा है कि सिंचाई का सारा प्रबन्ध सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है और वही इसके लिये जिम्मेदार हैं। हम देखते हैं कि सिंचाई के रेट बहुत अधिक हैं और जो पानी की मात्रा हम किसानों को देते हैं वह बहुत कम है और इसका नतीजा यह होता है कि चाहे पूर्व में या पश्चिम में हो सब जगह पानी की कमी है और अधिक मांग रहती है। इसका इलाज यही है कि कैनाल्स को चौड़ा और गहरा किया जाय और उनमें पानी की मात्रा को बढ़ाया जाय, परन्तु हालत यह है कि मात्रा तो पानी की उतनी ही है और रेट बराबर बढ़ाये जाते हैं और इस कारण से लोग पानी नहीं पाते हैं और पैदावार घटती जाती है।

दूसरे जहां तक नलकूपों का प्रश्न है और उनके लगाने में जो दिक्कतें हुई हैं वह इस लिये हैं कि उनको योजनाबद्ध रूप से नहीं लगाया गया है। कुछ नलकूप तो ऐसे हैं कि जिनमें पानी नहीं है और कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत कम पानी देते हैं। सरकार को चाहिये

कि जिन नलकूपों में पानी कम है या जहां उनसे पानी बिलकुल नहीं मिलता है उनको नये तरीके से लगवाकर गहरा करायें ताकि पानी भी ज्यादा मिले और किसानों को लाभ हो। शुरू में ७८ लाख एकड़ की सिंचाई की योजना थी, लेकिन ६० लाख की सिंचाई ही हुई, फिर सन् ५५-५६ में ९३ लाख एकड़ की योजना थी लकिन एक्चुअली केवल ६३ लाख एकड़ में ही सिंचाई हुई। सन् १९०२ में कर्जन से कहा गया था कि ४० प्रतिशत सिंचाई के साधन तैयार किये जायं परन्तु अब दूसरी योजना के बाद भी केवल १५-१६ प्रतिशत ही सिंचाई का प्रबन्ध हो सका है। इस तरह से सिंचाई योजना में हम बहुत ही विफल रहे हैं। गांवों की दिक्कतों को देखते हुये गांव के लोग अलग अपनी सिंचाई योजना बनायें और जिस तरह से कि पहले तालाब, पोखरों से सिंचाई की व्यवस्था होती है वह करें, सड़कें बनायें जिसके लिये कि अब नये कानून की व्यवस्था ९६ घंटे के लेबर की कर दी गई है। अगर उस लेबर को हम गूल वगैरह में लगा दें तो गांव के अन्य विकास के कार्य समाप्त हो जायेंगे।

साथ ही यह जो विधेयक यहां प्रस्तुत है अगर हम उसकी धाराओं को देखें तो उनमें हम एक तरह से गांव वालों को टेक्निकल काम करने के लिये बाध्य कर रहे हैं। पहले तो हमारी एक योजना होनी चाहिये और उसके अनुसार हम गांव वालों को पहले गूल बनाना सिखायें और जब वह सीख जायं तब ऐसा किया जा सकता है। परन्तु इस बिल में कोई इस तरह की योजना उनकी ट्रेनिंग के लिये नहीं है। आपने सुपरवाइजर रख दिया कि उसके सुपरविजन में बनेंगी, आपका अफसर इन्सपेक्ट करेगा और देखेगा कि ठीक बनाई है या नहीं, वह एप्रूव करेगा वर्ना रिजेक्ट कर देगा। और फिर वह गांव वालों को मिट्टी वगैरा हटाने के लिये आदेश देगा और अगर गांव के लोग ऐसा न करेंगे तो उसका खर्च उन्हीं से वसूल किया जायगा। यह चीज भी काबिल गौर है।

कहीं कोई भी टेक्निकल काम अगर किया जाता है, अगर इंटेशन जैसा मन्त्री जी ने बताया अच्छी है, मैं नीयत पर उनकी किसी तरह का आक्षेप नहीं करता, लेकिन जहां तक इंजीनियर या ओवरसियर का प्रश्न है जिनके मशविरे से कोई चीज बनायी गई है तो वह चाहते हैं यह कार्य सही रूप में न बने और गांव वाले इस काम को न बनावें। सरकार ने भी जी० ओ० भेजे कि गूल वगैरह जितनी बनती हैं उनका ठेका गांव वालों को या गांव सभाओं को दिया जाय। मैं पूर्वी जिलों में देखता हूं जिस गांव के सभापति के काम को लिया उसको हर तरह से परेशान किया गया, रुपया नहीं दिया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि वह उस काम को छोड़ कर भाग गया। अगर यह कहा गया होता कि हमारा सुपरवाइजर वहां रहेगा तब तो ठीक था, क्योंकि गांव वालों को टेक्निकल मदद मिलेगी और जो काम एक बार बनेगा वह ठीक बनेगा। लेकिन अगर कोई टेक्निकल आदमी वहां नहीं रहेगा तो एक लेमैन कैसे उस टेक्निकल काम को अच्छी तरह से कर पायेगा यह सोचने की बात है। नतीजा यह होगा कि उनको दोबारा उस मिट्टी को हटाना पड़ेगा और लोगों में बड़ा असन्तोष होगा, उनमें काम के प्रति अश्रद्धा होगी। कोई गांव का आदमी काम के पास नहीं जायगा। इसलिये मन्त्री जी विधेयक में या नियमों में परिवर्तन लावें कि जितनी गूल वगैरह बनेंगी वह सरकारी कर्मचारी की देखरेख में बनेगी। और अगर काम एक दफा बिगड़ गया और फिर दोबारा गूल बनी तो इसकी जिम्मेदारी ओवरसियर, इंजीनियर के ऊपर हो और उसकी पूर्ति उनकी तनख्वाह से काट कर की जाय। अगर ऐसा होगा तो वह इंजीनियर या ओवरसियर हिम्मत नहीं करेगा कि कोई काम गड़बड़ हो, इससे गांव वालों को राहत मिलेगी। गांव की दशा इतनी खराब है, बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं, बड़ा आदमी तो फावड़ा लेकर काम करने नहीं जायगा, गरीब आदमी ही काम करेगा, तो एक व्यवस्था इस विधेयक के जरिये करना चाहिये कि जो आदमी वहां काम करने के मौके पर जाय उसको पूरी मजदूरी दी जाय और जो रुपया टैक्स के रूप में आप वसूल करें उसका ज्यादा हिस्सा बड़े आदमियों से लिया जायगा। गरीबों से आप लेबर जरूर लें, लेकिन उनको पूरी मजदूरी दी जाय। अगर आप मजदूरी अच्छी देंगे तो काम भी अच्छे तरीके पर होगा। इस तरह की भावना

[श्री कमलासिंह यादव]

लोगों में पैदा की जाय। टैक्स के रूप में जो रुपया वसूल किया जाय वह उन मजदूरों को दिया जाय जो लोकल उस गांव के रहने वाले हों। उससे उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ेगी।

इस विधेयक में दिया गया डिवीजनल अफसर एक प्लान बनायेगा और उसका खर्चा भी साथ में होगा जो ग्राम सभा की स्वीकृति के लिये जायगा। सभा उस पर विचार करेगी और उसमें अगर किसी तरीके का संशोधन करना चाहे तो इंजीनियर को भेजेगी। इंजीनियर को पावर है कि उस संशोधन को माने या न माने। गांव का आदमी सही माने में जानता है गूल किस तरीके पर बनायी जाय। जहां तक इंजीनियरिंग प्वाइंट का सवाल है वह जानते हैं कि गूल सीधी होनी चाहिये लेकिन हमारे जिले में पियरी एक मौजा है। उसके दक्षिण की तरफ गूल बनायी जा रही थी। गांव वालों ने कहा कि अगर यह गूल बनेगी तो नतीजा यह होगा कि पूर्व के हिस्से में सिंचाई नहीं हो सकेगी, क्योंकि पानी बहुत नीची लेविल पर जायगा। इंजीनियरिंग विभाग के लोगों ने नहीं माना। नतीजा यह हुआ कि गूल बनने के बाद गांव वालों की बात सही निकली और उस गांव का एक हिस्सा असिंचित रह गया। तो गांव के लोग सही माने में जानते हैं कि गूल किस लेविल पर या किस तरफ बननी चाहिये। अगर इंजीनियर उनकी राय के खिलाफ कोई काम करता है तो मतलब यह होगा कि हम एक व्यवस्था उनके ऊपर लाद रहे हैं। गांव वालों को समझा बुझा कर, उनकी राय लेकर अगर कोई भी प्लान हम बनायें तो मैं समझता हूं कि कोई भी उसकी मुखालिफत नहीं कर सकेगा। इस विधेयक के अन्दर जो यह है कि अमेंडमेंट जिसके साथ गांव सभा वापस करेगी उस प्लान को उसको चाहे इंजीनियर माने या न माने यह उचित नहीं है बल्कि होना यह चाहिये कि अगर कोई अमेंडमेंट आये तो इंजीनियर खुद मौके पर जाकर गांव वालों से बात करें और देखें कि वे यह अमेंडमेंट क्यों चाहते हैं और अगर गांव वाले उनको सन्तुष्ट कर दें तो उनकी बात वह मान ले लेकिन अगर बात मानने लायक नहीं है तो वह गांव वालों को समझा दे और उसके बाद गांव वाले एक स्वर से उस प्लान को पास करें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। ऐसा करने से गांव वालों में एक श्रद्धा पैदा होगी।

माननीय मन्त्री जी ने चकबन्दी की मिसाल सदन के सामने रखी। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आज यहां बहुत से गांवों में चकबन्दी हो रही है। अगर आप सही माने में चाहते हैं कि चकबन्दी में किसानों से आपको मदद मिले तो आपको चाहिये कि जिन गांवों में चकबन्दी शुरू होने वाली है वहां पहले सिंचाई का प्लान बना दें ताकि चकबन्दी होते समय कामन लैंड से ही गूलें निकलें। उसके बाद वह दिक्कत जिसकी वजह से आप यह विधेयक ला रहे हैं दूर हो जायगी। जैसा कि माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं, मेरा भी प्रैक्टिकल तजुरबा यह है कि चक के ठीक बीच से गूलें जा रही हैं। नतीजा यह होता है कि न तो वह एक तरफ का हिस्सा जोत सकता है न दूसरी तरफ और उसका सारा चक बरबाद हो जाता है और फिर आप कहें कि हम उसका कम्पेन्सेशन देंगे, लेकिन वह भी नामिनल होता है। इस सदन के सामने अक्सर सवाल आया है कि कैनाल डिपार्टमेंट ने जो जमीनें ली हैं उनका मुआवजा बहुत कम दिया जाता है जबकि बिहार और पंजाब में उसी किस्म की जमीन का काफी मुआविजा देते हैं। अगर जमीन की पूरी कीमत किसान को मिल जाय तो मैं समझता हूं कि हर कोई छोड़ने के लिये तैयार हो जायगा। और दूसरी जगह वह जमीन ले सकता है। मैं चाहूंगा कि इस तरह के सुधार करने की कोशिश करें।

श्रीमन्, भूमि संरक्षण विधेयक सदन में आने वाला है। इसमें यह है कि जो भूमि अस्थाई रूप में ५ साल के लिये या थोड़े दिनों के लिये ली जायगी उसके लिये प्रतिकर दिया जा रहा है, लेकिन हमारे यहां कोशिश की जा रही है कि लोग ट्रांसफर करें और बिना प्रतिकर के लेने की कोशिश की जा रही है और अगर गांव के लोग राजी न हों तो लैंड एक्वीजीशन

की कार्यवाही करेंगे। डेवलपमेंट के कार्यों के लिये इसमें बहुत से अमेंडमेंट आ चुके हैं पहले पजेशन ले लिया जाता है और कम्पेन्सेशन बाद को देते हैं। पहले आप पजेशन लें तब कम्पेंसेशन दें। जैसा कि आपने बहुत सी जगह किया है कि आपकी नालियां बन चुकी हैं और कम्पेंसेशन बाद को दिया है। आप कहते हैं कि आप विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। लेकिन इस विधेयक से आपकी नीति उल्टी मालूम होती है। सरकार की भावना यह होनी चाहिये थी कि किसी नलकूप के कमांड एरिया की जनता चाहती है कि उस को नलकूप दे दिया जाय तो ऐसी व्यवस्था होना चाहिये थी कि उसको नलकूप और गूल दे दिये जायं, ताकि गांव के लोग देखें कि किस तरह से आगे नलकूप चलाया जा सकता है। इससे विकेन्द्रीकरण की भावना पैदा होगी और गांव के आदमी समझेंगे कि यह हमारी चीज है। इसकी देखभाल हमें करनी है और अधिक से अधिक वे उससे फायदा उठायेंगे। लेकिन इस विधेयक में ऐसी कोई चीज नहीं है। एक बात इसमें है कि गूलें वगैरह जो बनाई जायंगी वे बाद को गांव सभा को दे दी जायेंगी। मैं नहीं समझता कि गांव सभा उनका क्या करेगी? अगर नलकूप आप गांव वालों को देते तो एक अच्छी चीज होती और एक नया कदम होता।

श्रीमन्, एक बात मैं कहूंगा कि जैसे आपके विकास के कार्य होते हैं, उनमें तीन-चौथाई सरकार देती है और एक चौथाई जनता देती है या आधा-आधा देते हैं। अगर इस तरह की परिपाटी आप चलाते या योजना चलाते तो गांव के किसान भी महसूस करते कि यह सरकार की योजना हम लोगों के लाभ के लिये है और वे समझते कि इससे हमारे यहां गूल और नालियां वगैरह बन सकेंगी और जल्द से जल्द पानी मिल सकेगा। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहता हूं कि इस तरह की प्रेरणा ले आयें जिससे जैसे प्लानिंग या डेवलपमेंट का काम होता है जिसमें कुछ हिस्सा सरकार का होता है और कुछ हिस्सा गांव वालों का होता है उससे लोगों को प्रेरणा मिलती और काम आसानी से आगे बढ़ता। इन शब्दों के साथ मैं अधिक समय न लेकर जो मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको रखता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं। दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

श्रीमन्, ज्यादा अच्छा होता कि सब प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये जायं और तब उस पर लोग बातें करें।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है। श्री हिम्मत सिंह और माधो प्रसाद त्रिपाठी जी नहीं हैं। श्री केशरी प्रसाद पान्डेय पेश करेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि "नार्दर्न इंडिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की प्रवर समिति को भेज दिया जाय, जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे"।

श्रीमन्, इस बिल के दो पक्ष हैं—एक किसान और दूसरा सरकार। किसान का पक्ष जब मैं कहता हूं तो वह इसलिये कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में दिया हुआ है कि यह किसान की जिम्मेदारी है कि जल-मार्ग का वह निर्माण करे। सरकार जब किसान के संपर्क में आती है तो सहयोगी के नाते नहीं, उसकी सहायता करने के लिये नहीं, बल्कि उसके सहयोग के अभाव में उस पर शासन करने के लिये, उसको दंडित करने और उससे पैसा वसूल करने के लिये आती है। इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक के

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

कारण सरकार और किसान के बीच जो खाई पड़ेगी वह बहुत वांछनीय नहीं होगी और कृषि ऐसे धंधे के लिये तो विशेष रूप से घातक होगी। यदि सरकार और किसान का मेल स्थापित किया जा सकता और उसके जरिये यह कार्य सम्पन्न होता तो ज्यादा अच्छा होता। मैं मेल की बात कहता हूं तो मेरा संकेत निश्चित रूप से सिंचाई सहकारी समिति की ओर है। यदि सहकारी समिति का निर्माण किया जाय और उसके माध्यम से यह कार्य सम्पन्न किया जाय तो सरकार को न तो किसानों के सामने शासक के रूप में जाना पड़ेगा और न किसानों को ही सरकार द्वारा किये गये दुर्व्यवहारों और परेशानियों को भोगना पड़ेगा। श्रीमन्, संसार की जितनी भी जनतांत्रिक सरकारें हैं उनका हमेशा यह रवैया रहा है और आज भी है कि वह किसानों को हमेशा उत्पादन बढ़ाने में इमदाद देती हैं और हम भी यहां इस रवैये से अलग नहीं रहते, लेकिन हमारे काम करने का ढंग दूसरा है। हम पूंजीपतियों को उद्योग चलाने के लिये बड़े-बड़े कर्ज देते हैं, बड़ी इमदाद करते हैं और उनसे सूद भी कम लेते हैं, लेकिन जब किसान का प्रश्न आता है तो उसकी इमदाद करने की एवज में हम उससे ६ प्रतिशत सूद लेते हैं, उसकी निःशुल्क सहायता करने की बात कौन कहे या और तरीकों से सहायता करने की बात कौन कहे, सरकार उससे अधिक से अधिक पैसा अपने खजाने में ले आने की कोशिश करती है। मैं सहकारी समिति के जरिये चाहता हूं कि सरकार किसानों को सहायता दे, उनको पैसा दे और गांव सभा से सुझाव ले, किसानों से लेबर ले। सरकार का पैसा, गांव सभा का सुझाव और किसान का लेबर, इन तीनों का समन्वय यदि कहीं हो सकता है तो वह सिंचाई कोआपरेटिव सोसाइटी से ही हो सकता है। इस प्रकार से किसानों को काम करने का एक प्रोत्साहन मिलेगा और वह उस काम को अपना काम समझ कर करेंगे।

श्रीमन्, जब इस तरह का कार्य हम कर सकेंगे तो इस बिल का रूप ही बदल जायेगा और जो इस बिल में समस्यायें है वह अपने आप सुलझ जायेंगी। उदाहरण के लिये जमीन का प्रबन्ध करना है, यह प्रश्न मंत्री जी के सामने होगा। जब आप यह सब कोआपरेटिव सोसाइटीज के अधीन कर देंगे तो यह समस्या भी सद्भावनापूर्ण ढंग से सुलझ जायगी। उसमें किसी प्रकार की परेशानी की गुन्जाइश नहीं होगी। इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय, वहां इस पर विचार हो सकता है और विचार करने के बाद जो उसकी बुराइयां हैं उनको दूर किया जा सकता है।

श्रीमन्, जहां तक इस बिल में वसूली का प्रश्न है, उस सिलसिले में भी आप जानते हैं कि मालगुजारी के रूप में जो पैसा किसानों से वसूल किया जाता है वह किस तरह से किया जाता है। किसानों को किस तरह से कानून के शिकन्जे में डाल कर परेशान किया जाता है। आप यह भी जानते हैं कि उनको बुरी तरह से अपमानित किया जाता है। आज सरकार के आदेश हैं कि वसूली के लिये कोअर्सिव मैथड भी एप्लाई किये जायं। लेकिन वही मैथड बड़े आदमियों के लिये इस्तेमाल नहीं किये जाते। मैं कहना चाहता हूं कि इस सुन्दर काम के लिये अगर यह परेशानी पैदा की गयी तो यह काम चलने वाला नहीं है।

वसूली करने का जब प्रश्न आता है तो श्रीमन् यह भी सोचना पड़ेगा कि वसूली करने वाला कौन होगा? मैं समझता हूं कि यदि यह वसूली का कार्य गांव पंचायत को दे दिया जाय तो जो परेशानी सामने आती हैं वे दूर हो जायं मैं तो कहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पूरे सिस्टम को गांव के अधीन करने के प्रश्न पर विचार करें। जो आपके पतरौल हैं या आपरेटर्स हैं, उनको भी आप उनके अधीन कर दें तो काफी परेशानी दूर हो सकती है। आज ही एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि क्या आपरेटर्स को छुट्टी इसलिये नहीं दी जाती क्योंकि सरकार समझती है, कि उनकी आमदनी ज्यादा है। उनका इस ओर इशारा था कि वे कोई नाजायज तरीके से आमदनी करते हैं और इसलिये उनको छुट्टी देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यह जितनी भी बुराइयां है यह सब दूर हो सकती हैं अगर आप यह कार्य गांव

सभाओं को दे दें। इसके लिये मौलिक तरीके से आपको परिवर्तन लाना होगा। आज जरूरत इस बात की है कि पंचायतों को हर तरह से सर्व शक्ति सम्पन्न कर देना चाहिये। चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो, चाहे सुरक्षा हो, जो भी काम हो, उसको करने के लिये आपको उन्हें हर तरह से सक्षम कर देना चाहिये।

कर-निर्धारण का जो प्रश्न है उसे भी कोआपरेटिव सोसाइटीज बड़ी आसानी से कर सकती हैं। जितना भी खर्चा हो, उसका हिसाब-किताब रख कर वे आसानी से उसको अपने तरीकों से वसूल कर सकती हैं। सिंचाई के सिलसिले में उनको ३० दिन का नोटिस दिया जाता है मगर वह नोटिस उनके पास वह ज्यादा खत्म होने पर पहुंचती है जिसके कारण वे उसकी उजरदारी तक नहीं कर पाते। उसको किसी किस्म की राहत नहीं मिल सकती है। सारी बुराई की जड़ खत्म की जा सकती है अगर इसकी दवा स्थानीय गांव पंचायतों के जरिये की जाय। जहां तक जमीन प्राप्त करने का संबंध है इसमें प्राविधान है कि उसे मुआवजा देकर या ऐक्वीजीशन करके प्राप्त करेंगे, लेकिन सरकार मुआवजा देती ही कितना है और अब तक उसमें होता क्या रहा है? जमीन ले ली गई नहर के लिये या गूलों के लिये, लेकिन आज तक मुआवजा बहुतों को नहीं मिला है और वह मुआवजा जो मिलता भी है वह नाममात्र का होता है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। एक छोटा किसान है, दस बिस्वे उसकी जमीन है। उसके बीच से गूल जा रही है। अब उसका खेत तो खत्म हो गया। मुआवजा कुछ उसको मिल नहीं सकता। उस खेती के जरिये ही वह अपनी जीविका चलाता था, और अपने बच्चों का पालन-पोषण करता था। ऐसी स्थिति में उसकी जीविका कैसे चलेगी? उसका तो सर्वनाश ही हो जाता है। उस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था हो कि ऐसे छोटे काश्तकारों को जमीन के बदले जमीन दे दी जाय जिससे वह अपनी जीविका चला सकें और अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें, यह ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक अजीब किस्म का कानून है, जो भी कानूनी शिकंजे में फसता है, उसके प्रति ऐसा व्यवहार होता है। यह कानून तो हमेशा गरीब की गर्दन पर ही कुठाराघात करता रहा है। इसलिये यदि यह प्रवर समिति में जाता तो इन सब बातों पर वहां विचार हो सकता था।

जहां तक पानी का संबंध है यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पानी यदि खेती को नहीं मिलता तो खेती जिन्दा नहीं रह सकती। लेकिन माननीय मंत्री जी ने क्या इस बिल को प्रस्तुत करने से पहले यह निश्चित कर लिया है कि उनको कितने क्यूजेक पानी की जरूरत है? अभी आपने कहा कि हमने हर गांव का प्लान बनाया है और उसको बी० डी० सी० के पास भेज दिया है और उसमें यह कहा गया है कि इस तरह से अर्थात् प्लान के अनुरूप काम होगा। यह प्लान किस आधार पर बनाया गया है? निश्चित ही वह आधार पानी का ही आधार हो सकता है। तो क्या आपको पता है कि किस किस गांव में कितना पानी है और कहां कितने पानी की कमी है? उस कमी को किस तरीके से आप पूरा करेंगे और फिर जो कमी आप पूरा करते हैं क्या उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल होता है या नहीं, यह भी आपको मालूम है? आप देख लें जा कर, श्रीमन् जहां नहरें हैं, वह खुली हैं, टूटी है और सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जमीन सैलाब के अन्दर आ गई है। वह पानी बरबाद हो रहा है और आपके पतरौल और आपरेटर उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो पानी इस तरह से बरबाद हो, उसका सुनियोजित ढंग से इस्तेमाल न हो और फिर भी आप एक प्लान बनाकर उसकी जिम्मेदारी किसानों के ऊपर रख दें, यह एक विचित्र सी स्थिति है। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी पूर्ण रूप से और प्रत्येक गांव के आधार पर विचार होना चाहिये। अभी पूर्वी जिलों की जांच-पड़ताल करने के लिये केन्द्रीय आयोग आया था। उसने जौनपुर में ट्यूबवेल इंजीनियर से निश्चित प्रश्न किया कि तुम कितने ट्यूबवेल यहां पर लगा सकते हो? श्रीमन् वह जवाब न दे सके, कोई उत्तर उनके पास नहीं था, क्योंकि कोई सर्वेक्षण किसी प्रकार से इस विभाग के जरिये जौनपुर या और किसी जिले में नहीं हुआ है। जहां तबियत आती है वहां टयूबवेल प्रतिष्ठित कर देते हैं। विशेषकर जब चुनाव आता है तो टयूबवेल दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, ऐसी-ऐसी जगहों पर लगा दिये जाते हैं जहां उनकी आवश्यकता

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

नहीं होती। मैं जौनपुर जिले की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सन् ५७ में चुनाव के समय एक ट्यूबवेल ऐसी जगह पर लगा, मोलनापुर में जहां पर कि पानी न उस समय निकला और न आज निकल रहा है। बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। चूंकि चुनाव का जमाना था इसलिये वहां ट्यूबवेल लग गया। इसी तरह सन् ६१-६२ का चुनाव जब आया तो चार-चार ट्यूबवेल तीन चार मील के अन्दर एक ही क्षेत्र में लगा दिये गये---पटहर करियाव, मोरखापुर और मीरपुर उमरी, ये चारों ट्यूबवेल सन् ६२ के चुनाव के समय दो महीने के अंदर वहां लगा दिये गए। अगर इन्हीं ट्यूबवेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ढंग से होता तो हजारों किसान इससे मुस्तफीद होते। लेकिन ऐसा न करके सिर्फ एक उद्देश्य विशेष को हासिल करने के लिये ऐसे ट्यूबवेलों की प्रतिष्ठा की गई। आज उन ट्यूबवेल्स की क्या स्थिति है। उनको आज तक बिजली नहीं मिल पाई है। आज तक खम्भे नहीं लग पाये हैं, वे खाली पड़े हैं। इसको आप सोचें। गूल के नाम पर किसानों की खड़ी खेती उखाड़ी जा रही है। सैकड़ों बीघे जमीन की फसल उखाड़ दी गई है। जब अधिकारियों से कहा जाता है तो वे इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं देते। खेती को उखाड़ा जाता है गूलों के तैयार करने में, लेकिन ट्यूबवेल को बिजली न दी जाय और उसके संचार के लिये खम्भे न दिये जायं यह अनुचित है इससे कोई राहत किसानों को नहीं मिल पा रही है। श्रीमन्, यह ऐसी बातें हैं जिनमें पानी के सिलसिले में जरूर खयाल करना पड़ेगा। नलकूप कहां पर लगे, कितना कमान्ड हो और उससे कितने लोग मुस्तफीद होंगे यह विचारणीय है। सब से बड़ी शिकायत यह है कि ट्यूबवेल कुछ ऐसे स्थान पर लगाये गये हैं जहां पर पानी नहीं मिला और जब पानी नहीं मिला तो वह निष्क्रिय हो गये। जन-धन इस तरह से बरबाद करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस पर विचार करना है।

मैं समझता हूं दुनियां में सब से उत्तम सिंचाई के तरीके हिन्दुस्तान के रहे हैं। इसको सारी दुनियां मानती है। जब किसान गन्ने की फसल की सिंचाई करता है तो उसकी मेड़ वह काफी ऊंची बनाता है लेकिन जब वही गेहूं की फसल बोता है और सींचता है तो उसकी मेड़ नीची बनाता है। इसका मतलब यह है कि औसतन पानी उतना ही होना चाहिये जितना फसल के लिये उपयोगी हो लेकिन होता क्या है? पानी नहर या ट्यूबवेल से खुलता है, बहता चला जाता है और बिला अन्दाज पानी चला जाता है। इस पानी से क्या फायदा होगा। इससे खेती नष्ट होती है। जो नीचे खेत होते हैं उन में पानी जाकर जमा हो जाता है। सारी खेती बरबाद होती है। पैदावार नष्ट हो जाती है। इस तरह पानी देना या न देना बराबर है। कुछ ऐसे तरीके बरतने होंगे जिससे पानी कम होने पर भी हम पूरी सिंचाई कर सकें। हमारे इलाके में पानी की कमी नहीं है। उसको हम पूरा कर सकते हैं। मैं एक छोटे से मुल्क के विषय में अर्ज करूं। इजराइल एक छोटा सा मुल्क है जहां पर जमीन बालू की है लेकिन उन्होंने अपनी पानी की समस्या को हल किया है और बड़ी अकलमन्दी से हल किया है, बड़ी दानिशमन्दी और मेहनत से हल किया है। उनके यहां ज्यादा पानी नहीं है लेकिन जो भी पानी है उसकी एक-एक बूंद को वह इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पाइप बना रखे हैं और उन पाइपों में वह उतना ही पानी चढ़ाते हैं जितने की उस जमीन को जरूरत होती है। उतना ही वह ऊपर से बरसा दिया करते हैं। जमीन की नमी के लिये जितनी जरूरत होती है उतना पानी मिल जाता है। यह उदाहरण मैंने इसलिये दिया कि छोटे-छोटे देश भी जिनकी क्षमता नहीं है, वे अपनी पानी की समस्या को हल करके अपने यहां खेती की उपज बढ़ा रहे हैं और दुगुनी और तिगुनी पैदावार कर रहे हैं लेकिन हिन्दुस्तान जहां पर गंगा और जमुना बहती हैं, जहां पर बड़े-बड़े तालाब हैं और झील हैं वहां पैदावार बढ़ाने के लिये पानी की समस्या अभी तक हल नहीं हो पा रही है। जब प्लान बने उस समय यह विचार किया जाय कि पानी कितना है, कितने की जरूरत है, उसे कितनी दूर तक ले जा सकते हैं, उसका किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक हम अन्न उत्पादन कर सकें।

जहां तक विचार का सवाल है, मैं इसको एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि गांव में बैठकर आदमी जमीन पर बात करता है लेकिन लखनऊ में बैठकर गांव के मुकाबले में वह आसमान

की बात करते हैं। गांव का आदमी यह चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। जो थोड़ी बहुत राहत उस तक पहुंचती है वह अगर उसके तरीके से नहीं पहुंचती है, उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं पहुंचती है तो उसको कोई लाभ नहीं हो पाता है। आज उनको नहर या ट्यूबवेल पर काम करने वाले लोगों से काफी परेशानी पैदा हो गई है। नहर के पानी के बारे में ज्यादा न कह कर मैं ट्यूबवेल के सिलसिले में ही बात करूंगा। ट्यूबवेल की नालियां बना दी जाती हैं, लेकिन यह कितना पानी संवहन कर सकती हैं इसका अन्दाजा उनको नहीं होता है। क्या कैपेसिटी होनी चाहिये, इसका भी अन्दाजा नहीं रहता है। मिनिमम कैपेसिटी १०,१५ हजार गैलन की होती है और उसी हिसाब से नालियां बना दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त वाटरशेड का भी पता नहीं रहता है और नतीजा यह होता है कि पानी चढ़ता नहीं है और उस किसान के खेत में भर जाता है जिसको सिंचाई की जरूरत नहीं होती। किसान को पैसा देना पड़ता है और आपरेटर उस से वसूल कर लेता है, उसे देने के लिये मजबूर कर देता है। जिसको जरूरत है उसको पानी नहीं मिलता और जिसको जरूरत नहीं है उसको जरूरत से ज्यादा पानी मिल जाता है। गूलें बनाने के सिलसिले में एक अजीब सी स्थिति है। उनके लिये खड़ी फसल काट दी जाती है और उसके बाद जो गूलें बनती भी हैं वह ऐसी बनती हैं कि आज बनीं, कल टूट गयीं। अगर सारे ट्यूबवेलों की गूलें देखी जायं तो उनकी आधी से ज्यादा गूलें बेकार हैं, टूटी फूटी हैं और उस क्षेत्र का किसान आज भी पुरवट और ढेकुल लगा कर सिंचाई करता है, लेकिन उसे पैसा देना पड़ता है। जब भी गूलें बनायी जायं उसके लिये ईंटा, सीमेन्ट और काम करने का तरीका, यह तीनों चीजें अगर किसान को पहले से नहीं प्राप्त होतीं तो वह उस काम को पूरा नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है कि यह चीजें उसे न मिलने पर सरकार को उसमें दखल देना पड़ेगा और मनमाने ढंग से उस काम को पूरा करवाना पड़ेगा। मंत्री जी, आप इसके लिये किसान पर ५० लाख रुपये का टैक्स लगाने जा रहे हैं। उसके बजाय मैं चाहता हूं कि आप कोआपरेटिव सोसाइटीज को ज्यादा से ज्यादा सब्सीडी दें ताकि वे इस काम को पूरा कर सकें।

श्री राममूर्ति—

पक्की गूलें तो सरकार द्वारा ही बनायी जाती हैं, यह तो वे गूलें हैं कि जो वे कच्ची बना कर, जिनसे पानी अपने खेतों में ले जाते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

जी गूलें सरकार द्वारा बनायी गयी हैं उनमें भी आधे से ज्यादा बेकार पड़ी हुई हैं, टूटी फूटी हैं। जहां तक दूसरी गूलों का सवाल है, यह ठीक है कि वह किसान पर जायंगी, लेकिन अगर यह कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये बनायी जायं तो सरकार को क्या आपत्ति है? जो खर्च करना है वह सब कोआपरेटिव के जरिये हो और इस तरह से हो कि वहां एक पद्धति हो कि जिसमें किसान और सरकार एक साथ काम कर सके और एक का निर्माण दूसरे के निकट आ सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस पर विचार किया जायगा और विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जायेगा। मेरा निश्चित मत है कि सरकार को ऐसा करने में कोई परेशानी न होगी।

(श्री कल्पनार्थासिंह का नाम पुकारने पर)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता—

निवेदन के लिये अब कोई स्थान नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न हो तो आप कह सकते हैं।

श्री जे० पी० मिश्र---

डेढ़ दर्जन संशोधन इस विधेयक पर उधर से आये हैं। इसलिये इस पर हम लोगों को भी बोलने का मौका मिले इसके लिये हर एक सदस्य के लिये १० मिनट का समय मुकर्रर कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

आपको मालूम होना चाहिये कि जिन लोगों के संशोधन हैं वे पहले उनको पेश करेंगे और जब वे पेश हो जायंगे तो सदन उन पर बहस करेगा। यह कोई नयी बात नहीं हो रही है।

*श्री कल्पनाथसिंह---

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि "नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट एक माह में दे दे।"

श्रीमन्, यह जो संशोधन विधेयक सामने आया है उसके उद्देश्य और कारणों में लिखा है, शायद मंत्री जी उसे देखने पर सहमत होंगे। उसमें साफ लिखा हुआ है कि--"जल मार्गों का निर्माण करने की जिम्मेदारी कृषकों पर है। नार्दर्न इंडिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज ऐक्ट में कोई ऐसा परिनियत उपबन्ध नहीं है जिसके अधीन कृषकों से इस जिम्मेदारी का निर्वहन कराया जा सके"।

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता था कि मंत्री जी की स्पीच में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया और न उद्देश्य और कारणों में ही लिखा है और न उनके भाषण के दौरान ही कहीं भी इस बात का जिक्र है कि इसकी जिम्मेदारी निर्वहन कराने का रास्ता क्या होगा।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय कल्पनाथ सिंह, इसमें एक संशोधन की आवश्यकता है आपने लिखा है "१९६२ को सदन की संयुक्त प्रवर समिति जो" तो उसके स्थान पर "दोनों सदनों" होना चाहिए था।

श्री कल्पनाथसिंह---

श्रीमन्, उसमें यह छपने से छूट गया है। आप ठीक कह रहे हैं, इसमें "दोनों सदनों" ही होना चाहिये। मैं यह कह रहा था कि इसमें कोई इस तरह का संकेत नहीं मिलता है कि मंत्री जी आखिर कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं। वह कौन से रास्ते से लोगों से जिम्मेदारी निर्वहन कराना चाहते हैं। आप देखें कि उद्देश्य और कारणों में यह लिखा हुआ है कि "कृषकों से इस जिम्मेदारी का निर्वहन कराया जा सके"। शायद आप इससे सहमत होंगे। परन्तु इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि जिम्मेदारी इस तरह से उनसे निर्वहन कराया जाय। बिल में आपने एक स्वरूप दिया है। अगर जिम्मेदारी निर्वहन करने की बात होती तो यह बिल ले आने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आदमी स्वयं अपनी जिम्मेदारी को समझता है, उसको पूरा करता है। मेरा यह कहना है कि किसानों को जिम्मेदारी समझाने की कोशिश नहीं की गई है।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---

कुछ थोड़ा बहुत आप भी समझाने का काम करें।

श्री कल्पनाथसिंह---

आपने कहा कब है कि समझा दो। पहले आप समझ लें तो फिर समझा दूंगा, इस समय मैं आपको समझा रहा हूं।

अधिष्ठाता महोदय, यह एक ऐसी स्थिति है जिस पर मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय स्वयं विचार करें। मैं उनकी इस भावना का ज्यादा कायल हूं कि जहां उन्होंने यह सोचा है कि गांवों में लोग स्वेच्छा से अपनी स्कीम बनायें और जो बना के दी जाय उसको पालन करने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का काम करें। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह प्रिमैच्योर्ड बात है। तो यह भी सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों के कंधों पर यह जिम्मेदारी दी जा रही है उसको वह पूरा कर सकेंगे या नहीं। यहां पर मंत्री जी देखें कि उन्होंने किसानों को थोथा जल देकर जालबट्टे में फंसा दिया है, फिर किसानों से यह कहा जायगा कि सरकार एक रुपया एकड़ तुमसे लेगी, ६० पैसे एक रूप में और ४० पैसे दूसरे रूप में। और एक रुपया एक एकड़ पर उनका आबपाशी बढ़ाने का अगर नया नारा कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं है। शब्दजाल तो उन्होंने बहुत बनाया है जिसमें यह पूरा विभाग माहिर है, लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि इस पर फ़िर से गौर करना चाहिए। साथ ही मैं उनकी स्पिरिट का कायल हूं कि किसानों की तरफ निगाह गयी, यह अच्छी बात है। यह मुहकमा है बिजनेस का। एक रुपया लगाओ, २० आना कमाओ, और अगर २० आने कमाने वाले लोग किसानों के ऊपर दया-दृष्टि का स्वांग रचाएं तो हमें कोई एतराज नहीं है, आप रचाइये, लेकिन बातें साफ कहिये तो अच्छा होगा।

मंत्री जी ने कहा कि मैं १४–१५ साल के मंत्रित्व काल में कोई ज्यादा संशोधन नहीं लाया। मतलब यह कि अंग्रेजों के उसी पिटे-पिटाये कानून पर गाड़ी चलती रही––आप हंस रहे हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि आपने आवश्यकता महसूस नहीं की कि बदली हुई परिस्थिति में, आजाद हिन्दुस्तान में, इस स्वतंत्रता के युग में, अधिक उत्पादन कराने वाले नारे में, "आराम हराम" के नारे में, खाली नारों की गाड़ी छोड़ कर जरा दूसरी लाइन बिछाएं। इसकी आवश्यकता ही नहीं महसूस की, यह शिकायत है हमें। मैं आपके आत्म विश्वास का कायल हूं कि आपने बड़ी ईमानदारी से यह कहा, शायद मेरे जैसा नया आदमी तो जान भी नहीं पाता कि आपने कुछ किया या नहीं। तो मैं आप की सत्यता की तारीफ करता हूं।

श्रीमन्, अब मैं इस बिल की मेरिट पर जाने की कोशिश करूंगा। खंड ९ में आप कहते हैं कि एक आउटलेट का एरिया और सिंगिल ट्यूबवेल का एरिया, दोनों का सम्बन्ध है, लेकिन जब शब्दावली शुरू हुई अफसरों के बारे में तो डिवीजनल कैनाल आफिसर की परिभाषा कर दी गयी और नाम लिख दिया गया, लेकिन न ट्यूबवेल के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर और न असिस्टेंट इंजीनियर लिखा गया और मैं नहीं समझता हूं कि एक तरफ आप कैनाल की बात करिये वहीं सिंगिल ट्यूबवेल की बात छोड़ दीजिये और जबकि कैनाल और ट्यूबवेल के आफिसर्स अलग-अलग हैं तो दोनों को एक शब्दावली में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है––मैं समझने में असमर्थ हूं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी सफाई जरूर करें।

दूसरी बात, इसी बिल में है खंड ३० (बी), इसमें "Calling upon the Gaon Sabha to implement the Scheme." यह जहां लिखा हुआ है उसमें––पूरा नहीं पढ़ूंगा––लिखा हुआ है कि डिवीजनल कैनाल आफिसर जल्द से जल्द एक कापी गांव सभा को भेजेगा जो उसकी स्कीम होगी। और उसकी कापी ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर को भी भेजेगा जिसके जुरिस्डिक्शन में वह प्रस्तावित योजना रहेगी। श्रीमन्, इसके आगे उस ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर या बी० डी० सी० जिसका जिक्र अभी मंत्री जी ने किया, या ब्लाक स्तर की कृषि या उत्पादन समितियों का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि इस योजना में उनका क्या योगदान होगा। पूरा विधेयक उठा कर देख जावें, उसका कहीं जिक्र नहीं है। अंग्रेजों की गाड़ी को नयी लाइन पर चलाने की कोशिश में डिरेलमेंट का खतरा है। ऐसा लगता है कि सूचनार्थ बी० डी० ओ० को उसकी कापी चली जायगी।

इसके सब-क्लाज (४) में कहा गया है कि :––

"Upon receipt of the objections, modifications or suggetions, made by the Gaon Sabhas under sub-section (2), the Divisional Canal Officer may either confirm the Scheme or amend, or modify it, and thereupon the Scheme so confirmed, amended or modified, shall become final.'

[श्री कल्पनाथसिंह]

गांव सभा से लौटने के बाद फाइनल का क्या अर्थ होता है ? कैसे फाइनल होगा, इस पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है।

३०—सी० में है कि गांव सभा जमीनों को एक्वायर करेगी। मगर इसके लिये उनके पास पैसा कहां से आवेगा, इसका कोई जिक्र नहीं है।

एक और विचित्र बात यह है कि खर्चा तो बर्दाश्त करेगी गांव सभा और कर लेगी सरकार। यह इसमें कहीं नहीं है कि अगर तुम इतना खर्च करोगे तो तुम्हारी गांव सभा को उसकी आमदनी में से इतने प्रतिशत दे दिया जायगा। जमीन जावे किसान की और कर ले सरकार, बिजनेस करें ये, और फिर उलटे यह कोशिश कि नहीं, तुम १ रुपया उसके अलावा ईजाफा करके दो। यह बात हमारी समझ में तो आई नहीं।

मंत्री जी ने कहा कि पानी का सही सही इन्तजाम हो सके, इसलिये यह विधेयक पेश किया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि अगर अभी तक पानी का सही प्रबन्ध नहीं था तो क्या यह विभाग क्रिमिनल वेस्ट की संज्ञा का पात्र नहीं है ? अगर नहीं था ठीक प्रबन्ध, तो इसे करना चाहिए था। यह बहुत ही तकलीफदेह बात है कि इतने दिनों से नहरें और ट्यूबवेल बने हैं और उनके पानी का सही इस्तेमाल नहीं हो सका है। अगर यह आवश्यकता फंडामेंटली महसूस हो रही हैं तो कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी है और इसलिये यह आवश्यक है कि यह विधेयक दोनों सदनों की एक प्रवर समिति को भेजा जाय। अगर आप इस आवश्यकता को महसूस नहीं करते हैं तो बात दूसरी है। अगर आप कहते हैं कि कहीं कुछ वेस्टेज नहीं हुआ, तो बात दूसरी है, आप जो चाहें कर सकते हैं।

इस विभाग की ओर से बड़े सब्ज बाग दिखाये जाते हैं और बड़े गीत गाये जाते हैं। अब तो मैं ऐसे दोस्तों की भाषा बोलने की सोचता हूं कि जो शायद मंत्री जी के मन में बैठ जाय। मैं तारीफ करते हुए अपनी बात कहूंगा, विरोध की बात नहीं करूंगा। मैं यह सब इस विभाग की तारीफ़ में कह रहा हूं। पूर्वी जिलों में क्या हालत है ? गंडक कैनाल और दूसरी गंगा कैनाल के बारे में मैं कहना चाहता हूं।

एक सदस्य—

दोहरीघाट कैनाल।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं गोरखपुर जिले की बात कह रहा हूं। अगर मेरी सूचना सही है तो इन दोनों नहरों के रेट में बहुत अन्तर है, एक का है ६ या ६।। रु० फ़ी एकड़ और दूसरी का है १४ रुपये फ़ी एकड़, सिंचाई का रेट। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी सफाई करें। कैसे आप किसान का मन उठायेंगे ? कैसे आप उसकी तबियत सिंचाई की योजना में लगावेंगे ? इससे तो अच्छा है कि वह अपनी पुरानी ढेकुल और रहट से ही काम चला ले।

अब मैं कुछ ट्यूबवेलों के बारे में कहना चाहता हूं। केशरी प्रसाद जी ने उनके लिये कुछ कहा भी है। मंत्री जी के पास आंकड़े होंगे। वह बतावें कि जितनी सिंचाई की क्षमता एक ट्यूबवेल में होनी चाहिये क्या उतनी सिंचाई एक ट्यूबवेल से होती है। उत्तर मिलेगा कि नहीं होती है। इसके एवज में यह कहा जायगा कि वहां किसान पानी नहीं लेता है, यह इसका कारण बताने की कोशिश की जायगी। परन्तु मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कैसे ले किसान इतना महंगा पानी ? जैसा पांडेय जी ने अभी कहा, एक भी ट्यूबवेल ऐसा नहीं है जिसकी कम से कम, आधी से ज्यादा पक्की गूलें खराब न हों। ऐसी भी गूलें हैं जो खुदी हुई पड़ी हैं लेकिन जब से उनकी खुदाई हुई है माननीय कमलापति त्रिपाठी जी के जमाने से, तब से अभी तक वे खुदी हुई ही पड़ी हैं। उन गूलों में लोगों को पानी का दर्शन नहीं हुआ है। किसानों की जमीन ली गयी, सरकारी पैसा खर्च किया गया लेकिन किसानों को पानी नहीं मिल सका यह हमारे

जिले की हालत है जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अगर मंत्री जी कहेंगे तो ट्यूबवेल, नाली और गांव सब लिखकर भेज दूंगा। अभी दोहरीघाट कैनाल योजना की बाबत कहा गया। हमारे यहां एक कहावत है "कौन-कौन गुन बरनों कुबरी तोर" गंडक कैनाल, गंगा कैनाल, दोहरीघाट कैनाल, ट्यूबवेल, राम प्यारे जी के इलाके की बात या बुंदेलखंड, किस-किस की बात कहूं। दोहरीघाट कैनाल की बाबत कौन नहीं जानता। अखबारों में फोटो छपा। दोहरीघाट कैनाल गर्मी में टूट गयी और पुल एक मील दूरी पर जाकर लगा। गर्मी थी, बरसात भी नहीं थी। यह सब कैसे हुआ? इसलिये कि इस विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सीमेंट और बालू १/१० के अनुपात में लगाया जाता है और बड़ी मासूमियत का संशोधन सदन के सामने रख दिया जाता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार मासूम न बने, प्रौढ़ बने, अच्छी बुद्धिवाली बने और उसका इस्तेमाल करे। हर बात में यह कहना कि छोटा सा मासूम संशोधन है, क्या फर्क पड़ता है, इससे कुछ नहीं होता, यद्यपि मंत्री जी के दिल में इस बात की जगह है वे इस विभाग को ठीक करें लेकिन उनको अपना रास्ता बदलना होगा और उसके लिये आवश्यक होगा कि वे कड़ा डंडा इस्तेमाल करें।

श्रीमन्, एक बात मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि मंत्री जी महीने, दो महीने के बाद ही दूसरा संशोधन न लायें, जैसा कि अभी मोटर यात्री कर के सिलसिले में किया गया। अतः इस संशोधन को मान लेने से कोई अन्तर नहीं पड़ता है, इससे लोगों को बातचीत करने का, विचार करने का, किसी बात को तय करने का, जनमत को जानने का मौका मिलेगा और जब दोनों सदनों के सदस्य बैठ कर इस पर विचार करेंगे तो फिर इस सदन का समय और सरकारी द्रव्य दोनों की बचत हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में प्रस्तुत करने का संशोधन उपस्थित करता हूं।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

श्रीमन्, चूंकि इस बिल पर बहुत से लोग बोलने वाले हैं इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि हर वक्ता के लिये दस मिनट का टाइम निर्धारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

अभी एक, दो भाषण हो लेने दीजिये, फिर मैं सोचूंगा कि क्या करना चाहिये।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस कैनाल एन्ड ड्रेनेज विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं तथा प्रवर समिति में जाने के लिये जो भिन्न-भिन्न प्रस्ताव आये हैं, उनका विरोध करता हूं। जैसा अभी उस तरफ से कहा गया कि यह बहुत छोटा विधेयक है, तो इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। हां, उसी के साथ-साथ कुछ बातें मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि जहां तक गांव सभाओं के द्वारा गूलें बनवाने की व्यवस्था की जा रही है, उसमें यह भी व्यवस्था है कि अगर गांव समाज गूलों के बनाने में सहयोग न करे तो विभागीय अधिकारी गूल बनाने का काम अपने आप करवा लेंगे और उसपर जो खर्च होगा वह उस गांव सभा के उन लोगों से वसूल किया जायगा जिन लोगों के खेतों में सिंचाई के लिये नाली पहुंचेगी और जो उससे लाभान्वित होंगे। जहां तक अधिकारियों द्वारा गांव सभा के उन लोगों से जो उससे लाभान्वित होंगे खर्चा वसूल करने की बात है, इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि अधिकारी लोग सिर्फ कागज पर तो गांव सभा की जानकारी की बात कर दें और कह दें कि गांव सभा ने कोई हमें सहयोग नहीं दिया, इसलिये हमने अपने आप काम विभागीय तरीके से करा लिया। अगर गांव सभा के लोगों को जानकारी नहीं हुई तथा विभागीय अधिकारियों ने अपने आप नालियां बना लीं तो उससे बहुत से लोगों को लाभ नहीं होगा। अगर सब का सहयोग लिया जायगा तो इस बात को सभी ध्यान में रखेंगे कि गूल किस खेत से कहां से होकर जानी चाहिये जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। सीधी नाली खेत के बीच से होकर गुजरे तो वहां किसका कितना खेत उसमें आता है, और भी बहुत सी बातें होंगी जिनके लिये अधिकारी गांवसभा के जरिये मुनादी करवा दें और अपने प्लान को सामने रख कर, उसपर कुछ

[श्री मुरलीधर कुरील]

बहस मुबाहसा करके लोगों की राय ले करके फिर अपने नक्शे को बनावें तो उसमें सब का फायदा होगा और खर्चा भी कम से कम होगा। भले ही थोड़ा समय ज्यादा लग जाय लेकिन किसानों के बीच जो आये दिन झगड़े गूलों के लिये खड़े हो जाया करते हैं, ऐसे झगड़ों की गुंजायश, मैं समझता हूं कि नहीं रहेगी। ऐसा तभी हो सकता है जब कि आप गांव के लोगों को पूरी पूरी जानकारी करावें और उनसे सहयोग लेने की कोशिश की जाय और फिर वहां के नक्शे को फाइल करके आगे बढ़ाया जाय। मैं समझता हूं कि जब गांव के लोगों को यह बात मालूम होगी तो वे खुशी-खुशी सहयोग देने के लिये तैयार हो जायेंगे। अगर लोग तैयार हो जायेंगे तो उसमें उनको सुविधा भी रहेगी और खर्चा भी कम पड़ेगा।

दूसरी बात इसमें एक और कही गयी है कि अगर खर्चा वसूल करने में देरी होगी तो ६ प्रतिशत का व्याज लगाया जायगा। तो मैं समझता हूं कि यह ६ प्रतिशत का व्याज न लगाया जाय बल्कि किस्तों में ही धीरे धीरे सिंचाई के साथ ही कई सालों में बांट कर लिया जाय। जहां तक सिंचाई सहकारी समितियों के बनाने की बात कही गयी और यह कहा गया कि उन्हीं के द्वारा गूल बनाने का काम कराया जाय, यह बात मेरी समझ में आयी नहीं कि सिंचाई समितियां किस तरह से बनेंगी, कहाँ बनेंगी, उनका क्या फायदा होगा, क्या उनके बाई लाज होंगे, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो गांव सभा के लोगों से सहयोग लेने की बात कही है, और जिनके खेत पड़ते हैं उनके सहयोग लेने की बात कही है, वह सिंचाई सहकारी समितियों से ज्यादा अच्छी है और वह ज्यादा उचित जान पड़ती है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। इस समय यह देखा जाता है कि जब रजबहों का पानी बच जाता है तो उसको खारिज पानी कह कर किसी न किसी नाले या नदी में डालकर बहा दिया जाता है। बहुत सी जगह किसान कहते हैं कि हम इस बेकार जाने वाले पानी का लाभ उठाना चाहते हैं और अगर कोई उसका उपयोग कर लेता है तो उस पर अनापशनाप जुर्माना किया जाता है और कहा जाता है कि यह पानी वह भले ही बहजाय लेकिन किसी को नहीं दिया जा सकता। मैं समझता हूं कि हमारे यह जो पुराने नियम खारिज पानी निकालने के हैं उन में संशोधन होना चाहिये। यह शंका बताई जाती है कि अगर पानी लेने की इजाजत दे दी जाय तो लोग खन्ती काटकर पानी लेंगे और उससे लोग नाजायज लाभ उठावेंगे। मैं समझता हूं यह शंका ठीक नहीं है, अगर किसान बेकार खारिज पानी से लाभ उठा सकते हैं तो उनको इस तरह से लाभ उठाने की इजाजत होनी चाहिये, बजाय इस के कि उनसे उसके लिये जुर्माना वसूल किया जाय। जैसे अन्य लोगों से आबपाशी वसूल की जाती है उसी तरह से उन से भी सिंचाई कर लिया जाय और अगर वह अपने खर्च पर पानी ले जाते हैं तो उसमें एतराज नहीं होना चाहिये, क्योंकि इस तरह से बेकार पानी का उपयोग कर वह लाभ उठा लेते हैं।

एक बात मैं नलकूपों के सम्बन्ध में कहूंगा। मैंने ,अपने यहां मकनपुर बिल्लोरे के आसपास देखा है कि जो आपरेटर वहां रहतेहैं वह किसानों से पैसा वसूल करने के लिये कुएं से पानी का बहाव इतना कम देते हैं कि जिससे समय पर सब को पानी नहीं मिल पाता और वह ऐसी दिक्कतें पैदा करते हैं कि जिससे लोग उस आपरेटर को पैसा देने की कोशिश करें और उसको मिलने की कोशिश करें। जो उसको मिला लेते हैं उनको पहले और जल्द पानी मिल जाता है और बाकी लोगों को नहीं मिल पाता। इस चीज को दूर करने के लिये पानी देने के बारे में कुछ ऐसे बन्धन और समय का निर्धारण होना चाहिये कि इतना पानी इतने समय में निकलना चाहिये, यानी इतने खेत, इतने बीघे एक मास में सिंच जाने चाहिये और अगर उतने न सिंचे तो उस आपरेटर से जवाब तलब होना चाहिये कि इतने समय में इतना रकबा क्यों नहीं सींचा जा सका। जहां इस तरह की कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है तो वह कोई न कोई बहाना करके किसानों को परेशान किया करते हैं, सिंचाई भी नहीं हो पाती, भ्रष्टाचार भी होता है और पैदावार भी कम होती है। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं और मैं इस को एक बहुत ही काला कानून समझता हूं। मुझे आशा नहीं थी कि हमारे सिंचाई मंत्री जी ऐसा हरा-हरा देख रहे हैं। अब सन् ६७ में वह देखेंगे कि यह हरा-हरा रहता है या सूखा साबित होता है। हमारे सिंचाई मंत्री श्री राममूर्ति जी तो स्वयं किसान हैं, मुझे आशा नहीं थी कि उनके द्वारा यह विधेयक लाया जायगा, इसके द्वारा किसान को अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स किया जा रहा है और जो बोझ उस पर डाला जा रहा है वह अनुचित है। आप को मालूम है कि इस प्रदेश के किसानों पर अभी २५ फीसदी लगान बढ़ायी गयी है, चकबन्दी हो रही है उसका खर्चा भी किसानों से वसूल किया जा रहा है, जो आबपाशी की छूट दी थी वह भी वापस ले ली और सुरक्षा कोष में जितना किसानों ने धन दिया उतना अमीरों ने नहीं दिया, इसको मंत्रीजी और माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। किसान, जो रीढ़ हैं इस देश की, उस पर इतना भार डालना कहां तक उचित है इसको सोच कर यह बिल मंत्री जी को नहीं लाना चाहिये था। चकबन्दी के समय क्या सरकार ने नहीं सोचा? आबादी के लिये जमीन छोड़ी जा रही है, आज इस विधेयक के जरिये उन किसानों से नाली के लिये भी जमीन ली जायगी और यह प्रावीजन चकबन्दी में कहीं नहीं है कि जितनी जमीन उनसे ली जायगी उसका लगान माफ़ होगा कि नहीं। जो जमीन उनसे ली जायगी वह उनके फ़ायदे के लिये होगी लेकिन आज तक सरकार सोती रही उनका फ़ायदा नजर नहीं आया और मेरी सूचना है, अनुभव है जितना किसान को पानी चाहिये उतना पानी सरकार नहीं देती। गेहूं के लिये चार पानी चाहिये लेकिन मुश्किल से एक या दो पानी मिलता है। इस संशोधन विधेयक से उन पर भार पड़ेगा और जमीन धीरे-धीरे छीनी जा रही है। इसमें गांव सभा का नाम है कि उसको स्कीम भेजी जायगी और उसको अमेंड करने का अधिकार होगा। लेकिन धारा ३० (बी) (४) में सारी पावर विभागीय अधिकारी को दी गई है कि अगर गांव सभा ने अपनी सुविधानुसार उस स्कीम को अमेंड किया और अधिकारी उन माडीफ़िकेशन्स को ठीक न समझे तो वह उनको नहीं मानेगा। धारा इस प्रकार है:

"Upon receipt of the objections, modifications or suggestions made by the Gaon Sabhas under sub-section (2), the Divisional Canal Officer may either confirm the scheme or amend, or modify it and thereupon the scheme so confirmed, amended or modified, shall become final."

तो गांव सभा को स्कीम भेजी, उसने माडीफ़िकेशन किया लेकिन विभागीय अधिकारी की समझ में वह अमेंडमेंट या माडीफ़िकशन ठीक समझ में नहीं आया तो वह अमेंड कर देगा और फाइनल होगा। यह अनुचित है। गांव सभा को जो समय दिया है उसमें वह पंचायत बुलायेगी उस स्कीम पर विचार करने के लिये और अगर उस अवधि में निर्णय न हो पाया तो विभागीय अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अपनी स्कीम को इम्पोज कर दे और ६० पैसा फी एकड़, हमारे यहां ५ बीघे का एकड़ होता है, दो आने के हिसाब से चार्ज हो जायगा, यानी लगान का आठवां या छठा हिस्सा सिंचाई का पड़ गया और इतना भार पड़ने के बाद भी क्या मंत्री जी वायदा करते हैं कि जितना पानी किसान को चाहिये उतना दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। नालियां बनी पड़ी रहेंगी, जमीन निकल जायगी और यह मनोवृत्ति किसानों में हो गई है कि एक तरफ तो उनकी जमीन निकल रही है धीरे-धीरे चकबन्दी और नालियों में और फिर उससे सरकार कहती है कि उत्पादन बढ़ाओ, तो यह कैसे सम्भव हो सकता है। जमीन पर आबादी बढ़ रही है, गाजियाबाद में किसानों की जमीन मिल मालिकों द्वारा ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिये ली जा रही हैं, तो एक तरफ तो कहते हैं जमीन बढ़ नहीं सकती और दूसरी तरफ इतनी जमीन पर इंडस्ट्री के नाम पर भार डाला जा रहा है, उनसे जमीनें ली जा रही हैं। दूसरे चकबन्दी में किसानों की जमीन ले ली गयी। तो जितनी जमीन थी उसको भी इस प्रकार के संशोधनों से कम करते जा रहे हैं और उधर आबादी बढ़ती चली जायगी। आखिर किसान कहां तक यह सहन कर पायेगा? और फिर अध्यादेश निकाला। सन् ४६ से सन् ६३ हो गया, इस बीच में सरकार को समझ में नहीं आया कि ऐसी नालियों की जरूरत है। एकदम से दिमाग में स्कीम आयी और

[श्री नेकराम शर्मा]

अध्यादेश निकाल दिया और उस अध्यादेश को भी अमेंड किया इस विधेयक के साथ-साथ और जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, पता नहीं कब फिर संशोधन लाना पड़े। और फिर नालियां कौन बनायेगा ? पी० डब्लू० डी०। सिंचाई मंत्री जी तो इस्टेट मिनिस्टर भी हैं। वह जानते हैं कि पी० डब्लू० डी० की बनाई हुई इमारतें कैसे एक साल में ही खराब हो जाती हैं।

अगर गांव सभा गूल बना देगी तो आपका अधिकारी जायगा, निरीक्षण करेगा और अगर देखेगा कि ठीक नहीं बनी है तो उनको तुड़वा देगा। तो कितना वेस्टेज होगा। माननीय सिंचाई मंत्री जी तो बहुत ईमानदारी से परिश्रम और सोच समझ कर सदन में चीज लाते हैं। पता नहीं इस संशोधन विधेयक को कैसे लाये और अब भी उनको इसमें विश्वास है या नहीं। मेरा विश्वास है कि उन्होंने जरूर इसका विरोध किया होगा लेकिन क्या करें, कैबिनेट का डेसीजन, उन्हें पेश करना पड़ा। इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसान आज तक पानी ले जाता रहा, सिंचन करता रहा, आज भी सिंचन करेगा। उसकी शिकायत तो यह है कि उसको पानी नहीं मिलता। हम लोग एग्जीक्यूटिव आफिसर के पास जाते हैं, पानी के लिये कहते हैं, वह कहते हैं कि पानी कहां से लायें, पानी नहीं है। तो पानी तो किसान को मिलेगा नहीं और इससे जो विभागीय अधिकारियों को सरकार अधिकार दे रही है तो वे नालियां तो बना देंगे और किसानों से उसका खर्चा वसूल कर लेंगे। माननीय राममूर्ति जी स्वयं खेती करते हैं। वे ईमानदारी से बतायें कि उनको खेती से कितना लाभ होता है ? लास पर उनका फर्म चल रहा है या प्राफिट पर ? अगर ईमानदारी से वे यह महसूस करते हैं कि उनके माडर्न, मेकेनाइज्ड फार्म में प्राफ़िट नहीं है तो फिर किसान जो पिछड़े तरीके से खेती कर रहा है उसको कैसे फायदा होगा ? उसकी तो बहुत बुरी हालत है और उस बुरी हालत में अगर आप बोझ पर बोझ किसान पर लादते गये तो उसकी कमर टूट जायगी कि वह उठ नहीं सकेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय राममूर्ति जी या तो इसको प्रवर समिति में भेजें या फिर इसको जरूर वापस लें।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। इस विधेयक को लाने का जो प्रयोजन है सभी माननीय सदस्यों को मान्य है। यहां तक कि विरोधी दलों के माननीय सदस्यों ने आलोचना की दृष्टि से बोलना आरम्भ किया है लेकिन उनके भाषणों से यह स्पष्ट है कि वे भी उस कार्य के लिये उत्सुक हैं जिसके लिये सरकार यह विधेयक लाई है। श्रीमन्, यह स्पष्ट है इस विधेयक के देखने से और मंत्री जी की स्पीच सुनने से कि जो वाटर सोर्सेज सरकार ने बनाये हैं और उपलब्ध हैं, उनसे गूलों और नहरों आदि का निर्माण न होने के कारण किसानों को लाभ नहीं हो सका है क्योंकि पानी उनके खेत तक नहीं पहुंच पाता है जिसकी वजह से खेती के उत्पादन में विकास नहीं हो पा रहा है और राज्य सरकार का जो लाखों करोड़ों रुपया लगाया गया है, उसका ब्याज भी नहीं मिल पा रहा है।

श्रीमन्, जहां एक ओर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये देश में चारों तरफ इतना जोर लगाया जाता है वहां पर यदि जल के साधन हैं लेकिन जलमार्ग न होने के करण उनका उपयोग नहीं हो सकता है तो वह कितनी दुखदायी स्थिति है और इस पर कोई कदम उठाना आवश्यक है। इसी को पूरा करने के लिये सरकार इस विधेयक को लाई है। यह कहा जा रहा है कि इस विधेयक में इस तरह की योजना नहीं है कि यदि कृषक जलमार्ग न बनाये तो सरकार व्यवस्था कर सके, इस लिये सरकार इस अमेंडमेंट को लाई है। हमारे सभी माननीय सदस्य जो इस बात के लिये उत्सुक हैं कि किसानों के खेतों में पानी पहुंचे, उनको तो इस विधेयक का स्वागत करना चाहिये था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह बात दूसरी है कि कुछ सुझाव दिये जा सकते थे और सुझाव देने का प्रयास भी किया गया है लेकिन कोई ठोस सुझाव नहीं आ सका। माननीय केशरी प्रसाद पांडेय जी ने कहा कि यदि इसको कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे दिया जाता तो अच्छा होता। वे ही इसको बनाते और पैसा इकट्ठा करते। अगर यह को ापरेटिव सोसाइटीज को दे दिया गया होता तो लोग कहते कि गांव सभा को क्यों नहीं दिया गया? इसलिये अगर कोई स्कीम रखी जाती है तो विकल्प के रूप में दूसरी बात कही जा सकती है। गांव सभाओं के हाथ में प्रबंध भी है, उनको इस काम को दिया जाय तो गलत नहीं होगा। हमारे साथी कल्पनाथ सिंह जी कह रहे थे कि फाइनल से क्या मतलब है? इसी धारा में स्पष्ट किया गया है कि कैनाल आफिसर एक स्कीम बना कर गांव सभा के पास भेज देगा और गांव सभा यदि कोई संशोधन करना चाहती है तो बैठक बुलाकर करेगी, फिर उसको आफिसर के पास भेज देगी। आफिसर या तो उसको मान लेगा या उसमें अमेंडमेंट कर देगा और वह फाइनल हो जायगी। श्रीमन्, ऐसी बात कहना, जनहित की दृष्टि से एक विधेयक लाया गया है, उसकी आलोचना करना स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। माननीय नेकराम शर्मा जी ने ऐसा क्रिटिकल शब्द का प्रयोग कर दिया कि बिलकुल काला विधेयक है। मैं यही कह सकता हूं कि उनकी भावनाएं बड़ी पेसीमिस्टिक हैं। वह कह रहे थे कि गांव सभाओं को अधिकार दिया गया है, तो पुनः अफसर को यह अधिकार दे देना कि उसको जब चाहे माडीफाई कर सकता है, यह गलत है। माननीय कमलासिंह जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव लाये थे, वह स्वयं इस बात के लिये शंकित थे कि जल मार्गों का बनाना टेक्निकल चीज है। जब तक गांव वालों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती तब तक वह सफल नहीं होंगे। सही चीज है कि यह टेक्निकल चीज है। ऐसी स्थिति में अगर कोई वैधानिक तरीके से गांव सभा के लोगों ने ऐसा संशोधन कर दिया जो ठीक न हो तो डिवीजनल कैनाल अफसर उसमें थोड़ी सी देखरेख कर सकता है। जहां तक प्रयोजन का संबंध है उधर और इधर के सब माननीय सदस्य सहमत हैं कि वाटर रिसोर्सेज हैं तो जल मार्गों का निर्माण होना चाहिये जिससे खेतों में पानी पहुंचे और इसके लिये वैध उपायों को काम में लाने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री जी के सम्मुख अवश्य निवेदन करूंगा कि आखिर कारण क्या है, एक तरफ जहां पर इतनी तीव्र मांग होती है कि ट्यूबवेल्स का निर्माण किया जाय और स्वाभाविक है कि किसानों की इसमें अभिरुचि भी है कि पानी मिलेगा और कृषि की उपज बढ़ेगी, वहां दूसरी तरफ इस प्रकार की स्कीमें विभाग द्वारा जो प्रस्तावित की जाती हैं, मैं सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहूंगा कि उनके काम में भी इससे कुछ आसानी पड़ेगी। थोड़ा सा अपने विभाग के कार्यों का जो लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन हैं उनमें कुछ लोकल ऐडजस्टमेंट होना आवश्यक है। नहरें जिलों से आती हैं। उनका कंट्रोल एग्जिक्यूटिव आफिसर द्वारा होता है। उस एग्जिक्यूटिव आफिसर से न जिलाधीश से मतलब है, न जिला परिषद् से मतलब है। अगर नहर के विषय में जिलाधीश या सब डिवीजनल आफिसर से कोई बात कही जाय तो वह कहते हैं कि इर्रीगेशन वाले ऊपर से कंट्रोल्ड होते हैं, हम लोग कुछ अधिक नहीं कर पायेंगे। इसलिये कुछ थोड़ा सा स्थानीय क्षेत्र में ऐडजस्टमेंट की आवश्यकता है। इसी तरह से नहर के जिलेदार हैं, उनका न नहर से मतलब है न ब्लाक से और न सब डिवीजनल आफिसर से कोई संबंध है। ट्यूबवेल आपरेटर्स पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे रेलवे है, उत्तर प्रदेश के जनपदों से रेल जाती है उसमें चाहे चोरी हो, डकैती हो, या लाइन गिरे, कोई डिफेक्ट हो, हम अगर सुझाव देते हैं तो मान्यता नहीं देते हैं, जब तक दिल्ली की सरकार के पास न पहुंचाया जाय। (व्यवधान) मैंने आरम्भ में निवेदन किया था कि जहां तक इस विधेयक के प्रयोजन का संबंध है सदन के उधर के और इधर के बैठने वाले सब माननीय सदस्य इस बात के उत्सुक हैं कि अगर जल के साधन मौजूद हैं तो केवल जल मार्गों की कठिनाई से पानी खेतों तक न पहुंचे यह बड़ी दुखदायी स्थिति है और यही सिंचाई मंत्री जी ने भी अनुभव किया है जिसकी वजह से यह विधेयक लाये हैं। मैं जो कह रहा था वह यही था कि आपने जो सुझाव दिये हैं वह ठोस नहीं हैं और उन्हीं के उत्तर में मैंने दो, एक बात कहीं है कि इस दल के नियंत्रण में थोड़ा सा लोकल ऐडजस्टमेंट की आवश्यकता है।

[श्री कृष्णानन्द राय]

अब श्रीमन्, मैं निवेदन करूं कि जलमार्गों के निर्माण की जिम्मेदारी कृषकों की है। कहा जाता है कि कृषक उसका निर्माण नहीं करते और सरकार द्वारा साधन उपलब्ध कराने पर भी वक्त पर खेतों में पानी नहीं पहुंचा पाते, लिहाजा सरकार यह विधेयक लायी है। लेकिन वह योजनायें जो स्टेट कंसर्न्ड है, स्टेट प्लान्स के अन्तर्गत हैं उनमें कुछ विलम्ब होता दिखाई पड़ता है। माननीय सिंचाई मंत्री हमारे जिले में गये हुये थे। वहां कुछ ऐसी नहरें पड़ी हुई हैं जो स्टेट प्लान्स के अन्तर्गत हैं। इर्रीगेशन डिपार्डमेंट द्वारा जमीन का एक्वीजीशन हो चुका है, नहरें खुदी हुई पड़ी हैं लेकिन पानी नहर में नहीं पहुंचता। कभी कभी २, २ फर्लांग तक नहरें खुदी हुई पड़ी हैं लेकिन बांच आगे नहीं बढ़ रही हैं, पानी छोड़ दिया गया है और वह ओवरफ्लडेड हो जाती है। तो ऐसी योजनायें तीन-तीन, चार-चार वर्ष से चल रही है। ऐसा मालूम होता है कि सिंचाई विभाग का जो लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन है और सिंचाई विभाग का मुख्य जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है, जो साइकोलाजिकल समन्वय होना चाहिये, वह नहीं हो पा रहा है जिसके कारण सिंचाई विभाग के कार्य में, जो जनहित का कार्य है, कठिनाई पड़ रही है। मैं सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कैनाल के या ट्यूबवेल्स के, जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, उनको जिला परिषदों के नियंत्रण में भेजें, कैनाल के इंस्पेक्टर्स से कहें कि सिर्फ लखनऊ और बनारस से ही नियंत्रण नहीं होता, जिला सब डिवीजनल आफिसरों, ब्लाक अधिकारियों और क्षेत्र समितियों के साथ कार्य करना सीखें और ट्यूबवेल आपरेटरों को गांव सभाओं के नियंत्रण में काम करना सिखावें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आप तो ऐसी सलाह दे रहे हैं कि काम नहीं हो सकता। आपने, पहले भी इसी तरह से जिला शिक्षण समितियां बनी हुई थीं, उनको जिला बोर्ड के अन्दर कर दिया और वह काम नहीं कर सकीं।

श्री कृष्णानन्द राय—

आप जहां से शिक्षा पाते है वहां केन्द्र से ही नियंत्रण होता है इसलिये आप इस बात को ऐप्रीशियेट नहीं कर पायेंगे। थोड़ा सा लोकल ऐडजस्टमेंट हो सके वह मेरा सुझाव था। मैं नहीं कहता कि जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उनको परिषदों के अधीन कर दिया जाय, या इंस्पेक्टरों को ब्लाक कमेटियों के अधीन कर दिया जाय,यह हर्गिज मैं नहीं कह रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक में जिस प्रकार सिंचाई मंत्री जलमार्गों के निर्माण को गांव सभा के माध्यम से करने का प्रयास करना चाहते हैं, जिससे जलमार्गों की जो योजना बने, वह गांवसभाओं के द्वारा इम्प्लीमेंट हो सके और जब गांव सभायें न कर सकें तब विभाग उसे करे तो इससे जो स्थानीय योजनायें बनेंगी उससे गांव वालों को अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। उसी तरह से नहरों का पानी किस तरह से खुले इसके लिये क्षेत्र समिति के प्रधान के पास इंस्पेक्टर वगैरह जायेंगे तो थोड़ा सा उनकी आवाज में बल आयेगा और यहां लखनऊ न आकर स्थानीय दृष्टि से वे लोग सोच सकेंगे। इन शब्दों के साथ यह विधेयक, जिस जनहित को दृष्टि में रखकर लाया गया है, उसके लिये मैं इसका स्वागत करता हूं।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक को विलम्बकारी, आदर्शवादी और प्रयोगात्मक यह संज्ञायें देना चाहता हूं। इससे जो काम जल्दी होना चाहिये, वह देर में होगा। यह एक्सपेरिमेंटल है और आइडियलिस्ट है। यह इसलिये मैं कह रहा हूं कि अगर यह बात मानी गई है कि पहले गांव सभाओं से यह काम कराया जाना चाहिये तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बिल की धारा ३० की छठी उप धारा की तरफ लाना चाहूंगा जिसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से काम करने के बाद इसकी कार्यवाही आगे चलेगी। इसमें यह लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट की १७ वीं धारा के अनुसार अर्थात् जो स्माल इर्रीगेशन को एक्सक्लूड करने के लिये प्रोग्राम बना था, उस पंचायत राज ऐक्ट में, उसी प्रकार इसमें भी किया जायगा। तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह तो पहले सन् ४७ में यह कानून बन चुका था । सन् ४७ में कानून बनने के बाद अगर गांव पंचायतें इस योग्य न हो सकीं कि वह अपनी छोटी योजनाओं के पानी को इस्तेमाल कर सकें तो मैं नहीं समझता हूं कि अब आज फिर यह प्रयोग करने की आवश्यकता है । प्रयोग हो चुका । माननीय बंश धर जी इत्तफाक से चले गये, उनसे माननीय सिंचाई मंत्री जी यह पूछें कि इतने दिनों में उनकी गांव पंचायतों के जरिये कितनी नालियां पानी को इस प्रकार इस्तेमाल करने के लिये बनाई गईं । यह कार्य इतना आवश्यक है कि इसमें जितना भी विलम्ब हुआ वह मैं समझता हूं जैसा भाई कल्पनाथ सिंह ने कहा—एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और सचमुच बड़ी भारी भूल है । मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान उनके मित्र माननीय गोविन्द सहाय जी की इवेल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट की ओर दिलाऊंगा जिसमें यह कहा गया था कि हमने सन् ५८—५९ तक ४३ लाख एकड़ का पोटेंशियल पैदा किया सेकेंड फाइव ईयर प्लान में । उसमें से सिर्फ १४ लाख एकड़ को हम इस्तेमाल कर पाये । सन् ५८—५९ तक २९ लाख एकड़ पोटेंशियल बेकार गया । यह तो उस रिपोर्ट के अनुसार मैंने बताया । इस वक्त उसमें कुछ सुधार हुआ है और इस वक्त सन् ६०—६१ के आंकड़ों के अनुसार करीब १५ लाख एकड़ भूमि पर पानी पहुंचाने की शक्ति हमारी बाकी रह जाती है, जो पानी कि हमारा बेकार जाता है । अब जरा इस बात को ध्यान में रखें कि नालियां बनाने में ५० लाख रुपया तो खर्च होगा वित्तीय ज्ञापन जो दिया हुआ है उसके अनुसार और इस बात को छोड़ भी दें तो जो २९ लाख एकड़ का हमारा पोटेंशियल इतने दिनों तक बेकार जाता रहा, इस वक्त जो १५ लाख एकड़ का पोटेंशियल बेकार जाता है, उसकी वजह से डेढ़ करोड़ रुपये साल से कम नुकसान सरकार का नहीं होता । मैं ठीक नहीं जानता हूं कि पानी का रेट क्या है, दूसरे भाई जिनका सिंचाई से गहरा ताल्लुक है वह इसको दुरुस्त करेंगे, १० रुपये एकड़ से कम गेहूं और धान का रेट नहीं है । कहीं पर २५ रुपये है लेकिन मैं १० रुपये एकड़ अगर मान लूं तो इस वक्त १५ लाख एकड़ जमीन पर पानी नहीं पहुंचता है जिससे सरकार को १।। करोड़ रुपये साल का नुकसान है । हम कहते हैं कि यह बात मानी हुई है कि अगर हम नालियां बना दें तो नालियां बनने के बाद १५ लाख एकड़ में से १-२ लाख पोटेन्शियल खराब हो सकता है लेकिन जितना भी इस्तेमाल होगा उससे सरकारी खजाने में अगर २ करोड़ रुपया आयेगा तो यह कितना बड़ा लाभ सरकार के लिये है । इस दो करोड़ रुपये के मुनाफे की बात को छोड़कर सरकार आदर्शवाद में पड़ी हुई है । एक मर्तबा अगर चिड़िया की तीन टांग कह दी गई है तो हम ३ टांग कहते कहते ही मर जायेंगे । हम यह जरूर चाहते हैं कि गांव सभा नालियां बनायें । गांव सभाओं की क्या कैफियत है । मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि विकास आयुक्त के यहां से ब्लाकों से कुछ सूचना मांगी गई है । तीन महीने से कुछ ज्यादा हुये वह सूचना मांगी गई है । उनको एक कागज भेजा गया था जिसमें कुछ सूचना मांगी गई है । उस कागज में कुछ खाने हैं उन को पूरा करके भेजने की बात है । लेकिन उस कागज के लिये यह सूचना मांगी हुई है कि जल्दी से यह सूचना भेजे कि वह कागज तुम्हारे पास पहुंच गया । उसमें यह लिखा हुआ है कि मेहरबानी करके हम जो कागज भेज रहे हैं इसकी जल्दी से सूचना दें । आप इसका पता लगवायें कि ६५८ ब्लाक इस वक्त "आर्गन इज्ड" हैं लेकिन उनमें से १८० का जवाब अभी तक नहीं आया है । सिर्फ उसमें इतनी बात है और यह लिख देना है कि हमको चिट्ठी पहुंच गई है । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि वहां पर ६५८ में से १८० ने यह भी नहीं लिखा कि हमको चिट्ठी मिल गई । आप कहते हैं कि ६ करोड़ से कम बाकी है । ६ करोड़ रुपया उनके हाथ में दिया गया और वर्ष पूरा हो रहा है । वह रुपया कहां खर्च हुआ और कब तक वह खर्च होगा । ३१ मार्च भी आ गया । मैं माननीय राममूर्ति जी और मिश्र जी से कहूंगा कि आप कृपा करके देखें कि वह ३१ मार्च तक कौन से लेजर में जायगा । किसी न किसी लेजर में उसको घुसाने की कोशिश हो रही है । इस तरह से एक्सपैरिमेंट के लिये बहुत से तरीके निकलते हैं और अन्न का प्रोडेक्शन नीचे जाने पर भी एक्सपैरिमेंट होता रहेगा । सारे देश में उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से धक्का लगा है । मैं तो एक तरह से यह समझ कर बैठा हुआ हूं कि हमारी कृषि आय घटी है और उस कृषि आय के घटने के कारण ही सारे देश में हम पिछड़े हुये आज कहे जाते हैं । मैं समझता हूं कि जो हमारे पास आया उसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाये । यह अच्छी बात है कि बजाय इसके कि आप आदर्शवाद में पड़ें आप यह

[श्री गेंदा सिंह]

बिल ले आये । किसी भाई ने कहा कि ५, ७ वर्ष पहले से हमारा पोटेन्शियल बेकार पड़ा हुआ था उस वक्त इस ओर ध्यान नहीं गया । गांव सभा नालियां बना सकती थीं । ऐसा हुआ होता तो हमारा २९ लाख एकड़ का हमारा पोटेन्शियल खराब न जाता । प्लानिंग के यह माने हैं कि जो शक्ति हम पैदा करें उसका इस्तेमाल हो लेकिन जहां जहां हमने ट्यूबवैल बनाया वहां पर उस शक्ति को कहां इस्तेमाल किया । जो शक्ति पैदा की गई उसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है तो क्या यह प्लानिंग है ? इसको प्लानिंग नहीं कहते, इसको कयास कहते हैं । मैं आपसे बहस मुबाहसे की बात नहीं करता, ऐसी बात करता हूं कि जिसको आप समझें । नियोजन के माने यह नहीं होते कि हमने पोटेंशियल पैदा कर दिया, लेकिन उसको लेने वाला कोई नहीं । लेने वाला तो है, लेकिन आप उसके पास तक पानी पहुंचा तो दीजिये । इसमें क्या होगा । आप कहते हैं कि हम स्कीम बना कर गांव सभा के पास भेजेंगे । अगर वह उसे एक्जिक्यूट नहीं कर सकेगी तो हम जमीन एक्वाइर कर लेंगे और बनायेंगे और फिर उनसे रुपया वसूल कर लेंगे । अब गांव सभा की क्या हैसियत है किससे आप रुपया वसूल कर लेंगे ? बेनीफिशियरी को आप ढूंढते फिरेंगे । जिस ट्यूबवेल और नहर के पानी की कीमत आप किसान से वसूल करेंगे उसके साथ अगर आप नाली की कीमत भी वसूल करते जायं तो क्या उसे कोई रोकेगा ? कोई नहीं रोकेगा । कौन पूछेगा कि कितना नाली का हिसाब है और कितना पानी का हिसाब है ? कोई काश्तकार पूछता है ? मैं समझता हूं कि कोई नहीं पूछता । इसलिये नाली आप बनाइये । आप छोड़िये इस जिद को । अगर आपको गांव सभा का प्रयोग करना ही है तो उसके लिये काफी गुंजायश है । आप उनसे इम्तहान लेने के लिये मालगुजारी वसूल करवाइये । अलीगढ़ जिले में मालगुजारी वसूल करने का काम उनको दिया गया था तो दो घंटे के अंदर सारी मालगुजारी वसूल हो गयी थी गांव सभा द्वारा । न किसी को उसमें पीटा गया था और न किसी पर ईंटा लादा गया था, न किसी की कमर में रस्सी बांधी गयी थी । आप यह एक्सपेरीमेंट करें । अगर एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन बढ़ाने की दिशा में ही आप काम करना चाहते हैं तो सीमेंट और ईंटा इकट्ठा करने का काम आप अपने जिम्मे रखें । गांवसभा इन चीजों के लिये कहां कहां ढूंढती फिरेगी । उसकी कैफियत हम सबको मालूम है । वह यह सब कहां से ले आयेगी । अगर आपका इरादा कच्ची नाली बनाने का है तो सिंचाई मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे इस इरादे को छोड़ दें । उनसे काम चलेगा नहीं । मैं इस राय का हूं कि आप कच्ची नाली न बनायें । कच्ची नालियों द्वारा जो पानी निकलता है उसे आप कितनी दूर तक पहुंचा सकेंगे ? वह एक मील तक भी नहीं जा सकेगा । ५० लाख की जगह भले ही १ करोड़, २ करोड़ या ३ करोड़ खर्च हो जाय, लेकिन कच्ची नाली बनाने का इरादा आप छोड़ दें । पक्की नालियां बनाइये और इसमें गांव सभा के साथ एक्सपेरीमेंट न करें । अगर कोई वारलाइक काम किया जा सकता है तो पहला काम यह है उत्पादन बढ़ाने के लिये कि आप पक्की नालियां बना दें और अगर आप १५ लाख एकड़ में भी पानी पहुंचा सके तो २ मन फी एकड़ पैदावार बढ़ सकती है । इस प्रकार ३० लाख मन पैदावार बढ़ जायगी और यह कोई मामूली चीज नहीं है । अगर १० रुपये मन के हिसाब से भी उसे जोड़ा जाय तो ३ करोड़ की अधिक पैदावार हो सकती है एक साल में, जब कि इन नालियों पर ज्यादा से ज्यादा १, २ करोड़ रुपया ही खर्च होगा । अगर एक दो करोड़ खर्च होने पर ३ करोड़ की आमदनी बढ़ती है तो मैं समझता हूं कि इससे न किसान को घाटा है और न सरकार को । इस नाली की कीमत को अगर गांव सभा से लेना है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ट्यूबवैल या नहरों के साथ उस नाली की कीमत लेकर जैसा यह सरकार करती आई है, वैसा करे और उसे वसूल कर ले । यह काम रुकने न पाये । मैंने जो इस आदरणीय सदन का कीमती समय लिया वह इसी उद्देश्य से लिया कि मैं इन बातों को आप के सामने रखूं और इनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं । आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिये । मेरे विचार से तो इस बिल की आवश्यकता ही नहीं है । परन्तु आप तो अपनी उसी पुरानी परिपाटी को पीटना चाहते हैं । इन शब्दों के साथ मैं यह आशा करता हूं कि सरकार कोई कदम सोच समझ कर उठायेगी ।

(श्री बैजनाथ सिंह वैद्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। आपको इधर नहीं दिखाई देता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपने शब्दों को वापस लें।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

अधिष्ठाता महोदय, इस समय, जो संशोधन विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है, उस पर मैं अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे गांव में नहरों तथा अन्य साधनों के द्वारा पानी उपलब्ध कर दिया है। इससे किसानों की बहुत दिक्कतें दूर हो गई हैं। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब कि नहरों का पानी बहा करता था, उस वक्त किसान अपने खेत के किनारे उसे खड़ा खड़ा देखा करता था। परन्तु किसान मजबूरी के कारण अपने खेतों में उस पानी को नहीं ले जा सकता था। आप देखें कि इस विधेयक के द्वारा माननीय मंत्री जी ने वह सारी परेशानियां दूर कर दीं। जहां पानी के साधन नहीं थे और जहां पर गूलें नहीं थीं, उन जगहों पर अब किसी न किसी प्रकार से गूलें बना दी जायेंगी। अब चाहे वह पंचायतों के द्वारा खोदी जायें या सरकार स्वयं अपने विभाग द्वारा उनको खुदवायें। लेकिन वह जो सबसे बड़ी समस्या थी कि पानी के रहते हुए भी, हमारे खेत सींचे नहीं जाते थे, जिसके कारण कि हमारा किसान कभी कभी कुछ गलती भी कर डालता था और उसे उसका फल भोगना पड़ता था। वह देखता था कि पानी बह रहा है और उसका खेत सूखा पड़ा है तो वह कुछ अनियमितता भी कर डालता था। वह कभी कभी नहर भी खोद डालता था जिसकी वजह से वह कठिनाई में भी फंस जाता था। मैं तो यही कहूंगा कि यह सरकार धन्यवाद की पात्र है कि ऐसे मौके पर उसने बहुत ही सोच समझ कर काम लिया है और उसने ऐसे संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया है जिससे हमारी दिक्कतें दूर हो जायेंगी। हम तो यह समझते हैं कि यह सरकार अगर कोई ऐसा संशोधन लावे कि इस प्रदेश के रहने वालों को भोजन नहीं करना चाहिये, तो उसके स्थान पर विरोधी दल वाले यह कहेंगे कि हां अन्न नहीं खाना चाहिये बल्कि उसके स्थान पर मिट्टी खानी चाहिये क्योंकि उनका यही काम है कि कोई भी विधेयक जो सदन के समक्ष प्रस्तुत होगा, उसमें अगर उनका कोई संशोधन नहीं आयेगा और उसके विरोध में कुछ बातें वे नहीं कहेंगे तो यह उनकी बहुत बड़ी अयोग्यता साबित होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह स्वाभाविक बात है कि "राम की राह में ठेली का ठेला" यह उनकी पालिसी है। इतने अच्छे विधेयक के लिये भी कल्पनाथ सिंह जी ऐसे व्यक्ति सख्त से सख्त बात कह डालते हैं। वह तो इतना आगे बढ़ गये कि कहने लगे कि यह कानून बिल्कुल काला है। "काला कानून" शब्द हम अंग्रेजों के जमाने में इस्तेमाल करते थे, अब यह यहां इस्तेमाल हो गया। कहा गया कि यह किसानों का शोषण करने वाला है और नये कर की शक्ल में सरकार वसूली करेगी। ठीक है, बुद्धिमान सही को गलत और गलत को सही करने में अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं और मामूली आदमी बड़ा बड़ा चकमा देकर बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंच जाते हैं। यह तो इस डिमोक्रेसी में पूरा पूरा अधिकार है कि जिस बात पर चाहें संशोधन ले आवें। कहा गया कि संशोधन तो बड़ा अच्छा है पर किसानों को बड़ी परेशानी हो जायगी। पहले तो पानी का साधन ही नहीं था जिससे किसान सिंचाई का लाभ उठा सके। वहां साधन उपस्थित कर दिया गया तो बात बड़ी परेशानी की हो गयी, देर की हो गयी, यह समझ के बाहर की चीज है।

श्रीमन्, गांव पंचायत के बारे में जो जिम्मेदारी दी गयी, यह दरअसल एक अच्छा तरीका है, गांव पंचायत करें तो बहुत सुन्दर है। मगर हम देखते हैं कि गांव पंचायतों में काम जल्दी के होते हैं, उनमें अनेक दिक्कतें पड़ जाती है। इसलिये उसमें लिखा है कि गांव पंचायतों से, जो कार्य रूप में परिणत करने में देर लगेगी, उसमें उससे और तेजी ला दी गयी ताकि किसान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

उससे लाभान्वित हो सके । तो इसमें कोई लम्बी-चौड़ी या घुमाव-फिराव की बात नहीं है, इसे स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।

एक बात जरूर है जिस पर मुझे कष्ट हुआ । माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उनके विभाग में बड़े-बड़े अधिकारी कुछ स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति के हैं । उन पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखना चाहिये । हमारी स्कीमें और काम बड़े हैं, हम अच्छे तरीके से किसानों के लाभ के लिये सोचते हैं, लेकिन कार्यरूप में परिणत करने के समय जिनके हाथ में दे देते हैं उसमें कठिनाई हो जाती है । एक दरख्वास्त हमने दिया माननीय मंत्री जी को कि हमारे यहां कुछ एरिया ऐसा है जहां नहरें नहीं जा सकतीं, वहां ट्यूबवेल दिया जाय । मंत्री जी ने उस दरख्वास्त को एग्जिक्यूटिव इंजीनियर के पास प्रतापगढ़ भेज दिया और वह आयी तो उन्होंने कहा कि यह मंत्री जी नहीं करते हैं तो मैं करता हूं, मैं जिस काम को चाहूं तो आसानी से हो जाय और मंत्री जी न चाहें तब भी मैं कर सकता हूं । मुझे बड़ी तकलीफ हुई, हमारे स्वाभिमान ने यह गवारा नहीं किया कि मैं कहूं कि आप ही सबसे बड़े अधिकारी हैं, मिनिस्टर से भी बड़े । मैंने कहा कि होगा तो हो जायगा, वरना नहीं होगा । थोड़े दिन बाद लिखकर आ गया कि तुम्हारे यहां नहीं हो सकता, क्योंकि आवश्यकता नहीं है । तो इस तरह के अधिकारियों से सरकार और किसानों को कष्ट होता है । इस पर वह अवश्य निगाह रखें । कई बार परिवर्तन हुआ है, पहले दूसरे मंत्री थे और हर मंत्री के जमाने में एग्जिक्यूटिव इंजीनियर बड़ी ताकत लेकर वहां पहुंच गये ।

हम जानते हैं कि यह संशोधन विधेयक बहुत सामान्य, अच्छा और सुन्दर है, बड़े वक्त से आया है, इसलिये जो संशोधन हमारे भाइयों ने रखा है वह उसे वापस ले लें ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

अधिष्ठाता महोदय, कब्ल इसके कि मैं इस संशोधन विधेयक के संबंध में कुछ कहूं, मैं माननीय गेंदा सिंह जी से क्षमा याचना करूंगा, क्योंकि मैं इस विधेयक को विलम्बकारी विधेयक की संज्ञा नहीं दे सकता । लेकिन साथ ही माननीय मंत्री जी पर मैं यह आरोप जरूर लगाऊंगा कि वे इस विधेयक को काफी विलम्ब से लाये हैं, इसको काफी अरसे पहले आना चाहिये था । उन्होंने खुद कहा कि पानी का पोटेंशियल १२८ लाख एकड़ का है लेकिन १०८ लाख एकड़ में ही इस्तेमाल होता है, २० लाख एकड़ का बर्बाद जाता है । कितने दिनों से ऐसा हो रहा है ? हमने दो पंचवर्षीय योजनाओं में नहरों की तादाद बढ़ाई । लेकिन जिस अनुपात से नहरों की संख्या बढ़ी, पानी की मात्रा बढ़ी, उस अनुपात में सिंचाई का एरिया नहीं बढ़ा और इसका मुख्य कारण यह रहा कि ज्यादातर पानी खराब होता रहा । इसलिये मेरा यह आरोप है कि पानी का इस्तेमाल सही तौर पर हो सके, इसलिये इस बिल को आज से पहले आना चाहिये था । यह प्लानिंग का डिफेक्ट है ।

मंत्री जी पर इस आरोप को लगाने के साथ साथ, जिस भावना से यह विधेयक लाया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं । उसके पीछे यह उद्देश्य है कि आज तक जो पानी बर्बाद होता रहा है उसका सदुपयोग किया जा सके और जहां पानी आगे पहुंच सकेगा तो पैदावार भी बढ़ाई जा सकेगी । यह उद्देश्य सराहनीय है, इसलिये मैं इसकी सराहना करता हूं । पानी बर्बाद होने का एक कारण यह था कि गूलों की समुचित व्यवस्था न थी, इसलिये ठीक तौर से सिंचाई नहीं हो सकती थी क्योंकि वे पूरे कमांड एरिया को कवर नहीं कर पाती थीं । गूलों को ठीक रखने के लिये सरकार के द्वारा इस विधेयक के जरिये प्रयास किया जा रहा है । यह बहुत अच्छा कदम है । आजकल भी गूलों के रख रखाव आदि की जिम्मेदारी किसानों की थी पर कहां गूल बनायी जाय और कहां न बनायी जाय, इस विषय में किसानों की कोई आवाज नहीं थी । अब गांव समाजों के माध्यम से किसानों की आवाज पहुंच जायगी । यह कदम बहुत ही स्वागत के योग्य है ।

इसके साथ ही साथ कुछ व्यावहारिक दिक्कतें भी हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस विधेयक के बावजूद भी वे दिक्कतें बाकी रह जायंगी जिनका समाधान होना चाहिये । किसी गूल को बनाने के लिये नहर विभाग की ओर से जब प्लान बनाया जाय तो इस बात का ध्यान रखा जाय कि कुलाबे से जितना डिस्चार्ज उस गूल में हो उतना ही कमांड एरिया उसका रखा जाय लेकिन तजुरबा यह बताता है कि एक कुलाबे के ऊपर ५०–१०० एकड़ तक का कमांड एरिया रख दिया जाता है और उससे सिंचाई केवल २०–२५ एकड़ की ही हो पाती है । इसके अलावा यह रखा गया है कि गूलें या तो श्रमदान से बना ली जायंगी और अगर नहीं बनेंगी तो गांव समाज अथवा सरकार बनायेगी और किसानों से उसका पैसा वसूल कर लिया जायगा । जिस किसान से पैसा वसूल किया जायगा वह यह अपना अधिकार समझेगा कि उसको उस गूल से पानी मिलना चाहिये और पानी उसके खेत तक आ जाना चाहिये । उसके खेत पर नहीं पहुंचेगा तो गांव में झगड़े खड़े होंगे । आम तौर से देखा जाता है कि जो कमांड एरिया है वहां हेड पर जितने किसानों के खेत होते हैं वे तो अपनी सिंचाई कर लेते हैं लेकिन टेल तक पानी नहीं पहुच पाता । अपने उन्नाव जिले की बात मैं जानता हूं कि वहां हर साल १०–१५ मुकदमे दफा ३०३ के, ४०–५० मुकदमे ३०७ के, और न मालूम कितने दफा ३२५ और ३२६ के होते हैं । नहर के पानी के पीछे कई-कई कत्ल तक हो जाते हैं । इसलिये इस बात की तरफ अवश्य ध्यान रखा जाय कि कमांड एरिया उतना ही रखा जाय जितना कि कोलाबे से पानी डिस्चार्ज हो सके । बाकी के लिये कोई दूसरा इन्तजाम किया जाय ।

एक बात जो मैंने इस सदन में पहले भी कही थी, इस विधेयक के लाने से भी मेरी वह शंका दूर नहीं हुई है और वह व्यावहारिक दिक्कत की है । वह दिक्कत माल विभाग और सिंचाई विभाग की नीतियों के आपस के टकराव से पैदा होती हैं, इससे माल विभाग को भी दिक्कत होती है और सिंचाई विभाग को भी दिक्कत होती है । खासकर यह दिक्कत सिंचाई विभाग को चकबन्दी एरिया में तब होती है जब कि चकबन्दी के अधिकारी अपना प्लान बनाते समय गूल के लिये कोई जगह छोड़े होते हैं और सिंचाई विभाग कोलाबे के लिये कोई दूसरी जगह की तजवीज करता है । अगर एक विभाग २ मील ७ फर्लांग पर गूल बनाने के लिये जगह छोड़े है तो दूसरा विभाग २ मील ६ फर्लांग पर अपने कोलाबे बनाने की स्कीम बनाता है । तो दोनों विभागों में कोई सामंजस्य नहीं हो पाता है जिससे बड़ी दिक्कत होती है । मेरे जिले उन्नाव के हसनगंज में चकबन्दी का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है लेकिन चकबन्दी के पहले जितनी एरिया में वहां सिंचाई होती थी, उसके ५० फी सदी एरिया में भी चकबन्दी के बाद सिंचाई नहीं हो सकी हैं । उसका कारण यह है कि जो मौजूदा गूल थे उनको चकबन्दी विभाग ने किसानों को उनके चक में दे दिया । वहां नल लगे हुए हैं लेकिन गूलें नहीं हैं जिससे सिंचाई नहीं होती । तो इसका सामंजस्य कैसे हो, इसका कोई प्राविधान इस विधेयक में नहीं है ।

इसके अलावा कई और भी दिक्कतें पैदा हो जाया करती हैं । मैं अपने क्षेत्र के एक गांव में गया था तो मालूम हुआ कि वहां के कुलाबे व गूल बन्द कर दिये गये हैं । इसका नतीजा यह है कि नहर होते हुए भी कुलाबे व गूल न होने से किसानों के खेतों पर पानी नहीं पहुंच पाता । किसानों ने नहर के अधिकारियों तक बड़ी दौड़ धूप की लेकिन उनके खुलवाने का कोई इन्तजाम नहीं किया गया । इस पर किसी ने उनको सलाह दे दी कि जहां चकबन्दी वालों ने गूल के लिये जगह छोड़ी है वहां कुलाबे लगा कर सिंचाई कर लो और किसानों ने ऐसा ही किया । यह काम तो मेट ने किया । लेकिन जब ओवरसियर आये तो वे कहने लगे कि तुमने यहां क्यों कुलाबा लगा लिया, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कायम किया जायगा । तो ये कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं ।

इसी तरह से अभी मैं उन्नाव में गया था तो मालूम हुआ कि बहुत से किसानों ने अपने खेतों में सिंचाई के लिये कानून का अतिक्रमण किया है लेकिन सरकार को यह भी देखना चाहिये कि उन लोगों ने मजबूरी की हालत में ही ऐसे छोटे-मोटे कानूनों का अतिक्रमण किया है । उसे उतनी सख्त निगाह से देखने की जरूरत नहीं है जैसा कि सामान्य परिस्थितियों में देखा जाता है । ऐसे किसानों के साथ सरकार का ऐटिट्यूड काफी नर्मी का होना चाहिये, उनको

[श्री भीखालाल]

तरफ सहानुभूतिपूर्वक देखना चाहिये क्योंकि किसानों ने मजबूरी की हालत में ही अपनी खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये ऐसा किया है। उनका कोई उद्देश्य नहर विभाग को नुकसान पहुंचाने का या कानून को तोड़ने का नहीं था बल्कि उनका उद्देश्य तो यही था कि किसी तरह से उनके खेतों तक पानी पहुंचे। इसलिये इस किस्म के मुकदमे खतम होने चाहिये। तो मैं कहता हूं कि इनमें सामंजस्य कहां है---चकबन्दी विभाग व नहर विभाग में। क्योंकि चकबन्दी वालों का उद्देश्य जमीन छोड़ने का यह होता है कि उनका चक चौकोर बना रहे, और उन्होंने दो चकों के बीच में जगह छोड़ दी कि यहां पर सिंचाई की नाली रहेगी। नहर विभाग का उद्देश्य दूसरा रहता है। वह कमान्ड एरिया देखकर जमीन के स्तर के हिसाब से चलते हैं तो इन दोनों चीजों में एक सामंजस्य होना चाहिये और इस में इस का समावेश होना चाहिये। यह एक व्यवहारिक दिक्कत अपनी जगह पर है। जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है कि किसानों की जो अभी तक नहर की गूलें और नालियां बनाने में जो कोई आवाज नहीं थी अब पंचायतों के माध्यम से यह योजनायें किसानों तक जायगी और उन के सुझाव और संशोधन सुनने के बाद योजनायें बनेंगी, यह एक अच्छा कदम है जिस का मैं स्वागत करता हूं और इन सब चीजों के साथ मैं इस की सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सुझावों पर सरकार की तरफ से ध्यान दिया जायगा।

श्री जे० पी० मिश्र---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहले मैं आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि यह चीफ मिनिस्टर साहब के माइक का जो राड है वह मेरे आपके सामने आ जाता है इसलिये उस तरफ निगाह रुकती है, जो मैं ने कहा था उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता---

आप भाषण जारी करें, मैं भी यह समझता हूं, वह ठीक है।

श्री जे० पी० मिश्र---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी की और इस सरकार की ओर से जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं आपके सामने खड़ा हूं। अन्नोत्पादन को दृष्टि में रखते हुए यह विधेयक समयानुकूल है। अन्न के उत्पादन का प्रश्न और रक्षा का प्रश्न दोनों ही इस वक्त दो मुख्य प्रश्न हैं जो प्रदेश और देश के सामने मुख्य है, इन में अधिक से अधिक तरक्की होना चाहिये। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जिस तरह से सिंचाई में प्रगति की गई उनको अब नजदीक और गहराई से देखने से यह पता लगा कि जिस तरह से ८,००० मील चैनेल्स बढ़ीं और करीब-करीब ४,००० के नलकूप बने उन के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिये जितनी नालियां होनी चाहिये थीं उतनी नालियां नहीं बन पायीं। उन में बहुत भारी कमी प्रतीत हुई और इसी कमी को पूरा करने के लिये सदन के सामने यह विधेयक लाया गया है यह एक बहुत ही मासूम विधेयक है। इसमें किसी तरह की कन्ट्रोवर्सी का सवाल नहीं उठता मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें माननीय कल्पनाथ सिंह को क्या दिखाई दिया और माननीय केशरी प्रसाद जी ने इसको किस दृष्टिकोण से देखा? माननीय भीखालाल जी ने अवश्य इस बिल को ५ प्रतिशत उसी दृष्टिकोण से देखा जिसे कि १०० प्रतिशत माननीय सिंचाई मन्त्रीजी ने देखकर प्रस्तुत किया है। इसका मकसद यह है कि पहली और दूसरी योजनाओं में जो नहर व नलकूप बने हैं उन का पानी नालियों के द्वारा ठीक से किसानों के खेतों में पहुंच जाय। इससे किसानों की तबाही और उनकी परेशानी की बात को मैं समझ नहीं पाया। हमारी गांव सभायें चैतन्य हैं, वे स्वयं हर काम करने में, गूल, सिंचाई नालियों के काम में, किसी से पीछे नहीं हैं। वह चाहती हैं कि उन के यहां सिंचाई का प्रबन्ध हो। प्रदेश के इलाकों से चारों तरफ से इस तरह की मांग सरकार के पास पहुंच रही है और सब चाहते हैं कि समय से पानी मिले और अन्न का उत्पादन बढ़े। यह इस बात का प्रमाण है कि गांव सभाओं को दिलचस्पी है सिंचाई में, और अन्न पैदा करने में। ऐसा हो सकता है कि कुछ काश्तकार ऐसे हों जिनके खेत से नालियां कुछ जमीन के बीच

से या किनारे से ज्यादा जाती हों। वह काश्तकारान दो मील तक पानी का बहना रोक सकते हैं, गांव सभा के समझाने से नहीं समझते हैं। अब तक नाली का मामला केवल काश्तकारों तक सीमित था और अब अन्न के अधिक उत्पादन के कार्यक्रम में इस बात का इंतजार नहीं किया जा सकता। सन् १९६२ में जिस नाली से पानी जितनी दूर पहुंचना चाहिये वह आपसदारी में मामलात तय करके १९६३ में पहुंचेगा। अन्न की पैदावार बढ़ायी जायगी, काश्तकार अपने आप स्वयं कर लेगा, गांव सभायें परसुएड करेंगी, ३० दिन का समय है, और भी समय बढ़ाया जा सकता है, कितना प्रजातांत्रिक तरीका है पानी पहुंचाने का तो गांव, सभा की राय इसके बाद भी अगर कोई काश्तकार नहीं मानता, उसके लिये यह विधेयक बना है। वह रास्ता पानी का जिससे पानी आगे पहुंचना है अगर उसमें किसी वजह से वह काश्तकार अड़चन पैदा कर सकता है तो वह जमीन ले ली जायगी, उसके ऊपर नहर के महकमे से नाली बना दी जायगी और उसकी कास्ट जिसको फायदा होगा उससे वसूल की जायगी। केवल इतना ही मकसद है। क्या बुराई इस बिल में है मेरी समझ में नहीं आता। विरोधी दल के मित्र दोष बहुत जल्दी समझते हैं, निर्दोष बात में भी दोष निकालना केवल विध्वंसात्मक मनोवृत्ति का परिचायक है। अगर आप अपने रचनात्मक सुझाव सरकार के सामने पेश करें तो कोई कारण नहीं उनको जनप्रिय सरकार न माने। लेकिन विध्वंसात्मक सुझाव मानने में सरकार मजबूर है। जो फाइनेंशियल मैमोरेन्डम प्रस्तुत है उसमें बहुत सफाई से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है और स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स और रीजन्स के पढ़ने से बात बिल्कुल साफ हो जाती है।

अब मुझे मन्त्री जी से एक बात कहनी है और वह अपनी तकलीफ है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले ७० फीसदी सरकार द्वारा जो सिंचाई के साधन जुटाये गये हैं उनसे लाभ उठाते रहे हैं और काफी तरक्की उस तरफ अब भी है। पूर्वी जिले भी माननीय गेंदा सिंह तथा अन्य सदस्यों की भाग दौड़ के कारण बैकवर्ड माने जाने के कारण सरकर की तवज्जह, केन्द्र तथा प्रदेश की, अपनी तरफ खींच सके हैं। मगर हम अवध के निवासी बीच में फंसे हैं जैसे हरदोई, उन्नाव शाहजहांपुर, लखीमपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर। हम चाहते हैं मन्त्री जी हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव, यह चार बदकिस्मत जिले जो आपके बिल्कुल नीचे हैं उनमें सिंचाई की व्यवस्था करने की कृपा करें। अभी पिछली मीटिंग में मैं था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ट्यूबवेल्स भी थे। उन्होंने बताया कि हमारे यहां जो १० से १५ नवम्बर तक के ट्यूबवेल्स हैं वे सिंक कर रहे हैं। क्या होगा? वे उखाड़ दिये जायेंगे। पहले ट्यूबवेल्स की योजना के कारण नहर से बम्बे नहीं निकाले गये। जो ट्यूबवेल्स लगाये गये वे उखाड़ लिये जायेंगे। हरदोई जिला उत्तर प्रदेश में मेरठ के बाद नम्बर २ गेहूं पैदा करता है। मेरठ में करीब साढ़े चार सौ ट्यूबवेल्स हैं और हरदोई जिले में आपकी रिपोर्ट के मुताबिक ५२ हैं। इनमें भी वर्किंग आर्डर में कितने हैं यह आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ट्यूबवेल्स से पूछ लें। जब ६ ट्यूबवेल्स हमारे यहां से उखड़ जायेंगे तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम कितना अन्न बढ़ा पायेंगे। यह हमारा आप से नम्र निवेदन है, शिकायत नहीं है। आपने मेहरबानी से हमारी तरफ देखा है लेकिन जो दिक्कतें आ गयी हैं उनकी तरफ आप आंख न बन्द करें। एक बार कृपा कर के ये चारों जिले दौरा कर के आप देख लें और हमको मेहरबानी कर के पानी दें। अन्न हम आपको अधिक से अधिक दे सकते हैं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

श्रीमन्, माननीय मिश्रा जी ने 'आप' शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये आपको दौरा करने के लिये कह रहे हैं या मन्त्री जी को?

श्री जे० पी० मिश्र—

मन्त्री जी के लिये कहा है। अगर आप चाहें और मुनासिब समझें तो आप भी चले चलिये।

[श्री जे० पी० मिश्र]

इन शब्दों के साथ जो अन्न की पैदावार को बढ़ाने के लिये और सिंचाई की पूर्ण योजना को कार्यान्वित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं। रही प्रवर समिति की बात, तो यह तो एक ऐसी क्रानिक डिजीज है कि जहां जरूरत न हो वहां भी फिक्स कर दी जाती है चाहे मकसद हो या न हो ताकि प्रवर समिति में दस, पांच मिनट हमको सही या गलत, जिस काबिल हम हों, बोलने को मिल जाय। मैं अपने विरोधी दलों के दोस्तों से कहूंगा कि प्रवर समिति की बात मौके पर ही किया करें, हर जगह फिक्स न किया करें। क्षमा चाहता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वास्तव में हम लोगों को इस विधेयक पर ऐसा सोचना चाहिये कि यह जनहितकारी कहां तक है। हमारी बहस सिद्धांतों पर हो रही है और सिद्धांतों का निरूपण करते समय मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि विधेयक के सिद्धांत और लक्ष्य अच्छे हैं लेकिन यह बहुत देर से आया है। चकबन्दी कई सालों से शुरू हो गयी है। पुरानी गूलें और नालियां मिट गयीं। आपस में फौजदारी हो गयी, कत्ल हो गये और सिंचाई का काम बढ़ा नहीं। किसान के अन्दर स्वतः यह भावना हमेशा से रही है कि हम अधिक से अधिक अन्न पैदा करें लेकिन सिंचाई के बगैर पैदावार कम होती है। आपके या हमारे चिल्लाने से, अधिक अन्न उपजाओ का नारा लगाने से अन्न अधिक पैदा नहीं होता। किसान स्वयं अधिक अन्न उपजाना चाहता है क्योंकि उसको जो पैसा मिलता है वह अन्न से ही मिलता है, लेकिन हमारी सरकार ने सिंचाई के साधन ठीक तरीके से समय पर नहीं जुटाए।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात और समझने की है कि सिंचाई मन्त्री जी का विभाग जो यह संशोधन लाया है, १८७३ के कानून में, उसके सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि शायद यह भी भावना रही हो कि बहुत से केसेज ऐसे सब डिवीजनल आफिसर कैनाल्स के यहां सेक्शन ७१ के अन्तर्गत आये हों कि किसी के खेत में से गूल गई हो उसको गिरा दिया गया हो और उस पर अदालत से कोई कार्यवाही न हुई हो। इसके सम्बन्ध में हाईकोर्ट की रूलिंग हो चुकी है। कोई नक्शा बना और वह पास कर दिया गया और उसके मुताबिक जो सरकारी नाली है उसको गिराने में तो कानून सरकार की मदद करता है। लेकिन जो प्राइवेट नाली है जो किसी के खेत में होकर जाती है तो उसके सम्बन्ध में इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग मौजूद है। मेरे खेत में से मेरी इजाजत से नाली चली गई लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि नाली मेरे खेत से जाय। अगर मैंने उसको गिरा दिया तो कोई जुर्म नहीं किया। इस तरह से नाली के मिसमार कर देने से सिंचाई का नुकसान हुआ। आपके पास इसके लिये कोई कानून नहीं है। मेरे गांव में नालियां मिटा दी गईं और चक में मिला दी गईं। इस पर झगड़ा हुआ हुआ और मुकदमें में वही शख्स जीता जिसने नाली बिगाड़ी थी। श्रीमन्, १८ दिसम्बर, १९६२ फतेहपुर जिले के नसैनिया गांव में कत्ल हुये चकबन्दी अधिकारी के कारण। गूलें मिटा दी गईं और सिंचाई में रुकावट डाली गई। इस पर फौजदारी हो गई और एक-एक आदमी दोनों तरफ का कत्ल हुआ। मैंने खुद यह बात माननीय सिंचाई मन्त्री जी से कही और कहा कि इसकी व्यवस्था क्या हो। उन्होंने कहा कि चकबन्दी में जहां नालियां मिटा दी गई हैं उनके लिये डेवलपमेंट आफिसर को आदेश दे दिये गये हैं कि वे बनवा दें। लेकिन आपके विभागों में किसी प्रकार का कोई कोआर्डीनेशन नहीं है। आप अनप्लान्ड प्लानिंग चला रहे हैं। माल मन्त्री जी जमीन के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिकारी को आदेश देते हैं कि यहां से नाली निकाली जाय, यहां से जमीन ले ली जाय, फलां नाली खेत में शामिल कर दी जाय और आप दूसरे तरीके से काम करते हैं। दोनों विभागों में कोआर्डीनेशन नहीं है। माननीय भीखालाल जी ने जो कहा वह बिलकुल सही है। यह दिक्कत आपके सामने आई तो आपने इस विधेयक को सदन के सामने रखा। लेकिन इसमें कमजोरी भी है। गेंदा सिंह जी ने ठीक ही कहा कि यह विधेयक डायटरी हो गया है। मेरा तजुर्बा है, लोगों का भले ही दूसरा हो, गांव सभाओं में पार्टीबन्दियां हैं और ये

पार्टीबन्दी के अखाड़े बनी हुई हैं। अगर नाली एक खेत से जाती है तो उस खेत वाला चाहेगा कि नाली दूसरी जगह से जाय। ग्राम सभा में जिसका अधिकार होगा उसका ही काम होगा। पार्टीबन्दी आपके विधेयक के आड़े आयगी और इसको रद्दी की टोकरी में फेंकने की कोशिश करेगी। अगर वह प्रस्ताव नहीं भेजती है तो आप क्या करेंगे? इस खामी को दूर कीजिये। इस चीज का प्रबन्ध होना चाहिये। इस विधेयक के जब रूल्स बनें तो यह देखें कि महीने में दो महीने में नाली खुद जाय। मेरा ख्याल है जो प्राइवेट नालियां हैं उन्हीं को गांव सभाओं को देने जा रहे हैं। सरकारी नालियां सरकार की रहेंगी। मोटे तौर पर मैं इस विधेयक का यही मंशा समझ पाया।

जो बड़े-बड़े रास्ते हैं, जहां बैलगाड़ियां निकलती हैं, अगर कच्ची नालियां हैं तो वह कट जाती हैं, पानी से भर जाते हैं और बैलगाड़ियों और मोटरों का निकलना उनसे मुश्किल होता है। एलेक्शन के जमाने में आपने यह देखा होगा। इसका इस विधेयक में कोई इन्तजाम नहीं है। यह इस विधेयक में कमी है। पानी बहुत कीमती चीज है। जैसे आदमियों के लिये किताबें पढ़ना खूराक होती है, उसी तरह से खेती की खूराक पानी होता है। जितना पानी है उसका सदुपयोग करें। न तो पानी की कमीह हो और न तो वह बरबाद हो। इसलिये पुलियां बनाने का भी इन्तजाम होना चाहिये जिससे पानी नीचे से निकल जाय और ऊपर से बैलगाड़ियां चली जायं। सरकार अपने खर्चे से पुलियां बनवाए। सिंचाई मन्त्री का विभाग उपयोगिता का विभाग है। आप कुछ नालियां सरकारी खर्चा करके बनवाएं। इसी लिये आप सिंचाई लेते हैं। जब आप सिंचाई लेते हैं तो आपका काम है कि जन मार्गों से जाने वाली नालियों का जहां से गाड़ियां जाती हैं, अपने खर्चे से पक्की करवाएं। अगर बैल-गाड़ियां न जाती हों तो उनको गांव सभाओं को सौंप दें। विधेयक में यह दो कमजोरियां हैं। इन को दूर करें। जहांतक गांव सभाओं का सम्बन्ध है, चकबन्दी में बहुत सी जमीन गांव सभाओं ने उठा दी। प्रधान खुद रख गये, परन्तु प्रधान और अधिकारी लोग इस के लिये जब मुकदमे नहीं चला सके, तो आपका सिंचाई विभाग कैसे समझता है कि गांव सभाएं नालियां निकाल लेंगी? इसी लिये मैं माननीय गेंदा सिंह जी के सुझाव से भी सहमत हूं। आप इसके लिये नियम बनाएं या किसी तरह से भी व्यवस्था करें।

मैं माननीय भीखालाल और माननीय गेंदा सिंह के सुझाव के साथ अपना यह सुझाव दे रहा हूं।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक पर जो आज सबेरे से वाद-विवाद चल रहा है उसको मैंने सुना। यह विधेयक कई दृष्टियों से बहुत महत्व का है। हमारा देश और प्रदेश कृषि पर अधिक निर्भर करता है और हमारी सारी व्यवस्था कृषि की उन्नति से ही है। उसकी उन्नति में चाहे बैल हों, बीज हों, खाद हो अन्य सभी साधन हों किन्तु यदि पानी नहीं है तो सभी साधन बेकार हैं। दूसरी बात हमारे देश के इस समय संकट में होने की है। यदि इस समय हमारी अर्थ-व्यवस्था दृढ़ न हो तो हम क्या कर सकते हैं। जब देश पर संकट हो उस समय यह जरूरी है कि एक तरफ हमारी सैनिक शक्ति मजबूत हो और दूसरी तरफ आर्थिक व्यवस्था दृढ़ हो। इसी कारण आज देश की मुख्य समस्या यही है कि किसान खेतों में अधिक पैदावार करें और मजदूर फैक्टरियों में अधिक काम करके उत्पादन को बढ़ावें। देश को समृद्धिशाली बनाने के लिये दो। मुख्य फैक्टर्स हैं। एक कृषि और दूसरा कल कारखाने। हमारे देश और प्रदेश की आबादी इस गति से बढ़ रही है कि यदि हम इंटेंसिव कल्टीवेशन पर जोर नहीं देते हैं तो बड़ी समस्या खड़ी हो जायगी बढ़ती आबादी के लिये खाने, पहनने के प्रबन्ध की। इसीलिये राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में ही अध्यादेश की ओर संकेत किया था। आज इस सदन को उसको अधिनियम का रूप देना है।

प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई की जो विशेष सुविधायें पैदा हुई हैं किसी से वह छिपी नहीं हैं। इस विधेयक में संकेत किया गया है कि ४,२०० से अधिक नलकूप

[श्री रामप्यारे]

बन चुके हैं और ८ हजार मील से अधिक लम्बी चैनेल्स बन चुकी है लेकिन समस्या है कि इनका प्रयोग कैसे हो। इस समय हम करीब ३० प्रतिशत का ही प्रयोग कर पा रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से नये सिंचन साधनों को हमने बनाया है तो इनका प्रयोग होना जरूरी है। यदि यह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है तो जो साधन सिंचाई के हमारे पास अब तक हैं उन्हीं से हम ६० लाख एकड़ में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि विधेयक पर जो बहस हो रही है वह निरर्थक सी है। इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ लोग अजीब बातें कह गये। कल्पनाथ सिंह जी ने तो यह कह दिया कि किसान कैसे जो नये साधन उपलब्ध हुए हैं उनका उपयोग करेगा। इन साधनों के उपयोग के लिये ही तो यह विधेयक लाया गया है। हमारी सरकार के सामने दिक्कत यह है कि गांव के लोग आज इस उत्तरदायित्व को नहीं समझते हैं कि उनको जलमार्गों को बनाना है। तो जनतांत्रिक पद्धति के आधार पर कोई न कोई विधेयक लाना ही होगा। इस विधेयक में यह कहीं नहीं है कि सरकार अपने हाथ में शक्ति को लेना चाहती हो बल्कि वह तो ग्राम समाजों और ग्राम सभाओं को जो हमारे देश की पंचायती राज्य की रीढ़ है उनको मौका देना चाहती है कि वह अपनी जिम्मेदारी समझें और उस पर संशोधन प्रस्तुत करें। यह दूसरी बात है कि नहरों और जल मार्गों के बनाने में कुछ टेक्निकल बातें होती हैं। यदि गांव सभायें कोई ऐसा सुझाव देती हैं जैसा कि कई लोगों ने जिक्र किया तो उसमें अन्तिम बात सरकारी अधिकारी की ही मानी जायगी, यह बात सही है क्योंकि टेक्निकल आदमी ही उसे समझ सकता है। अगर गांव सभा कोई ऐसा सुझाव दे कि जिससे खर्चा अधिक पड़े या और कोई असुविधा हो तो हमें टेक्निकल आदमी की बात माननी ही पड़ेगी। इसलिये किसी न किसी रूप में हमें उसकी सलाह लेनी ही होगी और उसके अनुसार कार्य करना होगा। माननीय कल्पनाथ सिंह ने यह कहा कि ग्राम समितियों का कहीं सहयोग लेने की बात नहीं है। मैं यह नहीं समझ सका जबकि हम आज सारा अधिकार ग्राम सभाओं को दे रहे हैं, सारे निर्माण कार्य की जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी जा रही है तो यह जलमार्ग कैसे उनसे बाहर रहेगा।

दूसरी बात यह कही गई कि जमीन ऐक्वायर करने से लोगों को तकलीफ होती है। मेरी इस सम्बन्ध में शिकायत तो नहीं लेकिन एक सुझाव है कि जो लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ का है उसमें तब्दीली होनी चाहिये। आज जमीन का भाव प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तो कम से कम इस तरफ सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिये कि जितनी जमीन वह ले उसका कम्पेन्सेशन किसान को इतना मिल सके कि जितने में कम से कम उतनी जमीन वह ले सके। आज जगह-जगह निर्माण के कार्य जो हम कर रहे हैं उसमें हमें जमीन एक्वायर करनी पड़ती है। रिहेंड डैम में भी कई सौ गांव हमने डुबाये, तो इसमें परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। मेरा सुझाव है कि जब गरीब जनता से जमीन हम लें तो उसको कम से कम इतना कम्पेंसेशन दें जिसमें कि वह सन्तुष्ट हो सके। मैंने जैसा पहले कहा, इस विधेयक का कई दृष्टियों से बहुत महत्व है इसलिये इन चन्द शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये इसलिये आग्रह कर रहा हूं कि इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। आप देखें कि जो जल मार्गों के निर्माण के लिये जमीन एक्वायर करेंगे उसकी कीमत तो ४० नये पैसे प्रति एकड़ है और उनमें जो कांस्ट्रक्शन करायेंगे उसके लिये ६० नया पैसा प्रति एकड़ खर्चा लिया जायगा। इसके अलावा विचित्र बात यह है कि जो नहरें विभाग की ओर से बनी हुई हैं, जिनके निर्माण पर इतना पैसा इन्होंने खर्च किया है उनका उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। नलकूपों की नालियां इस ढंग से बनाई गई हैं कि उनमें पानी ही नहीं पहुंचता और बहुत सी नहरों की माइनर्स इस तरह की बनाई गई हैं कि उनमें पानी किसी रूप में नहीं पहुंच पाता। जब शिकायत की जाती है कि हजारों एकड़ जमीन आपने ली लेकिन खेतों में पानी ही नहीं पहुंचता तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी लिखा पढ़ी कीजिये, सिंचाई मन्त्री को भी लिखिये, लेकिन होता वही है जो इनका डिपार्टमेंट करता है

विचित्र बात यह है कि नहर का लेवेल कहीं ऊंचा कहीं नीचा इस प्रकार का है कि कहीं तो नहर में इतना पानी आता है कि गांव का गांव डूबता रहता है और कहीं पानी खेतों तक पहुंचता ही नहीं। तो नये जलमार्गों के निर्माण के लिये विधेयक तो प्रस्तुत किया गया है लेकिन नहरों का यह हाल है उसकी तरफ इनका ध्यान ही नहीं जाता। विचित्रता भी है कि जब देखिये फसल खड़ी है तो नहर का पानी सूखा हुआ है। और जब हम यह देखते हैं कि खेतों को पानी की जरूरत नहीं है तो नहर पानी से लबालब भरी रहती है। किसान देखता है कि उसके हरे भरे खेत सूख रहे हैं, हरी भरी अन्नकी फसल चौपट हो रही है, और पानी नहर में नहीं है, लेकिन जब सिंचाई का सीजन खत्म हो गया तो देखता है कि पानी नहरों में भरा हुआ है। इस प्रकार से इस विभाग की अपनी व्यवस्था है। इधर गांवों में नये नये जल मार्गों के निर्माण के लिये यह योजना कर रहे हैं। आप गांव पंचायत की स्थिति से परिचित हैं। अभी चकबन्दी हुई है। चकबन्दी हो जाने के बाद अब उनमें नलकूप या नहर की गूल बनाई जायेंगी। उनके लिये जमीन एक्वायर करते समय आपको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। किसानों में फिर वही झगड़े शुरू होंगे। चकों के अन्दर इन गूलों का निर्माण किया जायगा। उस समय आप यह कहते हैं कि यदि गांव के लोग मिलकर उन जल मार्गों का निर्माण कर लें तो ठीक है, नहीं तो सरकार करेगी और जो व्यय होगा वह गांव वालों से वसूल कर लिया जायगा। पता नहीं वह किस रूप में वसूल किया जायगा। ये गांव के लोग यदि श्रमदान नहीं करते हैं या निर्माण नहीं करते हैं तो किस तरह से लगान लगाया जायगा और उनसे वसूल किया जायगा। घर के अन्दर जो बालिग लोग हैं क्या उनके हिसाब से पैसा वसूल किया जायगा? यह किसी ने नहीं बतलाया है।

इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यह गांव की जो कच्ची नालियां हैं वह अगर दो मील दूर से आती हैं तो रास्ते में कहीं टूट जाती हैं। रास्ते में जिस खेत की सिंचाई हो चुकी है, उसमें पानी भर जाता है। जिस किसान को पानी की जरूरत है उसको पानी नहीं पहुंच पाता है। जो सिंचाई का व्यय है वह उस किसान से वसूल किया जाता है जिसका खेत एक बिस्वा भी सींचा नहीं गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन कच्ची नालियों का निर्माण रहने दें। यदि इसमें ५० लाख रुपया व्यय करने की योजना है तो उतना ही व्यय करके पक्की नालियां बनवाने की योजना बनायें तो अधिक उचित होगा, नहीं तो लोग गांव में पार्टीबन्दी और दलबन्दी के कारण उसका दुरुपयोग करेंगे और खेती का उत्पादन बढ़ नहीं सकेगा। तब यह योजना उत्पादन बढ़ाने में सहायक न होकर उसको चौपट करने में सहायक सिद्ध होगी।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो सिंचाई के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वह कभी भी देखते नहीं हैं कि सिंचाई कहां पर हो रही है और कहां नहीं। जो पतरोल और अमीन हैं वे दर्ज कर लेते हैं और यह नहीं देखते कि सिंचाई हुई है या नहीं और उनसे सिंचाई का लगान वसूल कर लेते हैं। उनकी प्रार्थना पर कोई विचार करने के लिये तैयार नहीं होता। सर्वत्र किसानों के अन्दर एक प्रकार से हाहाकार मचा रहता है। कहीं पर एक एकड़ को सिंचाई अगर २० रुपया पड़ती है तो उसके ही पड़ोस में ३० रुपया एकड़ पड़ती है। इस प्रकार की धांधली नीचे से ऊपर तक होती रहती है क्योंकि उस कठिनाई पर कोई ध्यान देने के लिये दिखाई नहीं पड़ता। जब एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का ध्यान दिलाया जाता है तो वह ध्यान नहीं देते हैं। अन्तरिम जिला परिषद् की बैठक में सिंचाई के बारे में कोई बात कही जाती है तो वहां पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग हमारे पूर्वी जिलों में गये थे। वह जौनपुर की आर्थिक स्थिति को जानने के लिये गये थे। वहाँ पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे गये। एक यह भी प्रश्न पूछा गया कि आप सिंचाई की कैसी योजना रखते हैं? लेकिन उनके पास कोई योजना नहीं थी, जिसको वह बता सकते। मैं समझता हूं सारे प्रदेश की यही स्थिति होगी। जहां पर सिंचाई योजना की आवश्यकता है, सिंचाई बढ़ाने की आवश्यकता है, वहां पर पानी मिलता नहीं है। ऐसी जगहों पर नलकूप लगाये जाते हैं, जहां से दूसरे गांव को पानी नहीं पहुंच सकता। तो इन चन्द बातों को ध्यान में रखते हुये मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को आप प्रवर समिति में भेजें और वह इस पर पर विचार करके अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से जो विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक किसानों के हित का सबसे बड़ा विधेयक है। किसान के सामने खेत के लिये तीन समस्यायें ही रहती हैं। पहली सिंचाई, दूसरी खाद और तीसरी अच्छा बीज पाना। कई सालों से सरकार के पास रिपोर्ट्स आती रही हैं कि ट्यूबवेल या नहरों का पानी किसान के खेत तक दूर-दूर तक नहीं पहुंच पाता। मैं अपने क्षेत्र और जिले की बात बतलाता हूं। हमारे यहां नहरें हैं, ट्यूबवेल हैं, लेकिन इंजीनियरों द्वारा जहां तक के लिये वे बनाये गये हैं, जहां तक उनकी नालियां बनायी गयी हैं वहीं तक उनका पानी जा पाता है और सूखा या मुसीबत आ पड़ने पर अगर दूसरे किसान पानी चाहते हैं तो वह उन तक नहीं पहुंच पाता। उसके लिये कोई व्यवस्था भी नहीं है। मन्त्री जी ऐसे समय में जब कि देश को अधिक गल्ले की आवश्यकता है, यह जो विधेयक लाये हैं और इस के द्वारा दूर के किसानों को पानी देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। पश्चिम में जितनी बड़ी-बड़ी नदियां हैं उनका बहाव पूर्व की ओर है और वे पूर्वी जिलों में आती हैं। मैं जौनपुर का जिक्र कर रहा हूं। वहां बरना, गोमती, सई आदि नदियों में जब बाढ़ आती है तो किनारे के गांव डूब जाते हैं अथवा उनमें कट जाते हैं और उन नदियों का कोई खास फायदा उनको नहीं हो पाता। हमारे जिले में जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां सरकार अधिक से अधिक ट्यूबवेल की व्यवस्था करे। मैंने पूर्वी जिलों के साथ कुछ पहाड़ी जिलों को भी देखा है। पुराने समय में वहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस सरकार ने कुछ ट्यूबवेल लगाये हैं लेकिन यह जानकर चिन्ता होती है कि ट्यूबवेल धान के एरिया में नहीं लगाये जाते। हमारे जिले में किसी न किसी प्रकार बरसात के पानी आदि से लोग खरीफ पैदा कर लेते हैं और सूखा पड़ने पर वह खरीफ का धान खत्म कर दिया जाता है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि ट्यूबवेल रबी और खरीफ, दोनों के लिये लगाये जायं। सरहद के पूर्वी जिलों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन जिलों में भी लोगों ने धान लगाना शुरू कर दिया और प्रकृति के भरोसे जो पानी मिलता था उसमें वह कुछ उगा लेते थे। आज अगर ट्यूबवेल के द्वारा वहां पानी न दिया जाय तो सब जमीन एक फसली रह जायगी, दूसरी फसल उसमें पैदा नहीं हो सकती। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जहां ट्यूबवेल्स लगावें वहां धान, कुआरी और बेड़हनी किसी प्रकार की खेती जो खरीफ में पैदा की जाती है उसमें पानी की व्यवस्था करें।

हां, एक बात और कही गई कि उस काम को पूरा करने में असफल होंगे। परन्तु मैं तो कहता हूं कि उसमें सफलता ही प्राप्त होगी। जहां लोगों ने अपने गांवों में श्रमदान के द्वारा सड़कें बनाई हैं, वहां लोग इस काम को भी करेंगे। जो लोग यह कहते हैं कि गांव के लोग श्रमदान नहीं करते, मैं अपने जिले की बात आपको बताता हूं कि वहां पर कई सड़कें बनाई गई हैं। वहां पर लोगों ने श्रमदान द्वारा एक २७ मील की सड़क, १२ मील लम्बी एक सड़क, १५ मील लम्बी एक सड़क और १० मील लम्बी एक सड़क बना डाली है। वे सड़कें काफी लम्बी चौड़ी भी हैं। अब जनता जो कच्ची सड़कें बनावे, वहां सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उनको पक्की कराती जाये। मैं अपने पूर्वी जिलों की हालत आपको बताता हूं कि वहां पर बरसात में नदियों की बाढ़ के कारण जो कच्ची नालियां होती हैं, वह बह जाती हैं और इस तरह से जनता द्वारा किया हुआ श्रम बेकार हो जाता है क्योंकि वे नालियां एक साल से ज्यादा नहीं रह पाती हैं। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि नालियों को वह पक्की कराने की व्यवस्था करें। अब वह काम यदि एक साल में न हो सके तो वह उसको दो साल में करवायें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने इधर की बातों को और उधर की बातों को, दोनों पक्षों द्वारा कही गई बातों को बड़े ध्यान से सुना है। यह विधेयक अपनी जगह पर तो सही हो सकता है परन्तु इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हमें पुनर्विचार करना चाहिये। माननीय सिंचाई मन्त्री जी को किसानों की उन समस्यायों का विश्लेषण करना होगा तभी वे उनका उचित निवारण कर सकते हैं।

पहली बात तो यह है कि यह विधेयक अंग्रेजों के जमाने का विधेयक है। उसका नाम भी वही है और इसलिये उसमें संशोधन करने की बड़ी आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं कि माननीय सिंचाई मन्त्री और पंचायतराज मन्त्री दोनों आपस में बैठकर परामर्श कर ल। जब तक वे दोनों आपस में परामर्श नहीं कर लेते हैं तबतक यह काम हल नहीं हो सकता है। माननीय पांडेय जी बैठे हुये हैं, वे बतावें कि आज क्या प्रदेश में पंचायतें इतनी स्वावलम्बी हो गई हैं कि वे अपने आप खड़न्जा तक नहीं बना पाती हैं। जो अपने मोहल्ले को ठीक नहीं कर पाती है। जो यह सब नहीं कर पाती है, वे गूलों को कैसे बनायगी। मैं जानता हूं कि सिंचाई मन्त्री जी प्रदेश में मैनपावर का एक प्रयोग करने जा रहे हैं। परन्तु उनके इस प्रयोग करने के तरीके में कुछ खामियां हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जिनमें यदि माननीय मन्त्री जी का विभाग स्वयं काम करता तो अधिक अच्छा काम हो सकता था और कम खर्च में हो सकता था। मेरे क्षेत्र में नौह झील बांध बन्ध रहा है इसी योजना द्वारा। ऐसी बहुत सी जमीन पड़ी है जिसका कि यदि सही प्रयोग किया गया होता तो खेती के लिये काफी भूमि निकल सकती थी। कुछ समय पहले स्कूल के विद्यार्थियों से नौह झील बांध पर मिट्टी डलवाई गई थी। परन्तु उसके बाद वह वर्षों से मैनपावर से बन्ध नहीं रहा है। आपके सामने प्रमाण है। मैं तो कहता हूं कि आज बहुत सा धन व्यर्थ खर्च हो रहा है। यदि आप यह समझते हैं कि जनता सब श्रमदान द्वारा ही काम कर लेगी, तो फिर इस सरकार की ही क्या आवश्यकता रह जायेगी और इस विधान सभा की ही क्या आवश्यकता रहेगी? अभी हमारे पूर्ववक्ता महोदय ने कहा कि हमारे क्षेत्र में इतनी सड़कें बना डाली गई, परन्तु मेरा तो यह निश्चित मत है कि सभी क्षेत्र की जनता एक सी नहीं हो सकती। यदि सभी क्षेत्र एक से हो जायं तो फिर तो प्रदेश का नक्शा ही बदल जाय। मैं कहना चाहता हूं कि सभी कार्य श्रमदान द्वारा जनता यदि सम्पादित कर ले तो फिर इस सरकार का ही क्या अस्तित्व रह जायगा, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिये मेरा माननीय सिंचाई मन्त्री जी से यह निवेदन है कि वे प्रदेश की जनता के साथ मखौल न करें। मैं माननीय गेंदासिंह जी के कथन का समर्थन करता हूं। जो कुछ उन्होंने कहा वह ठीक है और उस पर सरकार को ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिये। वह बिलकुल व्यावहारिक है। मैं यह नहीं कहता कि सारी नालियां पक्की हो जायं। मैं जानता हूं कि किसानों के सामने बड़ी समस्यायें हैं और गांव पंचायतें सभी नालियों को पक्का करा भी नहीं सकती हैं। लेकिन नालियां और गूलें जो किसान निकालें वह पक्की होनी चाहिये और जो शाखायें कच्ची निकलें वह वैसी ही रहने दी जायं, उनसे काम चल सकता है। सबको पक्का बना सकना मुमकिन नहीं है और अव्यवहारिक है। इसको ग्राम पंचायतों के सुपुर्द करने की बात छोड़ दें, यह मखौल होगा और कुछ नहीं। वह नहीं कर सकते। और, इम्तहान करना है तो बाद में कर लेना, पहले समस्यायें तो सब हल हो जायं। अभी बहुत लम्बा अरसा मौजद है। प्रजातांत्रिक पद्धति को आगे आने में इससे कोई बाधा नहीं पड़ती। पहले सिंचाई विभाग इसको बनवाये और किसानों की हालत जब सुधर जाय तब उधर सोचा जा सकता है।

एक विवाद खड़ा हुआ कि जमीनें किसानों से ली जाती हैं। यह व्यवहारिक बात है कि गूलें मन्त्री जी के या हमारे सर पर होकर तो निकलेंगी नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाता या, कम दिया जाता है। गाजियाबाद की मास्टर प्लान चल

[श्री राधेश्याम शर्मा]

रही है। लोगों ने आकर बतलाया कि वह कितने दुखी हैं। उनको बहुत कम रुपया दिया जाता है। तो सिंचाई विभाग जमीन ले, पर उचित मुआवजा दे तभी किसानों की समस्या हल हो सकेगी।

इसके साथ-साथ आपने जो रखा है एक रुपया एकड़ वाली बात, तो मैं उनसे कहता हूं, कड़े शब्दों में नहीं, क्योंकि सरकार उससे उल्टे चिढ़ जाती है, उसके दूसरे माने लगाये जाते हैं। बैजनाथ सिंह जी ने साफ कर दिया कि क्या स्थिति है, और वही हमने या विरोधी दल के किसी सदस्य ने कहा होता तो उसे अतिशयोक्ति समझते, लेकिन अब तो वह समझ गये होंगे, क्योंकि सरकारी दल के आदमी ने कहा है। तो सिंचाई विभाग के रेट अंग्रेजी काल से साढ़े तीन गुने वैसे ही ज्यादा बढ़ गये। उसके साथ-साथ ३ आने का रिबेट भी हटा दिया गया। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग जो वसूलयाबी करता है और जितने उसके खर्च हैं उसके हिसाब से वह मुनाफे में है, फिर एक रुपया एकड़ की बात क्यों करते हैं? इसलिये सिंचाई विभाग अपनी तरफ से यह सब व्यवस्था कराये, जब किसानों की सही उन्नति हो और वह इस लायक हो जायं तो फिर आप गांव पंचायत के सुपुर्द कर सकते हैं। लेकिन सिंचाई रेट तो पहले से ही ज्यादा है।

अन्त में मैं जोर देकर कहूंगा पंचायत मन्त्री से कि सारी पंचायतों की लिस्ट ले लें और उनके सुपुर्द न करें वरना बड़ी गलती और गड़बड़ी हो जायगी। इन शब्दों के साथ मैं यह कह कर समाप्त करूंगा कि यह विधेयक प्रवर समिति के पास जाना चाहिये ताकि दोनों पक्षों के लोग बैठकर और सोच समझ कर इसपर पुनर्विचार कर सकें।

श्री अधिष्ठाता--

आज इस विधेयक की पहली रीडिंग पूरी होनी चाहिये। इसलिये २, ३ आदमी ही कृपया बोल लें और ५, ५ मिनट केवल।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि १२, १३ साल में उन्होंने यह केवल दूसरा बिल पेश किया है। मेरा तो खयाल है कि इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो जो १८७३ का ऐक्ट है वह इतना पूर्ण है कि उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं हुई या दूसरी बात यह थी कि आबपाशी बढ़ाने के लिये हम स्वतंन्त्र थे। हो सकता है कि यह महकमा अच्छा काम न कर रहा हो चूंकि २, ४ विधेयक भी अगर जनता के हित के लिये नहीं आये तो यही समझा जायगा कि यह विभाग बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहा।

जब हमारा असेम्बली का सेशन ४ फरवरी से ही चलने वाला था तो २९-१-६३ को अध्यादेश निकालने की क्या जरूरत थी? और इस विधेयक को बने जुम्मा-जुम्मा ८ दिन भी नहीं हुये कि इसमें संशोधन आ गया। जो अध्यादेश राज्यपाल महोदय ने जारी किया वह बनाया हुआ मन्त्री जी का और उनके विभाग का ही है। और उसमें ३, ४ दिन बाद ही एक संशोधन ले आये। इस प्रकार न मालूम इसमें कितने और संशोधनों की आवश्यकता होगी, इसलिये मैं चाहता हूं कि यह विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि वहां अच्छी प्रकार विचार हो सके और फिर जल्दी संशोधन लाने की जरूरत न रहे।

मन्त्री जी ने कहा कि हमने जितना पानी प्रयोग करने के लिये बढ़ाया, उसका उचित मात्रा में प्रयोग नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे ड्रेनेजेज की कमी थी और गूलें पर्याप्त मात्रा में न होने के करण पानी का ठीक इस्तेमाल नहीं हो पाता था और वह व्यर्थ जाता था। मेरा कहना यह है कि वास्तव में पानी के प्रयोग में न लाये जाने के दूसरे ही कारण हैं। वे कारण यह हैं कि एक तो आबपाशी बहुत महंगी है। श्रीमन्, मैं अपने क्षेत्र की बात बताता

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं। कई स्थानों पर लोग कहते हैं कि आबपाशी इतनी महंगी हो गई है कि बाज दफा तो हमारा बीज भी नहीं लौटता, आबपाशी का पैसा देना तो दरकिनार। दूसरी बात यह है कि समय पर पानी नहीं मिलता है। यह देखा जाता है कि पानी की जरूरत है लेकिन नहर में पानी नहीं है। तीसरी बात यह है कि किसी फसल के लिये पानी दिया ही नहीं जाता है। धान की फसल के लिये कुलाबा नहीं लगेगा। चौथी बात यह है कि जिस चैनल के जरिये से पानी दिया जाता है उसकी समुचित व्यवस्था ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिये। इस में पहले दो चार खेतों में पानी लग जाता है लेकिन जब छठे खेत में पानी पहुंचता है तो नहर बन्द हो जाती है। इस प्रकार से पानी का उपयोग कैसे हो यह समस्या है। इस लिये इन बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। पांचवीं एक बड़ी मनोरंजक बात है। हथबना उत्तम नगर एक गांव है, माननीय मन्त्री जी की कांस्टीटुयेंसी में। उस गांव के कुछ लोगों ने सिंचाई के लिये कर्जा लिया। पहले तहसील से ले लिया, फिर केन डिपार्टमेंट से ले लिया और फिर तहसील से दुबारा ले लिया लेकिन आज तक उसके बारे में इंक्वायरी नहीं की गई कि उस पैसे का इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया। वह जिस काम के लिये लिया गया था उसके लिये खर्च किया गया या नहीं। इस प्रकार के ६-७ आदमी उस गांव में हैं। जब हम किसी चीज के लिये पैसा देते हैं तो हमें यह जांच करनी चाहिये कि वह चीज तैयार हुई है या नहीं कि जिसके लिये पैसा दिया गया था, कहीं वह रुपया सूद पर तो नहीं उठा दिया गया या किसी दूसरे काम में खर्च कर दिया गया। इस बात की जानकारी करना विभाग का कार्य है। नकद रुपया दिया जाता है लेकिन यह नहीं देखा जाता कि कुंआ, ट्यबवेल या रहट बनायी गयी है या नहीं। इसको सिद्ध करने के लिये मैंने स्पेसिफिक उदाहरण दिया।

इसके बाद दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में इनीशियेटिंग आथोरिटी कौन होगी बिल को पहले पहल रूप देगी। वह आपका डिवीजनल कैनाल आफिसर होगा। उसके बाद वह गांव सभा के पास भेजा जायगा वहां पर एक मजाक किया गया है कि गांव सभा उस पर निर्णय नहीं लेगी, निर्णय लेगी गांव पंचायत। श्रीमन्, आप जानते हैं पंचायत के चुनाव किस प्रकार से हुये हैं। उसमें जिस सोसाइटी का प्रधान है, ज्यादातर दूसरे लोग भी उसी सोसाइटी के चुने गये हैं। अब कहीं ऐसा हो सकता है कि जिस हार में होकर वह गूल गई है कहीं पंचायत के आदमी की हुई तो उस गांव में अच्छा काम नहीं हो सकता है। इसलिये यह आवश्यक है कि इनीशियेशन का कार्य गांव सभा का हो। पहले डिपार्टमेंट के आदमी जायं और उनको समझायें फिर पंचायतों के द्वारा माडीफिकेशन का कार्य हो सकता है। इस से गांव समाज के लोगों के मशविरे से बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। डिवीजनल कैनाल आफिसर को यह काम दे देना इसका बड़ा भारी दोष है।

इसमें जो यह बात रखी गयी है कि गूल तैयार हो जाने के बाद देख-रेख मेंटिनेंस और सफाई गांव सभा के जिम्मे होगी। यह कार्य गांव सभा कभी नहीं कर सकती। जब हमने एक काम के लिये उनसे पैसे ले लिये हैं और उनके लिये एक काम करा कर तैयार कर दिया है तो वास्तव में यह हमारे डिपार्टमेंट का काम है और उसके मेंटिनेंस की सारी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की होनी चाहिये, गांव सभा की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिये। अगर गांव सभा पर आप इसकी जिम्मेदारी रखते हैं तो गांव सभा कभी उसको मेंटेन नहीं कर पायेगी। मेरा नम्र निवेदन है कि इस चीज को आप कृपया देख लें।

एक बात और है कि कुछ लोगों की जमीनें आप ले रहे हैं और जो जमीन नहीं देंगे उनके लिये यह व्यवस्था है कि इतना पैसा उनको देना है। लेकिन जो अपने खेत दे देंगे उनके लिये आपने कोई बहुत बड़ा रिवार्ड नहीं दिया है, आपने उनको कोई प्रलोभन नहीं दिया है जिससे वे आसानी से अपनी जमीनें दे दें। आपको मालूम होगा कि चकबन्दी से ५-५ और ६-६ एकड़ के खेत बन गये हैं और उनके बीच से आप गूल निकालेंगे तो किसान का बहुत सा एरिया निकल जायगा और २५-३० काश्तकारों के काफी खेत निकल जायेंगे।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

तो ऐसी दशा में कुछ प्रलोभन ऐसा होना चाहिये कि उनसे टैक्स न लिया जायगा या और कोई दूसरी बात उनके साथ होनी चाहिये जिससे वे अपनी जमीन आसानी से देदें।

एक बात और इसमें दी गई है कि जो बेनिफिशरीज होंगे उनसे लगभग दो वर्ष में पहले ४० नये पैसे फी एकड़ और फिर ६० नये पैसे फी एकड़ यानी एक रुपया फी एकड़ वसूल किया जायगा। मैं इस बात को नहीं मानता कि एक रुपया फी एकड़ के हिसाब से गांव सभा दो साल में वसूल कर लेगी। इसे तो न गांव सभा वसूल कर पायेगी और न आप ही दो साल में वसूल कर पायेंगे। आपको तो ऐसा करना चाहिये कि सिंचाई कर के साथ ही इसको भी शामिल करके उसी कायदे से इसे वसूल करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ इस सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है, उसके सम्बन्ध में मैं इस आदरणीय सदन के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में बतलाया गया है, माननीय मन्त्री जी इस विधेयक को अपने प्रदेश की खेती की पैदावार को बढ़ाने के उद्देश्य से ही लाये हैं और मैं समझता हूं कि हर माननीय सदस्य को इस उद्देश्य का स्वागत करना चाहिये। यह उत्तर प्रदेश एक खेतिहर प्रदेश है। हमारे सामने जो रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रदेश के ७४ प्रतिशत व्यक्ति आज खेती करते हैं और उनका जीवन यापन सब प्रकार से खेती पर ही निर्भर है। पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश में खेती की पैदावार जितनी बढ़नी चाहिये उसमें हम असफल रहे हैं और इस दिशा में सुरक्षा के दृष्टिकोण से और प्रदेश के आत्म निर्भर होने के दृष्टिकोण से खेती की पैदावार को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है।

जहां तक किसी काश्तकार से गूल आदि बनाने के लिये जमीन एक्वायर करके उसे मुआवजा आदि देने की बात है, मैं समझता हूं कि आज के बाजार रेट से उसका रेट बहुत ही कम है। सरकार को चाहिये कि जितनी जमीन भी वह काश्तकारों की ले उसका आज के बाजार रेट से ही मुआवजा दे।

दूसरी बात यह है जैसा अभी माननीय नेकराम शर्मा जी ने कहा कि इस संशोधन के जहां तक क्लाज ४ का संबंध है उसमें गांव पंचायत को व्यवस्था करने का अधिकार है लेकिन यह अधिकार आखिर में डिवीजनल कैनाल आफिसर के अन्तर्गत हो जाता है। जहां तक माडिफिकेशन और उसको कार्यान्वित करने का संबध है, मैं चाहता हूं कि यह चीज यहां से डिलीट होना चाहिये। इस क्लाज ४ के द्वारा वहां की गांव सभाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरे इस सुझाव की तरफ ध्यान दें।

तीसरी चीज जो मैं आप के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक इस योजना का संबंध है आपने इसमें पश्चिमी और पूर्वी जिलों की ओर ध्यान दिया है लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य मिश्र जी ने भी कहा है कि यह बीच के १२ जिले न इधर के हैं और न उधर के हैं, वह बीच में पड़ते हैं और उनकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है। उदाहरण के लिये हमारे जिले में २ साल पहले हमारे मंत्री जी अकबरपुर गये थे और वहां पर उनको हमने सुरहुरपुर कांस्टीटुएंसी की बात बताई थी कि जहां पर खेती की उन्नति के लिये नलकूप की नितांत आवश्यकता है। लेकिन मंत्री जी के आश्वासन के बाद भी उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज तक उस क्षेत्र में कोई नलकूप का कार्य आरम्भ नहीं हुआ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपने आश्वासन की ओर ध्यान दें। सन् ६० के दिसम्बर में इस क्षेत्र के संबंध में निश्चय किया गया था कि वहां नलकूप की आवश्यकता है। जहां तक इन्टेंशन का सवाल है मैं समझता हूं कि उन क्षेत्रों की ओर मंत्री जी का अवश्य ध्यान होना चाहिये।

खासतौर से हमारे जिले का पूर्वी अंचल अभी भी अविकसित है और सिंचाई के साधनों की बहुत कमी वहां पर है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस क्षेत्र की ओर ध्यान दें। अब लालबत्ती जल गई इस लिये मैं अधिक निवेदन न करके अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

श्रीमन्, मैं यह सोच रहा था कि मुझे समय नहीं मिलेगा लेकिन आपने दे दिया उसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं अब समय भी पांच मिनट ही है।

मैं इस विधेयक के संबंध में अपना और अपने दल का मत आपके सम्मुख स्पष्ट कर दूं। मेरा और मेरे दल का यह मत है कि यह विधेयक पूंजीवादी व्यवस्था का द्योतक है। मैं समझता हूं कि इस बिल के द्वारा और ग्राम सभाओं के द्वारा जो आप सिंचाई के साधन किसान को उपलब्ध कराना चाहते हैं वह चीज व्यवहारिक न होगी। इसलिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको कर के साथ ड्रेनेज का भी खर्च किसान से ही लेना होगा क्योंकि आप विकास और न मालूम विनाश और क्या-क्या विभाग खोले हैं। आप पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायतें और ग्रामीण राज्य की स्थापना बात करते हैं तो गांवों में जब आपने शुरू-शुरू में गांव सभाओं को कुछ अधिकार दिये तब किस तरह से वहां झगड़े हुए सब जानते हैं। पिछले दिनों जब टयूबवेल स्कीम लागू हुई उसमें जगह-जगह टयूबवेल की नालियां बनायी तो गरीब किसान की जमीन ली गई और जो जमींदार थे उन लोगों ने अधिकारियों को पैसा देकर अपनी जमीन बचा ली ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसा ही इस विधेयक के द्वारा होगा। लिहाजा गांव की जनता का अगर वाकई में सरकार को हित करना हो तो इसे ग्राम समाज के अधिकार क्षेत्र में न देकर स्वयं सरकार सिंचाई विभाग के द्वारा कराये तभी किसानों की आर्थिक दशा सुधरेगी। सिंचाई के लिये पानी मिल सकता है। अन्यथा जिस तरह की पार्टी बन्दी गांव पंचायतों में चलती है उसका परिणाम यही होता है, जैसा यहां होता है कि अगर हम कोई बात कहते हैं तो उसका विरोध दूसरी तरफ से होता है, और इसी तरह गांव में भी कोई काम नहीं हो पायेगा। सरकारी पक्ष के लोग कहते हैं विरोधी दल विरोध के लिये विरोध करता है, ऐसी बात नहीं है। आज ही हमारी तरफ से कई सदस्यों ने इस स्कीम को अच्छा समझा और सरकार से कहा कि वह इस काम को अपने हाथ में ले। ग्राम पंचायत को देने से बहुत बड़ी मुसीबत हम मोल ले लेंगे।

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैंने दोनों पक्ष के लोगों की बातें सुनी। आप देखें कि मालगुजारी सवा गुनी हो गई, अलाभकर जोतों का बिल्कुल खयाल नहीं किया गया और किसानों पर भार बढ़ता चला जा रहा है। मैं समझता हूं अगर यह विधेयक पास हो गया तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और किसान विषम परिस्थिति में पहुंच जायेंगे।

दूसरी चीज यह है जहां तक नहर रेट का सवाल है वह भी बहुत बढ़ गया है। सन् १९५९ में विरोधी पार्टियों ने इसका एक आन्दोलन किया जिसकी वजह से ३ आना छूट हुई। लेकिन फिर वह वापस हो गई और सिंचाई रेट इतना बढ़ गया कि गेहूं का नहर रेट ९.७५ न० पै० के बजाय १२ रु० हो गया, धान का ११.३७ से १४ रु० हो गया और गन्ने का २६ रु० से ३२ रुपया हो गया। इस तरह से नहर और नलकूप के सिंचाई रेट में कमी नहीं की गई। यह भी देखा गया आपरेटर और मैकेनिक में भ्रष्टाचार की होड़ रहती है। टयूबवेल के आपरेटर ने अगर ज्यादा रुपया कमाये तो मेकेनिक चाहता है नलकूप बिगाड़ दो इससे किसानों को बड़ी परेशानी है। इसलिये जो मंत्री जी कहते हैं कि नहर से आमदनी कम है तो मैं कहूंगा आपके जितने अधिकारी हैं उन पर वह उचित शासन व्यवस्था करें और ऐसी व्यवस्था करें कि वह किसी तरीके से सरकार को नुकसान न पहुंचा सके।

दूसरे जैसे कलेक्शन अमीन जितना रुपया इकट्ठा करता है उसी प्रोपोशन में उसको तनख्वाह मिलती है अगर मंत्रीजी उचित समझें तो जो नलकूप आपरेटर या मैकेनिक है उनके

---

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

लिये यह निश्चित कर दें कि इतनी आमदनी नलकूप से होनी चाहिये और अगर उतनी आमदनी वह न करा सकें तो उसी प्रोपोर्शन में उनकी तनख्वाह में कटौती होनी चाहिये। इस तरीके से यह व्यवस्था कुछ हद तक ठीक हो सकती है।

मैं अधिक समय न लेकर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, यह वाकई एक काला कानून है और अगर इसे मंत्री जी वापस ले लें तो बहुत ही सुन्दर होगा।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

अधिष्ठाता महोदय, मैंने दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के भाषण सुने और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह विधेयक निश्चय ही प्रवर समिति में जाना चाहिये क्योंकि दोनों तरफ के लोगों की शिकायतें हैं और मौलिक शिकायतें हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे उस सुझाव पर सोचें और विचारें जो मैंने उनके सामने प्रस्तुत किया है, कोआपरेटिव इरीगेशन सोसायटी का, क्योंकि कोई भी रचनात्मक कार्य और विशेषकर खेती और सिंचाई का किसी भी कोआपरेटिव ढंग से नहीं किया जा सकता। उसमें सद्भावना और सहयोग होना चाहिये। इस कार्य को सम्पन्न करने में कोआपरेटिव सोसायटी ही सक्षम हो सकेंगी और इन सारी बुराइयों को खत्म कर सकेंगी, चाहे वह आपरेटर की हो, चाहे पतरौल की हो, चाहे कर निर्धारण की हो, चाहे वसूली हो और चाहे गूल बनाने की बातें हों। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसान अपनी इच्छा से सहयोग देगा और इस कार्य को सम्पन्न करेगा। यह कार्य तो इतना महत्वपूर्ण है कि इसको युद्धस्तर पर करना चाहिये और युद्धस्तर करने के लिये किसान का सहयोग आवश्यक है। इसलिये मैं एक बार फिर मंत्री जी से कहूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे और इसमें आमूल परिवर्तन या परिवर्द्धन करने की नीयत से इस पर विचार करें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कल्पनाथ सिंह, आप भी बहुत संक्षेप में बोलें क्योंकि समय बहुत कम है।

श्री कल्पनाथसिंह--

अगर आप कहते हैं तो मैं एक ही सेन्टेन्स में खत्म करता हूं। मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और विशेषतया माननीय बैजनाथ सिंह वैद्य जी का। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सिंचाई मंत्री। आप बहुत ज्यादा समय तो नहीं लेंगे? अगर ज्यादा समय लें तो फिर कल को भाषण करें।

श्री राममूर्ति--

अगर आप पांच मिनट और बढ़ा दें तो ३५ मिनट में मैं अपना भाषण खत्म कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

आपको मैं दस मिनट तक दे सकता हूं सदन का समय दस मिनट बढ़ा दिया गया है।

श्री राममूर्ति--

अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ा मशकूर हूं अपने तमाम साथियों का जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया। एक बात की जरूर मेरी शिकायत है और वह यह कि ज्यादा वक्त माननीय सदस्यों ने सिंचाई विभाग की खराबियों को बताने में खर्च कर दिया। उसके लिये एक दूसरा मौका आ रहा है। लिहाजा मैं उन चीजों का जिक्र करना बहुत मुनासिब भी नहीं समझता हूं और जवाब भी नहीं दूंगा। केवल जो चीजें विधेयक के संबंध में कही गयी हैं उन्हीं के सिलसिले में मैं अपनी बात कहूंगा।

माननीय गेंदासिंह जी ने फरमाया कि करीब १५–१६ लाख एकड़ का पोटेन्शल अभी खाली पड़ा हुआ है। यह बात सही है। सन् ६२ के आखिर तक करीब १६ लाख एकड़ का पोटेन्शल ऐसा है जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। उनकी शिकायत है कि उसकी फिक्र पहले होनी चाहिये थी। वाकयात यह हैं कि पहले प्लान का जो पोटेंशल था करीब ३६ लाख का था। इसमें से ३० लाख का इस्तेमाल हुआ और ५–६ लाख का नहीं हुआ। उस समय परेशानी की हालत नहीं हुई। लेकिन दूसरे प्लान का पोटेन्शल करीब साढ़े सात लाख का हुआ तो उस समय फिक्र हुई। लेकिन जाहिर है कि डैमोक्रेटिक प्रोसीजर में चीजों के बनने में देर लग जाया करती है। लेकिन देर से काम शुरू हुआ और सही हो रहा है तो किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिये। हमारे दोस्त माननीय नेकराम शर्मा जी बड़ी विध्वंसकारी बातें करने लगे हैं। पता नहीं उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति बदल रही है या क्या बात है। मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है और किताबें भी पढ़ी है। शब्द "काला कानून" दो एक मर्तबा ही इस्तेमाल हुआ है और उस समय इस्तेमाल हुआ है जब कितनी भीषण स्थिति थी। इसलिये उनकी तरफ से ऐसा शब्द का इस्तेमाल होना कोई अच्छी बात नहीं हुई।

माननीय कमलासिंह जी ने ठीक ही कहा है कि जिस समय गूलें बनाई जायं तो कुछ अधिकारियों का अच्छा सुपरवीजन होना चाहिये क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लोग सिंचाई के काम से वाकफियत नहीं रखते, गूलें ठीक न बना सकें। लेकिन ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर प्लान तैयार करेगा और फिर गांव सभा को वह देगा। देहात में पंचायतें काम करती हैं। इसका यहां पर जिक्र भी किया गया कि उनको काम करने का मौका दिया जाय। हम चाहते हैं कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो। इस भाव से यह बिल लाया गया है। पिछले दिनों में लोग अपने खेत में से नाली निकलने देने के लिये राजी नहीं होते थे। इसलिये यह दिक्कत हो रही है। चकबन्दी में भी इस बात की बड़ी शिकायत हुई। जिसके चक बन गये हैं वह अपने खेत में से पानी नहीं निकलने देना चाहते हैं। इस किस्म की कई शिकायतें पैदा हुईं। इस बिल का मकसद है कि जो रुकावटें डाली जायं उनको दूर करके गांव पंचायत काम करें। जब वे नहीं बनायेंगे तो सरकार बना देगी। साफ बात है लोग समझ जायेंगे कि गूलें बनेंगी और लोग पसन्द नहीं करेंगे कि सरकार से बनवायें। उनमें तमन्ना पैदा होगी बनाने की। लोगों में उत्साह पैदा होगा और इसमें टैक्स की कोई बात नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव––

मैं चाहता हूं कि कंसोलिडेशन में पहले से प्लान बना दें।

श्री राममूर्ति––

इसका मैं जिक्र करूंगा। माननीय केशरी प्रसाद जी पांडेय ने कहा कि इसको कोआपरेटिव सोसाइटीज को देना चाहिये। उनके जरिये से काम कराया जाय। हमें कोई एतराज नहीं है। गांव पंचायत भी तो एक तरह से कोआपरेटिव सोसायटी है। गांव वालों की ही तो पंचायत है। सब लोग मिलकर काम करें। जितने कम में गूलें बनेंगी उतनी ही उनको दिलचस्पी होगी। कोआपरेटिव सोसायटी से क्या मतलब है? यह तो खास कमांडों के अन्दर काम होगा। तो फिर कोआपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी? गांव पंचायतों के सबंध में कहा गया कि दलबन्दी है। लेकिन एग्जिक्विटिव इंजीनियर वही रास्ता बतायेगा जो सही है। तो उनकी दलबन्दी से क्या असर पड़ेगा।

कल्पनाथ सिंह जी ने भी कुछ बातें कही कि ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी और फूड प्रोडक्शन कमेटी के जरिये क्यों न काम कराया जाय? लौट फेर कर वही बात आती है। इसमें फूड प्रोडक्शन कमेटी क्या करेगी? दिलचस्पी तो उन्हीं लोगों को होगी जिन के कमांड के अन्दर गूल बनेगी जिन का पानी रुका हुआ है। इसलिये यह व्यवस्था की जा रही है। उनको मौका दिया जा रहा है। सब के दिमाग में आयेगा कि जब सरकार करने जा रही है तो खुद क्यों न बना लें।

[श्री राममूर्ति]

भीखालाल जी का यह खयाल है कि जहां गूलें बनायी जायंगी वहां पर कोई कमांड फिक्स होना चाहिये। हर कुलाबे के ऊपर कमांड फिक्स है। छः इंच के कुलाबे पर मामली तौर से २०० एकड़ जमीन और चार इंच के कुलाबे पर १०० एकड़ जमीन रखी जाती है।

अधिष्ठाता महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात दस मिनट में खत्म नहीं कर पाया, अगर हमारे दोस्त पसन्द करें तो दस पांच मिनट और बैठें।

श्री अधिष्ठाता—

सदन का समय पौने छः बजे तक रहेगा।

श्री राममूर्ति—

यह फीगर वर्क आउट किया गया है कि हर फसल ४० फीसदी जमीन के लिये पानी दिया जाय। अक्सर ज्यादा हो जाता है। गांव की पूरी फसल के लिये पानी नहीं होता। एक बात का जिक्र सही मानों में माननीय भीखालाल जी ने किया, जिसका हम अभी तक इंतजाम नहीं कर पाये। जहां कंसालिडेशन हो गया है यह बात सही है सिंचाई विभाग अपना नक्शा दे देता है कि अमुक स्थान पर गूल बने लेकिन चकबन्दी वाले उसमें उलट-फेर करने की बात करते हैं। यह रेलेवेंट बात कही गयी है। मैं इसके बारे में कंसालिडेशन डिपार्टमेंट से बात करके दबाव डालने की कोशिश करूंगा कि सिंचाई विभाग का जो नक्शा है उसी पर गूल बनाने की कोशिश की जाय, चाहे थोड़ा बहुत चक कट भी जाय। चूंकि कच्ची नाली होती है इसलिये ज्यादा जमीन उसमें नहीं जाती।

मुआविजे के बारे में बहुत कुछ जिक्र किया गया। वाकया यह है कि इसका मेरे डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं रहता। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुआविजा मिलता है। मैं इसके बारे में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की नालेज में लिखित रूप से और मौखिक रूप से भी ला चुका हूं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो वह भी उनका ध्यान आकर्षित करें कि मुआविजे का रेट बदला जाय। लेकिन जिस रेट से मुआविजा दिया जाता है उसमें हमारा कोई बस नहीं। उस मसले को इसीलिये लिखकर भेज दिया है कि बैठ कर बहस मुबाहसा कर लें।

एक बात और जिसका जिक्र किया गया है कि यदि गूलें बनवाई जायं तो उसका मेंटिनेंस भी डिपार्टमेंट ही करे। यह मुनासिब इसलिये नहीं है कि हमारा जो पिछले सौ सालों का दस्तूरुलअमल रहा है वह यही रहा है कि कच्ची गूलें काश्तकार बनाता भी है और मेंटेन भी करता है और एक बार गूलें बन जाने पर सरकार द्वारा मेंटेनेंस का सवाल भी नहीं होता और अगर सरकार लेगी तो प्रदेश भर के इन्तजाम का भार उसे लेना पड़ेगा जिससे टैक्सेशन बढ़ेगा, शिकायत आयेगी। पहले से ही यह शिकायत है कि टैक्सेशन बहुत है, इरीगेशन रेट्स बहुत ज्यादा है, इसलिये अब उसको बढ़ाना मुनासिब बात भी नहीं होगी। यह मोटी बातें थीं जिनका जिक्र इस विधेयक के संबंध में माननीय सदस्यों ने किया है, उनका जो मैंने उचित समझा जवाब दे दिया। बाकी जो सुझाव विभाग में कमियों के संबंध में हैं वह अपनी जगह पर है। कुछ के बारे में लोगों को गलतफहमी हो सकती है। वैसे मेरी कोशिश तो हमेशा यह रहती है कि जब कभी कोई माननीय सदस्य शिकायत करें तो उसको मालूम कर लिया जाय और तकलीफ को दूर किया जाय। आज माननीय कमला सिंह जी की शिकायत मुनासिब नहीं मालूम होती है। मैं उनके जिले में गया और कोशिश की कि उनको भी साथ ले लूं लेकिन उनके पास वक्त नहीं था वह जा नहीं पाये। किन्तु फिर भी मेरी हमेशा यह कोशिश रही है कि अपने विभाग की कमियों को माननीय सदस्यों से मालूम होने पर दूर करने की कोशिश करूं।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों का मैं बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस विवाद में बड़ी खुशअसलूबी से हिस्सा लिया और जो इत्तिला मिली है उनके मुताबिक जो सुधार और हो सकते हैं वह किये जायेंगे।

श्री भीखालाल—

जो शिकायत मैंने आपसे की थी ?

श्री राममूर्ति--

माननीय भीखालाल जी उसके लिये अगर कोई नोट तैयार करके भेज देंगे तो देख लूंगा, लेकिन मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं जरूर कोशिश करूंगा कि जो कुछ भी सहूलियतें पहुंचाई जा सकती हैं वह पहुंचाई जायं।

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं सदन की राय लूंगा। पहले श्री कमला सिंह जी का प्रस्ताव है। प्रश्न यह है कि नार्दर्न इंडिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय जो तीन मास तक परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

इसके बाद श्री केशरीप्रसाद पांडेय का प्रस्ताव है। प्रश्न यह है कि नार्दर्न इंडिया केनाल एण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की प्रवर समिति को भेज दिया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

अब श्री कल्पनाथ सिंह का प्रस्ताव है। प्रश्न यह है कि नार्दर्न इंडिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट एक माह में दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि नार्दर्न इंडिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४३ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश,
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१२ फरवरी, १९६३।

पी० एस० यू० पी०--एस० पी०--३१४ एल० ए०--१९६३--८५०।